LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Tuesday, December 17, 2024 / Agrahayana 26, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, December 17, 2024 / Agrahayana 26, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM ARMENIA	**1**
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 301 – 305)	**1A – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 306 – 320)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 3451 – 3680)	**51 – 280**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Tuesday, December 17, 2024 / Agrahayana 26, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, December 17, 2024 / Agrahayana 26, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 97**
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS **5th to 9th Reports**	**298**
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDARY AND FOOD PROCESSING **1st to 6th Reports**	**299**
STANDING COMMITTEE ON DEFENCE **1st to 6th Reports**	**300**
STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ **4th Report**	**301**
BILLS INTRODUCED	**302 - 26**
(i) Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill	
(ii) Union Territories Law (Amendment) Bill	
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**327 - 41**
Shri Vijay Baghel	**327**
Shri Janardan Singh Sigriwal	**328**
Dr. Nishikant Dubey	**328**
Shri Vishnu Dayal Ram	**329**
Shri Yogender Chandolia	**329**

Shri Parimal Suklabaidya **330**

Shri Manish Jaiswal **330**

Shri Jugal Kishore **331**

Shri Damodar Agrawal **331**

Shri Kali Charan Singh **332**

Shri Bharatsinhji Shankarji Dabhi **332**

Dr. C.M. Ramesh **332**

Shri Rajpalsinh Mahendrasinh Jadav **333**

Shri Rahul Kaswan **333**

Md. Rakibul Hussain **334**

Shri Rajmohan Unnithan **334**

Shri Murari Lal Meena **335**

Shri Gaurav Gogoi **335**

Shri V.K. Sreekandan **336**

Shri Babu Singh Kushwaha **336**

Shri Lalji Verma **337**

Shri Khalilur Rahaman **337**

Shri C.N. Annadurai **338**

Shri G.M. Harish Balayogi **338**

Shri Sanjay Dina Patil **339**

Dr. M .P. Abdussamad Samadani **339**

Shri Sudhakar Singh **340**

Shri Hanuman Beniwal **340**

Shri Rajkumar Roat **341**

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (Contd. - Concluded) 342 - 60

Shrimati Nirmala Sitharaman 342 - 59

Cut Motions – Negatived 360

Demands – Voted 360

BILL INTRODUCED 360 - 63

Appropriation (No.3) Bill

Motion for Consideration – Adopted 361 - 63

Consideration of Clauses 363

Motion to Pass 363

READJUSTMENT OF REPRESENTATION OF SCHEDULED TRIBES IN ASSEMBLY CONSTITUENCIES OF STATE OF GOA BILL -- (Inconclusive) 364 - 96

Motion for Consideration 364

Shri Arjun Ram Meghwal 364 - 65

Captain Viriato Fernandes 366 - 68

Shri Dhaval Laxmanbhai Patel 369 - 72

Shri Chhotelal 373 - 74

Shrimati Pratima Mondal 375 - 76

Shri D.M. Kathir Anand 377 - 78

@ Shri G. Lakshminarayana 379

Dr. Alok Kumar Suman 380 - 81

Shrimati Supriya Sule 382 - 85

Dr. Namdo Kirsan 386 - 87

@ For English translation of the speech made by the Hon. Member, Shri G. Lakshminarayana in Telugu, please see the Supplement (PP 379A to 379C).

Shri Tapir Gao	**388 - 89**
Shri Naresh Ganpat Mhaske	**390 - 91**
Shri Raju Bista	**392 - 93**
@ Dr. Gumma Thanuja Rani	**394**
Shri Sudhakar Singh	**395 - 96**

@ For English translation of the speech made by the Hon. Member, Dr. Gumma Thanuja Rani in Telugu, please see the Supplement (PP 394A to 394B).

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, December 17, 2024 / Agrahayana 26, 1946 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS **PAGES**

XXX XXX XXX XXX

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

READJUSTMENT OF REPRESENTATION OF SCHEDULED TRIBES IN ASSEMBLY CONSTITUENCIES OF STATE OF GOA BILL 379A - 79C & 394A - 94B

xxx xxx xxx xxx

Shri G. Lakshminarayana 379A - 79C

xxx xxx xxx xxx

Dr. Gumma Thanuja Rani 394A - 94B

xxx xxx xxx xxx

(1100/PC/SNT)

1100 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

आर्मेनिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

1100 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में आर्मेनिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विराजमान हैं।

मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्माननीय अतिथि आर्मेनिया की नैशनल असेंबली के प्रेसीडेंट श्री एलेन सिमोनियन और वहां के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।

आर्मेनिया के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन सोमवार, 16 दिसंबर, 2024 को हुआ था। भारत प्रवास में शिष्टमंडल के सदस्यगण दिल्ली के अतिरिक्त 18 दिसंबर को जयपुर और 19 दिसंबर को आगरा भी भ्रमण करेंगे। उनका शुक्रवार, दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को भारत से प्रस्थान होगा।

हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम आर्मेनिया की संसद, वहां की सरकार, वहां की मित्रवत जनता को भी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल – क्वेश्चन नंबर 301, श्री आनंद भदौरिया जी।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 301)

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सीधा-सीधा सवाल सरकार से पूछा था, लेकिन सरकार ने उसके बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम न्यूनतम मजदूरी के साथ तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि किसान की मासिक आय क्या है, इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने वादा किया था कि वह किसान की आमदनी दोगुनी करेगी। किसान की आमदनी दो गुनी हुई या नहीं हुई? सरकार यह जवाब दे दे। अगर नहीं हुई, तो सरकार इसको कब तक पूरा करने का काम करेगी? किसान की आय दोगुनी कब होगी? मैं दूसरा प्रश्न बाद में पूछ लूंगा।

माननीय अध्यक्ष : हां, सप्लीमेंट्री में पूछ लीजिएगा।

… (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय के बारे में एनएसएसओ की एक रिपोर्ट है, वही हम लोग प्रमाणित मानते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2002-03 में यह आय 2,115 रुपए महीने थी। वर्ष 2018-19 में यह आय बढ़कर 10,218 रुपए महीना हो गई। इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। अगर उन प्रयत्नों को आप देखें, तो हमने छ: सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए, तो नुकसान की भरपाई करना और पांचवां, कृषि का विविधीकरण।

(1105/SJN/AK)

छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन उपायों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया था कि फसलों के दामों में जो उत्पादन की लागत है, उस पर कम से कम एमसीपी का दाम 50 प्रतिशत लाभ देकर घोषित किए जाएंगे, तब से ये लगातार घोषित हो रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग-अलग यानी 109 नई बीजों की वैरायिटी घोषित की गई है। हम उन्नत बीज दे रहे हैं, मैकेनाइजेशन कर रहे हैं।…(व्यवधान)

आज ही प्रधानमंत्री जी नदी जोड़ने के एक बड़े प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो रहा है। सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए नदी जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है। सूक्ष्म सिंचाई योजना है। उत्पादन की लागत घटाने के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' का एक क्रांतिकारी फैसला किया है, तो इसी सरकार ने किया है।

उसके साथ ही साथ पिछले साल से पहले किसानों को फर्टिलाइजर की सब्सिडी 2,14,000 करोड़ रुपये दी गई है और पिछले साल 1,94,000 करोड़ रुपये सब्सिडी दी गई है। हम इस साल भी कोई कमी नहीं आने देंगे। हम किसानों को कम ब्याज पर कर्ज देने का काम कर रहे हैं।…(व्यवधान) किसान क्रेडिट कार्ड है। कृषि का मैकेनाइजेशन है। हम कृषि उपकरणों को सब्सिडी पर देने का काम कर रहे हैं। अगर एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की गई है, तो इस सरकार ने की है। महोदय, मैं आज

तुलना नहीं करना चाहता हूं। अगर मेरे मित्र चाहेंगे, तो मैं तुलनात्मक आंकड़ा भी बता सकता हूं। जब उनकी सरकार थी, तो सिर्फ दलहन की फसल केवल 6,00,000 मीट्रिक टन खरीदी गई थी, जबकि हमने किसानों को सही दाम देने के लिए 1,70,00,000 मीट्रिक टन खरीदी है। एक नहीं अनेक उपाय हैं। अगर आप अनुमति दें, तो मैं तो पूरी बहस कर सकता हूं। यह सरकार काम कर रही है। उससे निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ रही है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछिए।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय कृषि मंत्री जी जैसा लच्छेदार भाषण कोई नहीं दे सकता है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : महोदय, जमीन के हालात भाषण से अलग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एमएसपी कब मिलेगी, किसानों का कर्ज कब माफ होगा, डीएपी कब मिलेगी और किसानों के हालात कब सुधरेंगे? मैंने 'ग' में पूछा था कि वर्ष 2023-24 के दौरान देश में किसानों की प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है, उसका उत्तर भी नहीं मिला है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न काल है, चर्चा काल नहीं है।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण में लच्छा तो कहीं नहीं था। मैंने तो सीधे-सीधे तथ्य रखने की बात कही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएसपी पर आज भी खरीद हो रही है, हम अभी भी सोयाबीन खरीद रहे हैं। तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यहां पर किशन रेड्डी जी बैठे हैं, तेलंगाना सरकार ने कहा है कि सोयाबीन का और ज्यादा टारगेट बढ़ाओ, तो उसकी अनुमति देने का काम भी इसी सरकार ने किया है।

अधिसूचित फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है, लगातार डीएपी आ रहा है तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। अगर आप राज्यवार डेटा चाहते हैं, तो इस आंकड़े या सर्वे के हिसाब से किस राज्य में किसानों की आय कितनी है, तो आंध्र प्रदेश में 10,480 रुपये, अरुणाचल प्रदेश में 19,225 रुपये, असम में 10675 रुपये, बिहार में 7,542 रुपये, छत्तीसगढ़ में 9,677 रुपये, गुजरात में 12,631 रुपये और हरियाणा में 22,841 रुपये है। ये पूरे आंकड़े हैं। वर्ष 2019 तक हर एक राज्य की जो आय बढ़ी है, उसके पूरे आंकड़े हैं। वर्ष 2019 के बाद और तेजी से यह आय बढ़ रही है, हम किसानों की आय बढ़ाने और उसको दोगुनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम लगातार काम कर रहे हैं।

(1110/IND/UB)

श्री बलवंत बसवंत वानखडे (अमरावती) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देश में किसानों की प्रति व्यक्ति आय निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, इसलिए छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कृषि नवचार और प्रौद्योगिक विकास के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष जी, किसानों की आय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं है। यह गलत बात है कि किसानों की आय निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है। हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और किसानों को अलग-अलग योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना, मैकनाइजेशन में सब्सिडी, कम ब्याज पर कर्जा, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम किसानों को केवल चार परसेंट, जो हमारा ब्याज है, उस पर कर्ज देने का काम कर रहे हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं, जिनसे हम किसानों की आय बढ़ाने का काम निरंतर कर रहे हैं।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, regarding Andhra Pradesh, the number of eligible beneficiaries under the PM-KISAN are 41,84,000 and the actual beneficiaries are 41,22,000 as per the current record. There are almost 62,000 farmers who have been left out from the PM-KISAN Scheme because the policy has not been updated for the last five years. From December 2018 to April 2019, whoever had the land was considered for the PM-KISAN but after that, so many farmers have gifted, sold or given the land to their children, the data of which has not been updated for the last five years. Hence, there are 62,000 farmers who are losing out from setting the benefit of PM-KISAN. The situation prevails not only in my State but also in other States. So, I would like the hon. Minister to tell us when this data can be updated so that these farmers also get benefited.

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से यदि कोई किसान वंचित है, तो उसे जोड़ने के लिए भारत सरकार लगातार अभियान चलाती रहती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग एक करोड़ नए किसानों के नाम इस योजना से जोड़े गए। इसके बीच हमने एक अभियान और चलाया था, जिसमें लगभग 25 लाख किसानों के नाम जोड़े गए थे। मैं माननीय सदस्य से पूरा विवरण प्राप्त कर लूंगा। पहले ऐसा जरूर हुआ था कि कुछ जगह राज्य सरकारों ने पूरे सही नाम नहीं भेजे थे, लेकिन प्रधान मंत्री जी का कहना है कि पैसा सीधे किसान के एकाउंट में जाए, किसी फर्जी किसान के एकाउंट में न जाए, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने जरूर की थीं, जिनके कारण कुछ किसानों के नाम कम हुए थे। जब बाद में जैसे-जैसे राज्यों ने औपचारिकताएं पूरी कर लीं, हम नाम जोड़ते चले गए हैं। अगर कोई वाजिब नाम छूट गया है, तो मैं आपके माध्यम से वचन देता हूं कि वह नाम निश्चित तौर पर प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि में जोड़ा जाएगा।

श्री अमरा राम (सीकर) : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2019 में प्रति परिवार प्रति माह 10218 रुपये इनकम बताई थी। इस देश की 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और विकसित भारत वर्ष 2022 में दोगुनी आय की बात कही थी। आप अंदाजा लगाएं कि पिछले दस साल में तीन लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री अमरा राम (सीकर) : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि खरीद नहीं हो रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा पैदा होता है। मंत्री जी बताएं कि क्या आपने एक क्विंटल बाजरा भी खरीदा है? न आप धान खरीद रहे हैं और एक बैग डीएपी का नहीं मिला।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, एक साथ इतने सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।

... (व्यवधान)

(1115/RV/RCP)

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उधर के लोगों की सरकार थी, तब आय 2,115 रुपये थी, अब वह बढ़ कर 10,218 रुपये हो गयी है।... (व्यवधान) यह वर्ष 2019 तक के आंकड़े हैं। वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2024 तक के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं।... (व्यवधान) अगले साल फिर सर्वे होने वाला है। मेरा विश्वास है कि जो कदम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए हैं, यह आय इससे और बढ़ेगी। यह आय बहुत अधिक बढ़ी है, लगभग दोगुनी हुई है।... (व्यवधान)

महोदय, जहां तक बाजरे की खरीद से संबंधित सवाल है, बाजरे की खरीद के लिए हमारी योजना है, लेकिन यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है।... (व्यवधान) कुछ समय पहले तक वहां राज्य सरकार कौन-सी थी?... (व्यवधान) कई योजनाएं ऐसी हैं, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार राज्यों के सहयोग से खरीद की व्यवस्था करती है।... (व्यवधान) हम मोटा अनाज भी एमएसपी पर खरीदते हैं। यह राज्य सरकार की च्वॉयस है।... (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको प्रश्न पूछने के लिए एलाउ किया। आप पहली बार यहां सांसद बनकर आए हैं और आप बार-बार बैठे-बैठे बोल रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे फिर विचार करना पड़ेगा।

(Q. 302)

SHRI DILIP SAIKIA (DARRANG-UDALGURI): Hon. Speaker Sir, I am pleased to note and know that under the dynamic leadership of hon. Prime Minister Narendra Modi ji, the Government of *Bharat* has taken steps for training, capacity building and modernisation of the coastal police by setting up the National Academy of Coastal Policing (NACP), Joint Coastal Patrolling (JCP), Sagar Kavach, Coastal Security Scheme (CSS), etc., for nine coastal States and for the Indian territory.

I have a question. जैसा कि हम जानते हैं, हमारी कोस्टल सीमा करीब 7,500 किलोमीटर के करीब है। इसमें 9 कोस्टल स्टेट्स और 4 केन्द्रशासित प्रदेश हैं। इसमें जो समस्या है, वह तस्करी की है। यह इस देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत गुरुत्व है।

मेरा प्रश्न है कि कोस्टल पुलिस, गृह मंत्रालय ने संदिग्ध नौकाओं और जहाजों का पता लगाने के लिए और समुद्री मार्गों से जो अवैध शरणार्थी अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करते हैं या जो नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं या अवैध हथियारों की तस्करी या मानव तस्करी करते हैं, इनसे निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्या प्रयास किए हैं?

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, जो तटीय सुरक्षा है, वह तीन घेरों से संरक्षित होता है। उन घेरों के माध्यम से केन्द्र सरकार, मोदी सरकार पूरा प्रयास करती है कि किसी अवैध नौकाओं और जहाजों द्वारा या अन्य प्रकार से भी किसी प्रकार की जो तस्करी होती है, वह न हो।

महोदय, इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें मछुआरों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित रूप से सामुदायिक सम्पर्क कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये इसलिए चलाए जाते हैं, क्योंकि मछुआरे नौकाएं लेकर जाते हैं और चूंकि मछली पकड़ना उनके जीवन-यापन और आय का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इस पर प्रतिबन्ध भी नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में नियमों का उल्लंघन न हो, अवैध काम न हो, इसके लिए उनके अवेयरनेस के लिए हम कार्यक्रम चलाते हैं।

महोदय, 20 मीटर से अधिक बड़े जहाजों के लिए स्वचालित पहचान प्रणाली अनिवार्य की गयी है। प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत मत्स्यपालन विभाग द्वारा मछली पकड़ने वाली 20 मीटर से कम लम्बी नौकाओं पर 1 लाख ट्रांसपॉण्डर्स भी लगाए गए हैं। मछली पकड़ने वाली नौकाओं की राज्यवार कलर कोडिंग की गयी है, जिससे आसानी से पहचानी जा सकें और उन्हें जितनी अनुमति दी जाती है, वे उस सीमा को पार न कर सकें।

(1120/GG/PS)

मत्स्य पालन विभाग द्वारा मत्स्य पालन जहाज़ों के आंकड़ों की केंद्रीय रजिस्ट्री का रखरखाव किया जा रहा है। महोदय, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछुआरों को आधार कार्ड जारी किए गए हैं। अंतर एजेंसी समन्वय एवं सूचना इत्यादि की सुवधि नियमित और निर्बाध का प्रदान करते हैं।

महोदय, उन्होंने उपलब्धियों के विषय में पूछा है कि उपलब्धि क्या है। तटीय सुरक्षा के तहत और जब जहाज़ों को या नौकाओं की बात हम अगर करते हैं तो उसमें जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनको जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से उसके परिणाम आए हैं कि जो नशीले पदार्थ होते हैं, वर्ष 2003 से 2013 के बीच मात्र 257 केजी जब्त किए गए थे, वहीं वर्ष 2014-2024 के बीच में यह जब्ती बढ़ कर 12,617 केजी हो गयी हैं। जो लगभग 400 से भी ज्यादा प्रतिशत अधिक की जब्ती हुई है। प्रतिबंधित सामान जो सात हज़ार केजी जब्त किए गए थे, वे प्रतिबंधित सामान वर्ष 2014 से 2024 के बीच में 4,15,264 केजी यानि 500 गुना से भी ज्यादा उसमें वृद्धि हुई है। अवैध मानव प्रवासी, इसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि पहले न के बराबर था, वहीं हाल के वर्षों में अवैध मानव प्रवासी 319 पकड़े गए हैं। विदेशी मछुआरों की नावें, जो वर्ष 2003 से 2013 तक 623 पकड़ी गई थीं, वर्ष 2014-2024 के बीच में मात्र 200 पकड़ी गईं हैं, यानि 67 प्रतिशत की कमी आई है। यह दर्शाता है कि हमारी चौकसी कितनी मज़बूत है। साथ ही, तस्करी न हो और कोई भी उल्लंघन, जहाज़ या नौकाएं न करें, इस पर हम कितना काम कर रहे हैं। पोचर्स, जिनकी संख्या वर्ष 2003-2013 के बीच में 5577 थी, उन पोचर्स की संख्या अब कम हो कर 1567 गई है, इसमें 72 प्रतिशत की कमी आई है। यानि कि हमारी निगरानी का और तत्परता का परिणाम है कि वहां हम इस प्रकार की अवैध तस्करी को या किसी प्रकार की तस्करी को हम रोकते हैं।

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : सर, मंत्री जी के जवाब से पता चलता है कि कैसे हमारी होम मिनिस्ट्री और बाकी मंत्रालय एक साथ इस तस्करी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल और बंगलादेश के बीच के जो सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है तथा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो पाक जलडमरूमध्य का क्षेत्र है, उसमें कुछ अवैध गतिविधियां चलती जा रही हैं, ऐसा भी कभी-कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। इसको रोकने के लिए मंत्री जी के पास कोई जवाब है तो सदन को बताने की कृपा करें।

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, जितने तंत्रों की जानकारी हमने की है और जिस प्रकार की निगरानी की बात है, चाहे वह पश्चिम बंगाल की सीमा में किसी समुद्री मार्ग से आता हो, या देश के किसी भी हिस्से में समुद्री मार्ग से आता हो, हम उस पर पूरी निगरानी रखते हैं। हमने इनके पहले प्रश्न के जवाब में जो विस्तृत उत्तर दिया है, उस प्रश्न का उत्तर उसमें है। हम यह जरूर बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल की तटीय सीमा की अच्छे से निगरानी की जा सके, इसके लिए पश्चिम बंगाल को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 18 नावें स्वीकृत की हैं ताकि हम उसकी निगरानी को सुनिश्चित कर सकें। लेकिन थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 18 नावें पश्चिम बंगाल को दी गई थीं, क्योंकि तटीय सुरक्षा में राज्य भी एक अंग है और राज्य भी अपने संसाधनों का उपयोग करता है।

(1125/MY/SMN)

उसमें हम पुलिस स्टेशन की व्यवस्था में भी सहयोग करते हैं। हमने 18 नाव दी हैं, लेकिन उनमें से एक भी नाव ऑपरेशनल नहीं है। हम माननीय सदस्य को इतना जरूर बताना चाहेंगे कि तटीय सुरक्षा की हमारी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उसमें हम अवैध तस्करों को भी रोके हैं, उन्हें पकड़े हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं।

श्रीमती कमलेश जांगड़े (जांजगीर-चांपा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 से अब तक देश के किसी भी तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा हुई है, जिसमें केंद्र सरकार ने तत्काल समाधान किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं और माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के समय प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार ने कौन-कौन सी नीतियां बनाई है?

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, एक अच्छी व्यवस्था शुरू की गई है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी, शायद माननीय सदस्य एनएसीपी के विषय में जानना चाह रही है, इसकी स्थापना की मंजूरी दी गई। अभी इसके कार्य प्रगति पर है। यह मत्स्य अनुसंधान केंद्र, नोखा जिला देवभूमि द्वारका, गुजरात में एक अस्थायी परिसर में चल रहा है। 29 अक्टूबर, 2018 से यह कार्यरत है। माननीय गृह मंत्री जी ने 20.05.2023 को देवभूमि द्वारका, गुजरात में एनएसीपी की स्थायी परिसर की आधारशीला रखी थी। दिनांक 27.07.2022 को डीआईबी द्वारा 441 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में उस परिसर का निर्माण कार्य चल रहा है। जैसे मिट्टी भरना, सीमा की दीवार, 120 पुरुषों के लिए बैरक, उसमें टाइप-5 क्वार्टर, टाइप-4 क्वार्टर, टाइप-3 क्वार्टर, टाइप-2 क्वार्टर और हेलिपैड का कार्य पूरा हो गया है। इस तरह से अगर हम पूरा देखें तो वहां 45 परसेंट कार्य पूरा हो गया है। बाकी कार्य प्रगति पर है।

महोदय, एनएसीपी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में तटीय पुलिस, कस्टम, सीआईएसएफ और बीएसएफ के कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए पोर्ट ब्लेयर में भी दस सप्ताह का मरीन पुलिस फाउंडेशन कोर्स दिया जाता है। चूंकि माननीय सदस्या ने उस संबंध में प्रश्न पूछी है। इस प्रकार से हमने कोच्चि में भी कई प्रकार की व्यवस्था की है।

महोदय, उसमें हम प्रशिक्षण का कार्य देते हैं। कई तटीय सुरक्षा से संबंधित जितने भी स्टेकहोल्डर्स हैं और जितनी भी फोर्स हैं, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।... (व्यवधान) अभी उसका निर्माण कार्य तत्परता के साथ चल रहा है, जिसे पूरी की जाएगी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य महुआ मोइत्रा जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सीनियर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी इस तरह से बातें करते रहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गौरव गोगोई जी।

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा कि समुद्र के तट से जो नशीले पदार्थ आ रहे हैं, उसमें हम अरेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने जितने नशीले पदार्थ पकड़े हैं, अगर के.जी. की तुलना में देखें तो लगभग 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है। हम अपेक्षा करते थे कि हमारे सीनियर होम मिनिस्टर यहां पर रहते। मेरा सवाल यही है कि यह जो अरेस्ट कर

रहे हैं, उसमें के.जी. के हिसाब से 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसे हम दो नजरीये से देख सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका प्रश्न क्या है?

श्री गौरव गोगोई **(**जोरहाट**) :** महोदय, इतने अरेस्ट होने के बावजूद भी ड्रग्स ट्रेड में वृद्धि हो रही है। (1130/CP/RP)

मैं इतना जानना चाहूंगा कि नशीले पदार्थों के सिलसिले में इन्होंने कितने लोगों को अरेस्ट किया, किन प्रोविजन्स के तहत अरेस्ट किया और क्या उनको जमानत दी है? मैं यह चीज इनसे जानना चाहता हूं कि किन लोगों को और कितने लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया?

माननीय अध्यक्ष : नशा मुक्ति के लिए सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र में एक बड़ा, व्यापक और गम्भीर अभियान चलाना चाहिए। यह सामाजिक आंदोलन से ही समाप्त होगा। इसको समाप्त करना ही चाहिए, यह हमारा संकल्प होना चाहिए।

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि अगर 400-500 गुना जब्ती में बढ़ोतरी हुई है तो इसका मतलब यह है कि मादक पदार्थों को भारत की सीमा के अंतर्गत लाकर भारत के भविष्य को समाप्त करने की जो साजिश हो रही थी, उस पर तत्परता से काम किया गया है। पहले जब्ती इसलिए कम होती थी कि कोई ऐसा तंत्र डेवलप नहीं था कि हम जब्ती कर सकें या तस्करों को गिरफ्तार करके कानून के तहत जेल में डाल सकें। हम माननीय सदस्य को आंकड़े बता देंगे। कितना जब्ती हुआ, वह तो बताया ही है। कितने तस्कर पकड़े गए हैं और कितनों पर कार्रवाई है, वह बता देंगे।… (व्यवधान)

महोदय, जहां तक नशीले पदार्थों के रोकथाम का लक्ष्य, यह भारतीय युवाओं में न आए, किसी उम्र के लोगों में न आए, बच्चों में भी न आए, इसके लिए भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय और बहुत सारे मंत्रालयों ने कोआर्डिनेशन करके, मादक पदार्थों का उपयोग न हो, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है।… (व्यवधान) लत को छुड़ाने के लिए कई सेंटर्स चलाए जाते हैं।… (व्यवधान) भारत सरकार के अंतर्गत एनसीबी संस्थायें हैं, उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश में फैलाकर इसके तंत्र को इतना मजबूत कर रहे हैं कि मादक पदार्थों की तस्करी को कम कर सकें। माननीय गोगोई जी समझिए कि ज्यादा जब्ती का मतलब यह है कि आपके जमाने में छूट थी, हमारे जमाने में कार्रवाई होती है। … (व्यवधान) इसके कारण ही हम 400-500 प्रतिशत बढ़ गए हैं। … (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, an area up to eight nautical miles from the sea coast remains under the control of the State Government, and beyond that limit the area falls under the control of the Central Government. So, up to eight nautical miles, it is the responsibility of the State Government, and beyond that it is under the Central Government.

The coastal police are appointed by the State Government to look after these eight nautical miles from the sea coast. Have you given them any training? You are talking about giving aid and help to the local police stations. How much help have you given to them? How many times is the training being imparted to them? What is your responsibility to be discharged after these eight nautical miles in sea? That is your responsibility. If there is any illegal thing happening beyond those eight nautical miles in the sea, it is the responsibility of the Central Government, not the State Government.

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, किसी का कार्य क्षेत्र कितने नॉटिकल माइल्स तक हो, वह अलग विषय है। इसमें स्टेट और सेंटर दोनों कोऑर्डिनेशन एक साथ मिलकर, जैसे भूमि तो राज्य की है, कुछ सीमा तक पानी राज्य का है, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल उठता है तो हम भूमि पर भी कोआर्डिनशन करते हैं। पानी किसी के भी क्षेत्राधिकार में हो, हम कोऑर्डिनेशन के साथ तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कटिबद्ध हैं।

दूसरा, तटीय पुलिस राज्य का सब्जेक्ट होता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि तटीय पुलिस स्टेशनों के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में गृह मंत्रालय के अंतर्गत जब हम इस प्रकार से काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता भी मिलती है।

(1135/SK/VR)

माननीय मोदी जी का संकल्प है कि पूरे देश का एक-एक इंच देश के लोगों का है, भारत का है। संप्रुभता में, जिसका भी समन्वय करना हो, जिसका भी सहयोग लेना हो, हमारी सरकार हर क्षेत्र, चाहे तटीय सुरक्षा हो, भूमि सीमा की सुरक्षा हो या पानी की सीमा की सुरक्षा हो, को सुनिश्चित किया है। यह आप सबको अवगत होना चाहिए।

जहां तक माननीय सदस्य ने प्रशिक्षण के बारे में पूछा है कि अभी तक क्या किया गया है? दस वर्षों में प्रशिक्षण के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं और केंद्र सरकार तटीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में जो संस्था बनी है, उसके माध्यम से हम प्रशिक्षण देते हैं। तटीय सीमा पुलिस, सीआईएसएफ और डीएसएफ के 1700 से अधिक कर्मियों को ओखा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संयुक्त तटीय गश्त के दौरान तट रक्षक बल द्वारा ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जाता है। सितंबर, 2024 तक 2400 से अधिक क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के माध्यम से 7000 से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

महोदय, हम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। राज्य प्रशिक्षण तटीय पुलिस को देते हैं और इसके लिए कई एसओपी दिए गए हैं। हम एसओपी के माध्यम से प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। जब भी जरूरत होती है तो विशेष रूप से हम प्रशिक्षण अभियान चलाते हैं।

(इति)

(Q.303)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I have gone through the Statement laid before the House. No doubt, measures are being taken by the Government to reduce soil degradation in the country. But as a son of an agriculturist, I think that measures taken are not at all adequate to resolve this grave problem. Therefore, I am worrying about it.

Yes, the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) is doing a good job. There are many international organizations under the United Nations like, Food and Agriculture Organization, then there is International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, International Livestock Research Centre, etc. I came to know that a lot of research work is being done in these organizations across the world to address the issue of soil degradation.

I would like to know from the hon. Minister whether there is any coordination between the Government of India and these research organizations world over. If it is so, what measures are being taken in coordination with these international organizations?

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य ए. राजा जी को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है।

भारत की हजारों वर्षों से सोच है कि एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है। मनुष्यों, प्राणियों, जीव-जन्तुओं, पेड़-पौधों, नदियों, समुद्रों, पहाड़ों, ग्रह, नक्षत्र और तारों में एक ही चेतना है इसलिए हम भूमि को, धरती को मां मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हमारी धरती, हमारी मिट्टी, नदी, समुद्र, जंगल, जीव-जंतु और मनुष्य, सबका जीवन एक गहरे धागे से गुंथा हुआ है। अगर सही तरीके से मिट्टी का प्रबंधन नहीं होगा, मिट्टी के प्रबंधन के साथ संरक्षण का काम नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो जाएगा इसलिए भारत सरकार ने भूमि के क्षरण की गंभीरता को समझा है।

मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसरो ने समय-समय पर अध्ययन किए हैं। वाटर इरोज़न, विंड इरोज़न, लवणीयता, क्षारीयता, वाटर लॉगिंग और मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार क्षरण हो रहा है।

(1140/MK/SAN)

इसको रोकने के लिए भारत सरकार जो उपाय कर रही है, मैं उसके बारे में सदन को बताना चाहता हूं। भारत सरकार ने वर्ष 2014 से, जबसे इधर की सरकार सत्ता में आई है, मिट्टी की सुरक्षा के लिए एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन-तीन प्रभावी योजनाओं को प्रारंभ किया है। हमारी एक स्वॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना है। इसका कुल बजट 1,341 करोड़ 95 लाख रुपये है। इसमें 24 करोड़ 60 लाख स्वॉयल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। मिट्टी के परीक्षण के बाद किसान फर्टिलाइजर का संतुलित

उपयोग कर सकता है, वह पोषक तत्वों की स्थिति जान सकता है और वह कौन-सी फसल लगाए, वह जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए 7 लाख डेमोन्सट्रेशन किए गए हैं। 93,781 किसानों को ट्रेनिंग दी गई है। 7,425 किसान मेले आयोजित किए गए हैं। 'आत्मा' और 'केवीके' के माध्यम से किसानों को सलाह दी गई है। जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 70,002 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है। हमारा स्कूल स्वॉयल हेल्थ प्रोग्राम भी है। 1,020 स्कूलों में स्वॉयल लैब स्थापित की गई है। 1,25,532 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है।

महोदय, परंपरागत कृषि विकास योजना हमारा दूसरा कदम है। इसके अंतर्गत मिट्टी में जैविक कार्बन के सुधार के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इस योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक इनपुट्स के लिए प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता तीन वर्षों की अवधि के लिए डीबीटी के माध्यम से देने का काम किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रारंभ किया गया है, जिसमें 100 परसेंट वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। जो सारे उपाय किए गए हैं, उसके साथ-साथ अभी भारत सरकार ने 'प्राकृतिक खेती मिशन' को लांच किया है, जिसके कारण हम कैमिकल फर्टिलाइजर के असंतुलित और अनियंत्रित उपयोग को रोकते हुए नैचुरल फॉर्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा भारत सरकार के जो अनेकों विभाग हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट का काम ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। इन सारे प्रयत्नों के कारण जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्टडी है, उसमें खुलासा हुआ है कि रसायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8 से लेकर 10 परसेंट की कमी आई है। ... (व्यवधान) उसके साथ-साथ हमने डिजिटल कृषि मिशन के तहत 'राष्ट्रीय मृदा मानचित्रण कार्यक्रम' को 1:10,000 पैमाने पर, इसका मतलब दो सैंपल के बीच की दूरी 100 मीटर होगी। वह सैंपल लेने का काम भी हमने किया, जो पहले 500 मीटर थी। इसके अंतर्गत हम कुल कृषि भूमि 142 बिलियन हेक्टेयर्स का पूरा का पूरा परीक्षण करेंगे। 30 मिलियन हेक्टेयर्स का हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय, स्वॉयल मैपिंग के जो लैब्स होंगे, उनसे मृदा के संरक्षण की जानकारी मिलेगी, पोषक तत्वों की उपलब्धता कितनी है, उसके बारे में पता चलेगा, जलधारण क्षमता का सटीक आकलन होगा, भूमि का बेहतर उपयोग और प्रबंधन किया जाएगा, किसान नीति-निर्माताओं और शैक्षिक संस्थानों तथा शोधकर्ताओं को नीति-निर्माण के लिए यह डाटा उपलब्ध होगा।

अध्यक्ष महोदय, आईसीएआर ने जो काम किए हैं, उसने जिप्सम आधारित तकनीक का प्रयोग करके 2.2 बिलियन हेक्टेयर्स जमीन को री-क्लेम्ड करने का काम किया है। जल संरक्षण का काम 27,000 हेक्टेयर्स में हुआ है। ... (व्यवधान) सॉल्टी लैंड रीक्लेमेशन का काम 75,000 हेक्टेयर्स में हुआ है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, थोड़ा संक्षेप में बताइए।

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से बता रहा था कि हम क्या-क्या उपाय कर रहे हैं। इस तरह से ये सारे उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा आईसीएआर ने चावल की 16 विशेष बीजों की किस्में, जो सॉल्टी भूमि के लिए है, वह विकसित की हैं। गेहूँ की पाँच, सरसों की आठ और

चने की एक बीज विकसित की गई है। मिट्टी और जल संरक्षण के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है।

(1145/SJN/SNT)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, my specific question was something else. Though it not yet answered, I have to register it in the House. I asked if there is any international protocol under the United Nations. It was not answered. Please try to answer it later.

My second question is this. Land is a State subject; agriculture is a State subject. This country is an agricultural country. What type of coordination are you extending to the State Governments? Are you ready to start laboratories in the regional areas to facilitate the State Governments? All the State Governments cannot be expected to have it. The State of Tamil Nadu has it. The other State Governments may not have such scientific equipment. Is there any exclusive or special programme to establish laboratories at regional level, which can be given to State Governments with financial assistance to the States?

Thank you, Sir.

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि राज्य का विषय है, ऐसा विद्वान माननीय सदस्य कह रहे हैं। यह बात सच है। मैं अभी जिन योजनाओं के बारे में बता रहा था, केन्द्र सरकार इन सब योजनाओं को राज्य सरकारों के सहयोग से ही लागू करती है। अगर हम स्वॉयल हेल्थ के लिए लैब बनाते हैं, तो राज्य सरकारों के सहयोग से ही बनाते हैं। उनके साथ ही बनाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आईसीएआर अनेकों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय का काम भी कर रहा है। उसमें आईसीआरआई, एसएटी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं, जिनके साथ इस क्षेत्र में लगातार समन्वय के साथ काम हो रहा है।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, जहां से मंत्री जी ने शुरू किया है, मैं वहीं से शुरू करता है। “सब आए एक देश से, उतरे एक ही घाट, अजब आए इस मिट्टी में, तो कर दी बंदर बांट”।

माननीय मंत्री जी मेरा सवाल है कि आपने उसी मिट्टी की रख-रखाव की चिंता की है, यह अच्छी बात है। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उनके यहां से निकली हुई राख से खाद बनाई जा रही है। उस खाद की गुणवत्ता कितनी है, इस पर आपके पास क्या तकनीकी है या क्या तंत्र है? मेरे संसदीय क्षेत्र में तो खाद गायब है। पूरे देवरिया और बलिया जनपद में यूरिया और डीएपी नहीं है, लेकिन उस राख से बनाई जाने वाली खाद की वजह से, जो कि भूमि को गुणवत्ता को खराब कर रही है, आप उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, "आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास"।

मिट्टी के क्षरण को रोकने की बात है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि ये जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के सारे प्रयत्न (स्वॉयल हेल्थ कार्ड) हैं, ये सारे प्रयत्न इसलिए हैं कि मिट्टी किस प्रकार की है, उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है, कौन-सी खाद डैमेज है, उन पोषक तत्वों की आपूर्ति होगी, ये सारे कार्यक्रम सरकार चला रही है। अभी मैंने अपना उत्तर प्रारंभ करते समय उनका विवरण भी दिया था।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पर सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश भर में किसानों के लिए मोदी जी की सरकार की ओर से अनेक लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन लाभकारी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय कृषि मंत्रालय दिल्ली में भी रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर अमल कर रहा है? क्या दिल्ली में भी जैविक खाद का इस्तमोल करने वाले किसानों को किसी किस्म का प्रोत्साहन दिया जा रहा है? यदि ऐसी कोई योजना लागू की गई है, तो उसका विवरण क्या है?

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से ही अपनी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम करती है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की सरकार कई योजनाओं का लाभ नहीं उठा रही है। उसके कारण किसानों को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जहां तक जैविक खाद के उपयोग का प्रश्न है, जो किसान जैविक खाद से जैविक खेती करता है, हम सीधे उन किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित करते है, उनके खाते में सीधे पैसा डालते हैं।

(1150/SPS/AK)

दिल्ली में भी हम जैविक खेती करने वाले किसानों का पूरा सहयोग करेंगे और पूरी मदद करेंगे। मैं दिल्ली सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वहां भी किसानों की कल्याणकारी योजनाएं लागू हों। दिल्ली के आस-पास कृषि योग्य भूमि है और किसान हैं, तो उनके हित में योजनाएं लागू करने का काम करें।

(इति)

(Q. 304)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, GST is applicable on goods and services marketed by all cooperative societies, but non-application of GST to cooperative sector is very important as it will help in a big way to improve their profitability. Ultimately, it will help to ensure the livelihood of lakhs and lakhs of poor people like artisans, craftsmen, weavers, etc. employed in this sector.

I want to know this from the hon. Minister. Would the Government of India make any comprehensive study for better viability and to retrieve the ailing industries?

श्री मुरलीधर मोहोल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकार से जुड़ी वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी में वृद्धि, कमी अथवा छूट देने का मुद्दा जीएसटी कांउसिल के अधिकार में आता है, जिसमें प्रत्येक राज्य में एक मंत्री काउंसिल का सदस्य भी होता है। मेरा यह अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने राज्य सरकार के नामित मंत्री के माध्यम से जीएसटी काउंसिल में यह विषय उठा सकते हैं, क्योंकि यह जीएसटी काउंसिल तय करती है। हम केवल कोऑर्डिनेशन का काम कर सकते हैं, जिससे केन्द्र और राज्य के सम्मिलित प्रयास से इस मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा करके कार्रवाई की जा सकती है।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, contribution of cooperative societies are very high in terms of employment. According to estimates, by 2030 the cooperative sector in India is capable of providing 11 crore jobs and its share in GDP will be up to five per cent. Thus, this sector needs substantial support in order to abolish poverty.

Recently, the Minister of Cooperation from Tamil Nadu met the hon. Home Minister, hon. Amit Shah ji and requested for exemption of GST for cooperative societies. Has the Ministry of Home Affairs recommended this matter to the Finance Ministry? If so, what is the outcome of it?

श्री मुरलीधर मोहोल : माननीय अध्यक्ष महोदय, … (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the hon. Home Minister is here. He should reply to it. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : राज्य मंत्री भी जवाब दे सकते हैं। सब को नियमों और प्रक्रियाओं में व्यवस्था है।

श्री मुरलीधर मोहोल : माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री ने जो निवेदन किया था, उस पर ही चर्चा की है। उसमें से कुछ पॉइंट्स यहां पर उसमें आए हैं और उसी के तहत आपने मुद्दा उठाया था। उसमें एक मुद्दा जीएसटी का भी था, जिस पर मैंने यहां जवाब दिया है। बाकी जो चीजें हैं, उन पर विस्तृत रूप से आपके तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री से एक बार बात करके, उनके साथ बैठकर उनके जो मुद्दे हैं, उन पर काम करेंगे।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : सर, रिप्लाई में पेज नंबर 8 और 9 पर जो लिखा है, उसमें सर ने कहा है कि एनसीडीसी का जो फण्ड आता है, वह कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को भी दिया जाता है। यह उन्होंने रिप्लाई में कहा है। बहुत सारी कोऑपरेटिव मिल्स महाराष्ट्र में भी हैं। एनसीडीसी से पैसा महाराष्ट्र जरूर जाता है और केन्द्र सरकार पैसा भेज देती है। महाराष्ट्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार को उसमें अधिकार होता है। रावसाहेब घोडगंगा कारखाना या राजगढ़ शुगर फैक्ट्री को यहां से पैसा अप्रूव होकर गया है, लेकिन स्टेट

गवर्नमेंट ने आगे नहीं दिया है। इस मामले में सरकार क्या करेगी? उनको फिर कोर्ट जाना पड़ता है। केन्द्र सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार या कोई राज्य सरकार डिस्बर्समेंट नहीं कर रही है। इस पर यह सरकार क्या एक्शन लेगी? यह उन्होंने अपने रिप्लाई में पेज नंबर 8 और 9 पर कहा है।

(1155/MM/UB)

श्री मुरलीधर मोहोल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एनसीडीसी के माध्यम से दो तरह से चीनी मिलों को अर्थ सहायता दी जाती है, एक तो सीधे एनसीडीसी के माध्यम से भी हम दे सकते हैं और दूसरा है कि राज्य सरकार जिसकी गारंटी लेती है, ऐसी कुछ चीनी मिलों को हम राज्य सरकार के द्वारा यहां अनुदान और सहायता देते हैं। माननीय सदस्या ने जो शंका व्यक्त की है और जो मुद्दा रखा है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम राज्य सरकार को यहां से मदद करते हैं और राज्य सरकार की नीति होती है और उनके पास जो प्रस्ताव आते हैं, उनको वह देते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है कि हमने यहां से दिया है, वहां नहीं मिला है तो बिलकुल उसकी जांच होगी और सहायता की जाएगी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में चीनी मिलों के लिए तकरीबन चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सहायता दी गयी है, इसमें कोई पार्टी और दल नहीं देखा जाता है। इसमें चीनी मिलों को सहायता देने की भूमिका होती है। महाराष्ट्र में सहाकारिता बहुत बड़ी है तकरीबन 60-70 परसेंट जनसंख्या सहकारिता से जुड़ी हुई है। सहकारिता से समृद्धि के मंत्र पर हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और माननीय अमित भाई जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। पार्टी और दल से ऊपर उठकर, हर किसी की मदद करने की हमारी भूमिका है। मैं इस पर ध्यान रखूंगा।

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी क्षेत्र महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। देश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने हेतु देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और देश के गृह मंत्री माननीयय अमित भाई शाह जी सहकारिता मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में यह मंत्रालय काम करता है। केन्द्र सरकार देश भर में सहाकारिता को बढ़ावा देने का काम इस मंत्रालय के माध्यम से करती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रालय के प्रयास से प्राथमिक कृषि सहकारी समिति और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के क्रेडिट डिपोजिट एवं कैश लोन की सीमा में वृद्धि होगी या नहीं?

श्री मुरलीधर मोहोल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में सहकारिता समृद्धि के विजन को प्राप्त करने के लिए हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में, जब से सहकारिता मंत्रालय बना है, सहकारिता क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इंजन बनाने के लिए पिछले तीन साल में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। आप सब जानते हैं कि पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है।

1158 बजे (श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

इससे छोटे और सीमांत किसान जुड़े हुए हैं। इन सहकारी संस्थाओं में पहले नकद जमा और नकद ऋण की सीमा प्रति सदस्य केवल 20 हजार रुपये थी। इसे बढ़ाकर अब दो लाख रुपये कर दिया गया है। यह कदम इन आर्थिक संस्थाओं के कार्य को सुविधाजनक बनाएगा। इससे उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी तथा समितियों के साथ जुड़ा किसान लाभान्वित होगा।

(इति)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय**) :** क्वैश्चन नंबर 305।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव।

(PP.17-30)

(Q.305)

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Madam, as per the information provided by the Ministry, for the last five years, the percentage share of SEZ exports in relation to the total exports of Odisha has not been very promising. Therefore, my question is, what reforms is the Ministry envisaging to revitalise the SEZs in order to boost exports and convert them into environment-friendly zones?

SHRI JITIN PRASADA: Madam, regarding the increase in exports, I wish to inform the hon. Member that, in the year 2022-23, 30 per cent share of exports was there specifically for Odisha.

(1200/RCP/YSH)

In 2023-24, it was 32 per cent. So, the exports are growing. However, the concern of the Member is that they are not growing in the proportion and the speed that is needed. But about the overall picture as far as India is concerned, I would like to inform, through you, the hon. Member, employment through SEZs, in 2013-14, was 1,28,000 approximately which has reached 31,94,000 in 2023-24. As far as exports are concerned, the value was about Rs. 49,477 crore which has grown seven per cent over the previous year. So, the exports are growing but certain reforms have been taken up and they are in the process where we are easing the issues related to the SEZs. I can tell the Member that regarding the Domestic Tariff Area (DTA), which is outside the SEZ, there is a conflict. But the Government ensures that there is a level playing field between the people within the SEZ and the DTA area. If there is a vacancy of 20 per cent land in the SEZ, we have gone in for a reform where the DTA can be on the 20 per cent of the area of the SEZ. There is single window of clearances, work from home for the IT-related issues of SEZs, and denotification of SEZs has also become simpler. So, these are the reforms that the Government is carrying out.

(ends)

QUESTION HOUR OVER

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए आज अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर – 2, श्री जितिन प्रसाद जी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Madam, with your permission, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the India Trade Promotion Organisation, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the India Trade Promotion Organisation, New Delhi, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2023-2024.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coffee Board, Bengaluru, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Coffee Board, Bengaluru, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coffee Board, Bengaluru, for the year 2023-2024.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2023-2024.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gem & Jewellery Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gem & Jewellery Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2023-2024.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the CHEMEXCIL, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the CHEMEXCIL, Mumbai, for the year 2023-2024.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2023-2024.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the CAPEXIL, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the CAPEXIL, Kolkata, for the year 2023-2024.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2023-2024.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the PLEXCONCIL, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the PLEXCONCIL, Mumbai, for the year 2023-2024.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tea Board, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tea Board, Kolkata, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tea Board, Kolkata, for the year 2023-2024.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Spices Board of India, Kochi, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Spices Board of India, Kochi, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Spices Board of India, Kochi, for the year 2023-2024.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the SEEPZ-SEZ Authority, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the SEEPZ-SEZ Authority, Mumbai, for the year 2023-2024.

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2023-2024.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2023-2024.

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2023-2024.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Kurukshetra, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Design, Kurukshetra, for the year 2023-2024.

(18) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Export Insurance Accounts Trust, Mumbai, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the audited accounts of the National Export Insurance Accounts Trust, Mumbai, for the year 2023-2024.

(19) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 17 of the Export (Quality, Control & Inspection) Act, 1963:-

(i) The Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2024 published in Notification No. S.O. 1465 in Gazette of India dated 3rd August, 2024.

(ii) The Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2024 published in Notification No. S.O. 1466 in Gazette of India dated 3rd August, 2024.

(20) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016:-

(i) The Bicycles – Retro Reflective Devices (Quality Control) Amendment Order, 2024 published in Notification No. S.O. 4569(E) in Gazette of India dated 18th October, 2024.

(ii) The Electrical Appliances for Commercial Dispensing and Vending (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 4568(E) in Gazette of India dated 18th October, 2024.

(iii) The Cookware, Utensils and Cans for Foods and Beverages (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 4494(E) in Gazette of India dated 14th October, 2024.

(iv) The Cross Recessed Screws (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 4099(E) in Gazette of India dated 20th September, 2024.

(v) The Safety of Household, Commercial and Similar Electrical Appliances (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 4098(E) in Gazette of India dated 20th September, 2024.

(vi) The Hinges (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 2982(E) in Gazette of India dated 26th July, 2024.

(vii) The Bolts, Nuts and Fasteners (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 2771(E) in Gazette of India dated 15th July, 2024.

(viii) The Toys (Quality Control) Amendment Order, 2024 published in Notification No. S.O. 4277(E) in Gazette of India dated 1st October, 2024.

(ix) The Insulated Flask, Bottles and Containers for Domestic Use (Quality Control) Amendment Order, 2024 published in Notification No. S.O. 3705(E) in Gazette of India dated 30th August, 2024.

(x) The Flame – Producing Lighters (Quality Control) Amendment Order, 2024 published in Notification No. S.O. 4230(E) in Gazette of India dated 24th September, 2024.

(xi) The Potable Water Bottles (Quality Control) Amendment Order, 2024 published in Notification No. S.O. 3702(E) in Gazette of India dated 30th August, 2024.

(xii) The Aluminum and Aluminum Alloy Products (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 4696(E) in Gazette of India dated 28th October, 2024.

(xiii) The Electrical appliances for domestic clothes washing (Quality Control) Order, 2024 published in Notification No. S.O. 4815(E) in Gazette of India dated 5th November, 2024.

(xiv) The Gypsum based Building Materials (Quality Control) Amendment Order, 2024 published in Notification No. S.O. 5058(E) in Gazette of India dated 25th November, 2024.

(xv) The V-Belt (Quality Control) Amendment Order, 2024 published in Notification No. S.O. 4880(E) in Gazette of India dated 12th November, 2024.

(21) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 33 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972:-

(i) S.O.3470(E) published in Gazette of India dated 14th August, 2024 appointing the 16th day of August, 2024 as the date on which the provisions of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 in so far as it relates to serial No. 19 and the entries thereto in the Schedule to the said Act shall come into force.

(ii) The Marine Products Export Development Authority (Adjudication of Penalties) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 501(E) in Gazette of India dated 14th August, 2024.

(22) A copy of the National Institute of Design, Haryana Ordinances, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. NIDH/GA/06/05/22-23 in Gazette of India dated 3rd December, 2024 under sub-section (2) of Section 40 of the National Institute of Design Act, 2014.

(23) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the MMTC Limited, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the State Trading Corporation Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the State Trading Corporation Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the ECGC Limited, Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the ECGC Limited, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्या 9) - मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर विभाग - राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर द्वारा 'डिस्टिलरी और ब्रेवरीज' के व्यवसाय में कार्यरत करने वाली कंपनियों के मूल्यांकन की जांच पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 10)-आयुध निर्माणियाँ-(अनुपालन लेखापरीक्षा-रक्षा)।

(तीन) मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 11) (रक्षा सेवाएं-सेना)-अनुपालन लेखापरीक्षा-रक्षा।

(चार) मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ (2024 का संख्यांक 13) सरकार (राजस्व विभाग – प्रत्यक्ष कर)।

(पांच) मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 14) आयकर निर्धारितियों संबंधी बकाया मांग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा-राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर।

(छह) मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 15) - भारतीय वायु सेना, रक्षा सेवाएँ (वायु सेना) में पायलटों का प्रशिक्षण- (निष्पादन लेखापरीक्षा-रक्षा)।

(सात) मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार-(2024 का संख्यांक 16)-रक्षा सेवाएं (वायु सेना)-(अनुपालन लेखापरीक्षा-रक्षा)।

(आठ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2024 का संख्यांक 17)-निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा-राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क।

(नौ) वर्ष 2023-2024 के लिए संघ सरकार (सिविल) के विनियोग लेखे।

(दस) वर्ष 2023-2024 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे।

(2) प्रारूप अधिसूचना संख्या 3/4/2022-ईएम जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जानी है, तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं अधिनियम, 2019 की धारा 31 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थान, जैसा भी मामला हो, पर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 25 लागू नहीं होगी, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Respected Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section (6) of the Article 338A of the Constitution:-

(i) A copy of the Annual Report of the National Commission for Scheduled Castes, New Delhi, for the years 2020-2021 and 2021-2022.

(ii) Explanatory Memorandum on the recommendations contained in the Annual Report of the National Commission for Scheduled Castes, New Delhi, for the years 2020-2021 and 2021-2022.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय कृषक कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) लक्षद्वीप मूल्य वर्धित कर विनियम, 2022 की धारा 114 के अंतर्गत दिनांक 13 दिसंबर, 2022 के लक्षद्वीप के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 101/01/2022-पीएसएंडटी (वैट) में प्रकाशित लक्षद्वीप मूल्य वर्धित कर नियम, 2022 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) लक्षद्वीप सहकारी समितियां विनियम, 2022 की धारा 139 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 8 नवंबर, 2023 को लक्षद्वीप के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 41/4/2022-कॉप में प्रकाशित लक्षद्वीप सहकारी समितियां नियम, 2023 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गृह मंत्रालय सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख' युद्धक आर्मर काडर पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 12 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 137 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गृह मंत्रालय सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख' युद्धक आर्मर काडर पद भर्ती नियम, 2012 जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 357 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Rural Livelihoods Promotion Society, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Rural Livelihoods Promotion Society, New Delhi, for the year 2023-2024.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2024-2025 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम**, 2013** की धारा **394** की उप**-**धारा **1(**ख**)** के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक**-**एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**):-**

(एक**)** भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो**)** भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

1204 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Speaker Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Bhagirath Choudhary, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi, for the year 2022-2023, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi, for the year 2022-2023.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA): Respected Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Heavy Engineering Corporation Limited, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Heavy Engineering Corporation Limited, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the HMT Limited, Bengaluru, and its subsidiaries, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the HMT Limited, Bengaluru, and its subsidiaries, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Rajasthan Electronics and Instruments Limited, Jaipur, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Rajasthan Electronics and Instruments Limited, Jaipur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Engineering Projects (India) Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Engineering Projects (India) Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Fluid Control Research Institute, Palakkad, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Fluid Control Research Institute, Palakkad, for the year 2023-2024.

(3) (i) A copy each of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Automotive Board, New Delhi, for the years 2013-2014 to 2015-2016, alongwith audited accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Automotive Board, New Delhi, for the years 2013-2014 to 2015-2016.

(4) Three Statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(1205/PS/RAJ)

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN): Hon. Speaker, Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the year 2023-2024.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI PABITRA MARGHERITA): Hon. Speaker, Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Fashion Technology, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Fashion Technology, New Delhi, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Handloom Export Promotion Council, Chennai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Handloom Export Promotion Council, Chennai, for the year 2023-2024.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Carpet Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Carpet Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2023-2024.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles & Management, Coimbatore, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles & Management, Coimbatore, for the year 2023-2024.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi, for the year 2023-2024.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ahmedabad Textiles Research Industry's Associations, Ahmadabad for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ahmedabad Textiles Research Industry's Associations, Ahmadabad, for the year 2023-2024.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi,, for the year 2023-2024.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2023-2024.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2023-2024.

(10) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Handloom Development Corporation Limited, Noida, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the National Handloom Development Corporation Limited, Noida for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) A copy of the Review by the Government of the working of the National Jute Manufacturers Corporation Limited, Kolkata, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the National Jute Manufacturers Corporation Limited, Kolkata, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item No (b) of (10) above.

माननीय अध्यक्ष : श्री के.सी. वेणुगोपाल – उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय जी।

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
5th to 9th Reports

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Speaker, Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Public Accounts (2024-25):-

(1) Fifth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 93rd Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Blockage of Capital due to Non-Completion of Approach Roads: Central Railway'.

(2) Sixth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 120th Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Short Assessment of Rent'.

(3) Seventh Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 96th Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Injudicious Procurement of an Additional CNC Horizontal Boring and Milling Machine: Patiala Locomotive Works'.

(4) Eighth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 99th Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Extra Expenditure due to Delay in Finalizing Power Purchase Agreements through Open Access: West Central Railway'.

(5) Ninth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 102nd Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Loss of Opportunity to Earn Additional Freight and Extra Expenditure on Haulage: South Western Railway'.

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING

1st to 6th Reports

SHRI CHARANJIT SINGH CHANNI (JALANDHAR): Hon. Speaker, Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing (2024-25):-

(1) First Report on Demands for Grants (2024-25) pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare).

(2) Second Report on Demands for Grants (2024- 25) pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agricultural Research and Education).

(3) Third Report on Demands for Grants (2024-25) pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Fisheries).

(4) Fourth Report on Demands for Grants (2024-25) pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying).

(5) Fifth Report on Demands for Grants (2024-25) pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

(6) Sixth Report on Demands for Grants (2024-25) pertaining to the Ministry of Cooperation.

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
पहला से छठवां प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के बारे में वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

(2) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (मांग सं. 20 और 21) के बारे में वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

(3) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति और रक्षा आयोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21)' के बारे में वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

(4) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) – नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

(5) 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) ।

(6) 'देश में जिला सैनिक बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) ।

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
4th Report

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Hon. Speaker, Sir, I beg to present the Fourth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj on action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirty-seventh Report (17th Lok Sabha) on 'Rural Employment through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) – An insight into wage rates and other matters relating thereto' (2023-24) pertaining to Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आइटम 18 और आइटम नम्बर 19, संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 दो बिल्स को इंट्रोड्यूश करने के लिए एक साथ लेते हैं। दोनों बिल्स एक ही हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों के इस विषय पर नोटिस प्राप्त हुए हैं। पूर्व में भी यह परंपरा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक के समय भी एवं वर्ष 1979 के टाइम भी, वर्ष 1981 के टाइम भी, वर्ष 1986 के टाइम भी अलग-अलग संविधान संशोधन और अन्य विधेयकों के समय भी, दलों के प्रमुख नेताओं को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की परंपरा पूर्व में रही है। मेरा आग्रह है कि जो दल के नेता है, वे अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। जब बिल आएगा, उस समय आप डिटेल मे चर्चा कर सकते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-NINTH AMENDMENT) BILL
AND
UNION TERRITORIES LAWS (AMENDMENT) BILL

1208 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker Sir, with your permission, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

and

Hon. Speaker Sir, with your permission, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Government of Union Territories Act, 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019.

(1210/SMN/KN)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

और

"कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): A Constitutional Amendment Bill, which is changing drastically the electoral process of our country, has to be introduced separately. That introduction has to be discussed, and then the House has to take the other Bill. Otherwise, it will be not fair as far as Constitutional Amendment is concerned.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने आपको कहा है कि आप दोनों विषयों पर एक साथ बोलेंगे। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन भी अलग-अलग होगा और पासिंग भी अलग-अलग होगी मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि आप दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा करें। मैंने अलग-अलग पेश करने के लिए बोला है और माननीय मंत्री जी ने भी अलग-अलग पेश किया है। लेकिन इस पर चर्चा करते समय मैंने जॉइंट करने के लिए कहा है।

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Thank you very much Mr. Speaker, Sir.

I rise to oppose the introduction of the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024 and the Union Territories Laws (Amendment) Bill, 2024.

Mr. Speaker, Sir, beyond the Seventh Schedule of the Constitution is the basic structure doctrine and that basic structure doctrine spells out certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy and, therefore, the Bills, which have been moved by the hon. Minister of Law and Justice, absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House and, therefore, they need to be opposed *ab-initio* and the introduction of those Bills have to be stopped.

Number two, Mr. Speaker, Sir, how is it possible under our Constitutional scheme that the tenures of the State Legislatures can be made subject to the tenure of the National Legislature? That is completely anti-thesis of the Constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian Constitutional scheme where the States are separate constituents and equal constituents, the term of State Legislatures can be made subject to the term of the National Legislature. And my final point Mr. Speaker, Sir, India is a Union of States. Article 1 of the Constitution states that India is a Union of States and not vice-versa. Therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this Bill, absolutely militates against the Constitutional scheme in its essence, in its entirety and in its very object. Therefore, Mr. Speaker, Sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the Bill and the consideration of the Bill - because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Keshavananda Bharti case - is beyond the legislative competence of this House and, therefore, this Bill needs to be withdrawn immediately.

Thank you, Mr. Speaker, Sir.

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी दो दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखीं। दो ही दिन के अंदर, संविधान की हमारी जो मूल भावना है, दो ही दिन के अंदर, हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दो ही

दिन के अंदर, हमारे संविधान का जो संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं।

(1215/VB/RP)

मैं मनीश तिवारी जी से सहमत हूँ। मैं अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि यह बिल देश की जो अलग-अलग वेश, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जिनको हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच-विचार करके, मंथन-अध्ययन करके यह संघीय ढाँचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से एवं परिस्थितियों और समय के हिसाब से किया था। मैं यह नहीं समझता, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से ज्यादा विद्वान इस सदन में भी अभी कोई नहीं बैठा है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। संविधान की मूल भावना को खत्म करके, कैसे ... (*Expunged as ordered by the Chair*) के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। जैसा कि मनीश तिवारी जी ने कहा, अगर किसी विधान सभा के चुनाव में अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या आप पूरे देश का चुनाव कराएंगे? ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं, जो आठ विधान सभाओं के चुनाव भी एक साथ नहीं करा पाते हैं।... (व्यवधान) आप मौसम देखकर तारीखें बदलते हैं।... (व्यवधान) वे लोग बात करते हैं- एक देश, एक चुनाव की।

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं आपके माध्यम से, देश के जन-मानस से कहना चाहता हूँ कि ये ... (*Expunged as ordered by the Chair*) लाने के नित नये रास्ते लाते हैं। जो आठ विधान सभाओं के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, चार राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वे पूरे देश की लोक सभा और सारे प्रांतों की विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने की बात करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : कृपया अपनी बातों का रिपीटिशन न करें।

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक प्रांत के अन्दर सरकार गिरती है, तो क्या पूरे देश की लोक सभा के चुनाव कराएंगे? ... (व्यवधान) लोक सभा के चुनाव के चक्कर में, उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? ... (व्यवधान) आप चर्चा कर लेना।... (व्यवधान) आपके पास कुछ नहीं बचा है।... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा-सा सिस्टम में लाएं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, सरकार से मेरा अनुरोध है कि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि संविधान विरोधी, संघीय ढाँचा विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी, यहाँ पर मनीश तिवारी जी ने कई केसेज की चर्चा की, मैं खुद को उनके साथ जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो।... (व्यवधान) यह मेरी प्रार्थना है।... (व्यवधान)

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, संसद के अन्दर हर विषय की अलग-अलग प्रक्रिया होती है। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो उस पर बोलने की प्रक्रिया अलग होती है, संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पर जो चर्चा हुई, उस पर बोलने की प्रक्रिया अलग होती है, आप जिस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वह नियम 72 के तहत है। इसलिए मेरा आप सब से आग्रह है कि नियम 72 के परिप्रेक्ष्य में, हम संसद की मर्यादा, परम्परा और उसकी चर्चा को उच्च कोटि की बनाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आग्रह है।

… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, अगर मेरा एक भी शब्द अमर्यादित हो, तो उसे रिकॉर्ड से निकाल दें।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस तरह से बीच में नहीं बोलते हैं। प्लीज, बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने यह किसी को नहीं कहा कि मर्यादित या अमर्यादित बोला गया। मैंने कहा कि नियम 72 के परिप्रेक्ष्य में आपको बिल का विरोध करने का आपका अधिकार है। वह भी विधेयक की विधायी क्षमता या लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस के विषय पर है। चूंकि विषय गम्भीर है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ कि नियम के परिप्रेक्ष्य के अन्दर आप अपनी बात को कहें, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप आप अपनी बात कहें। मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूँगा। लेकिन जब बिल पर डिटेल्ड चर्चा होगी, तो आप जो भाषा बोल रहे हैं, उसे आपको बोलने का अधिकार रहेगा। सभी इस बात से सहमत हैं?

हम आपको बोलने का मौका देंगे। आप दोनों में से तय कर लें कि कौन बोलेंगे।

(1220/VR/PC)

चलिए, मैं आप दोनों को दो-दो मिनट का समय देता हूं।

श्री कल्याण बनर्जी जी – पहले आप बोल लें।

… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, under our Constitutional scheme, the basic structure of the Constitution is read in between the lines. This proposed Bill hits the basic structure of the Constitution itself. If any Bill or any Act which hits the basic structure of the Constitution, then that is *ultra vires*.

Sir, the proposed Article 83 sub-Article 5 is just contrary to Article 83 sub-Article 2. It is just contrary. Either you keep Article 83(2) or 83(5). Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other.

Then, the effect of the proposed Article 82A sub-Article 3 establishes that the tenure of a State Legislative Assembly depends upon the tenure of the

House of the People. It is not a doctrine of pleasure. The doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But the mandate given by the people of the country to the State Assemblies cannot depend upon the doctrine of pleasure of this House. How can it be? This is inconsistent. It cannot be accepted.

We must remember that the State Governments and the State Legislative Assemblies are not subordinate to the Central Government or to the Parliament itself. This Parliament is having the power to legislate law under the Seventh Schedule, List-1 and List-3. Similarly, the State Legislative Assembly is having the power to legislate law under the Seventh Schedule, List-2 and also List-3. Subject to that, it would not be contrary. So far as Concurrent List is concerned, it would not be contrary to Article 254 of the Constitution. Therefore, the autonomy of the State Legislative Assemblies is being taken away through this process. That is *ultra vires*. That hits the basic structure of the Constitution.

Sir, now I come to Article 82A sub-Article 5. Unfortunately, I cannot think about it. Really, I cannot think that Article 82A sub-Article 5 is giving an uncanalised power to the Election Commission of India. We do not have any value. Will the Election Commission of India decide everything? A party cannot remain the ruling party till doomsday. One day, it will be changed. *....(Interruptions)*

Sir, why a law to provide State funding to conduct elections is not brought? Every problem will be resolved. Then, you can conduct elections. How much money is being spent? All elections should be conducted through the State Election Fund. Why are we not bringing that law? That will bring the real election reforms. This is not an election reform. *....(Interruptions)* Sir, I have not finished yet. *....(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, जब बिल पर डिबेट होगी, तब मैं आपको पूरा समय दूंगा।

… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, it is not the election reforms. It is just the fulfilment of one gentleman's desire. This is nothing more than that. *....(Interruptions)* No, it is not permitted *....(Interruptions)*

Sir, we have heard the speech of the hon. Prime Minister regarding the First Amendment to the Constitution. Dr. B.R. Ambedkar said, 'We are giving a draft Constitution to the country, and the country will make the amendments.'

(1225/SAN/IND)

Pandit Jawaharlal Nehru had not brought any amendment to the Constitution which had really hit the basic structure. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, प्लीज आधे मिनट का समय दीजिए। आप इतना रूठा मत कीजिए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): This is not done.

This Government had brought an amendment to the Constitution, that is, the National Judicial Appointments Commission Bill. It was passed. It was struck down by the Supreme Court because it hit the basic structure of the Constitution. There are so many amendments they have brought.

We are opposing the introduction of this Bill. At the same, I would request that at the time of voting, kindly take a division. We want to oppose it and we will show our strength.

माननीय अध्यक्ष : बालू जी, आप बोलेंगे या कनिमोझी जी बोलेंगी। आप डिसाइड कर लीजिए।

प्रो. सौगत राय (दम दम) : अध्यक्ष जी, आपके पास नोटिस गया होगा कि कौन बोलेगा।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। बालू जी को बोलने की इजाजत दी है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आपका नोटिस है। आपको बोलने का समय देंगे, लेकिन अभी बालू जी को बोलने की इजाजत दी है।

… (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, regarding the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, my leader Mr. M.K. Stalin has said and I quote:

> "It is anti-federal and impractical. It will push the country into the perils of a unitary form of governance, killing its diversity and democracy in the process."

Sir, I want to know how you could allow this Bill … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : दादा, आपका नोटिस है, आपको बोलने का समय देंगे। आप बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, when the Government is not having two-third majority, how could you allow this piece of legislation in this House? I want to know this. It needs two-third majority.

माननीय अध्यक्ष : बालू जी, अभी प्रस्ताव रखा गया है। मैं एलाऊ नहीं करता हूं, संसद एलाऊ करती है।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the electors have the right to elect a Government for five years and the same cannot be curtailed by way of holding simultaneous elections.

The simultaneous elections would incur an additional cost of Rs. 13,981 crore. In addition, Rs. 9,284 crore will be required for the procurement of EVM-VVPATs to meet the requirement of simultaneous elections.

The Parliamentary Standing Committee in its 79th Report in 2015 had concluded and I quote:

> "Gaining consensus of all the political parties may be difficult, and holding simultaneous election may not be feasible."

Sir, with these words, I want to conclude. At the same time, I request the Government to take the matter to the JPC so that it can be discussed there. Thereafter, the Bill may be brought to the House.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : आप लोग निश्चिंत रहें। मैं सभी को बोलने का अवसर दूंगा। जिसका नोटिस नहीं भी है, उसे भी बोलने का समय देंगे।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I will speak later. First, he will speak. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप आपस में डिसाइड कर लीजिए कि कौन बोलेगा। केवल एक सदस्य को मौका मिलेगा।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation, One Election Bill. … (*Interruptions*) Sir, our party's guiding force, Shri Nara Chandrababu Naidu … (*Interruptions*)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अध्यक्ष जी, हाउस नियम से चलना चाहिए। यह गलत है। हम अपोज कर रहे हैं। अभी रूल 72 के तहत चर्चा हो रही है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठ जाएं। रूल 72 के तहत चर्चा हो रही है, लेकिन वक्फ कमेटी के समय भी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ बोलिए।

... (व्यवधान)

(1230/RV/SNT)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : अध्यक्ष महोदय, आपने शुरू में ही हाउस की 'सेंस' लेकर बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा और उसका उदाहरण भी आपने दिया। दो बिल्स को एक साथ क्लब करके चर्चा के समय उस पर एक साथ चर्चा करेंगे, पर उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा। चूंकि एक पार्टी से कई नोटिसेज़ आए हैं और किसी पार्टी से कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन यह विषय गम्भीर है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स को इस पर अपने-अपने मत रखने का मौका देंगे।... (व्यवधान) यह माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है।... (व्यवधान) 'ऑल द फ्लोर लीडर्स' का मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ से है।... (व्यवधान) सिर्फ आप लोग ही इस संसद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए।... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : माननीय अध्यक्ष जी, आप निष्पक्ष रहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप लोग बैठिए। मैं आप लोगों को बोलने की अनुमति दूंगा। अभी मैं इस पर रूलिंग दे रहा हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग रूल्स की किताब लेकर बैठे हैं, मैं भी रूल्स की किताब लेकर बैठा हूं। अभी मैं इस विषय पर रूलिंग देता हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे टिप्पणी मत कीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I express my very strong opposition for the introduction of this Bill because of some pertinent reasons.

This is really an attack on democracy, the Constitution, and the federalism of India. If this amendment Bill is implemented, some States will have tenure for even less than three years, which is against the vision mandated for the voters of this country. If this proposed Bill is implemented in this way, the significance

of local issues will be undermined. That is another thing I want to point out. It is because of this pertinent reason I vehemently oppose this.

SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Thank you, Speaker Sir.

Sir, I rise to oppose the introduction of the Bill. The Republic of India is a Union of States. By considering this Bill, it will be a direct attack on federalism and it will be, sort of, undermining the entity of States. The basic idea of introducing the Bill is that expenditure goes on unabated while elections are conducted, not simultaneously but in different phases. Another reason which is being given is that the Model Code of Conduct which comes into operation during elections halts the developing process of the States, and that affects the country as a whole.

Sir, here my basic opposition, as I said, is that the legislative competence of the States should not be undermined. It is federalism which is being practiced, and that is the reason why I am opposing this. I would say only one thing. The Election Commission of India's competence itself should be checked. The Election Commissioners should come by way of elections. They should go through the election process and get elected by the people because of what we have witnessed during the last two to three years. The decision which was given by the Election Commission in the State of Maharashtra is not accepted according to the democratic principles enshrined in the Constitution. So, I oppose this Bill.

माननीय अध्यक्ष : गौरव गोगोई जी के बोलने के बाद मैं रूलिंग दूंगा। पहले गौरव गोगोई जी बोल लें।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, आप बोलिए कि क्या यह चर्चा है या नियम - 72 के अधीन प्रक्रिया है?… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वह उस विषय को किस तरीके से लेते हैं।

नियम - 72(1) का पहला परंतुक वर्णित करता है कि 'यदि विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि विधेयक की विषय-वस्तु इस सभा की विधायनी क्षमता से परे है।….' अब सबसे पहले वक्ता माननीय मनीष तिवारी जी ने यह विषय रखा तथा दूसरे वक्ताओं ने भी रखा। यह विधायनी क्षमता से परे है।

इसीलिए जब उन्होंने यह विषय रखा। इस नियम में यह भी लिखा है - '...तो अध्यक्ष द्वारा अन्य सदस्यों को विधेयक के उपबंधों पर अपने मत रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।' इसके तहत हमने उन्हें अपने विचार रखने की अनुमति दी।

अब गौरव गोगोई जी, आप बोलिए।

(1235/GG/AK)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, इसका मतलब है कि रूल नंबर 72 के बाहर जा सकते हैं, धन्यवाद। ... (व्यवधान)

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : सर, एक मिनट।

गौरव जी, नियम 72 के बाहर भी जा सकते हैं। ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : वही तो पूछ रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : एक सैकेंड रुकिए। अध्यक्ष जी, ने जो बोला है, उसको मैंने ध्यान से सुना है। उन्होंने नियम 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि माननीय सदस्य, मनीष तिवारी जी ने नियम 72 का हवाला दे कर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है का मतलब विरोध ही करना है। मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कि पक्ष में भी बोल सकते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, इस नियम में संक्षेप में लिखा है।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : मैं आदरणीय गृह मंत्री को यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे, तो भी वह समर्थन नियम 72 पर ही रह सकता है। जनरल वह चर्चा पर नहीं ला सकते हैं, समर्थन के लिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ ठीक है।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, ये जो दो कानून हैं - the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, and the Bill further to amend the Government of Union Territories Act, 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019. ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने की जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उन पर आक्रमण है और हम इसका पुरज़ोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार यह है कि सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहां पर ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। इससे पहले कभी चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाई है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं है, यह आर्टिकल 324 में है। जहां पर इलेक्शन कमीशन को कैसे सुपरवाइज़ करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, बस वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं की सीमा बनायी गई है। लेकिन इस

संविधान संशोधन ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक, गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परामर्श लेते हैं। वे कभी भी चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। यह एक गैर संवैधानिक ढांचा इन्होंने बनाया है। राष्ट्रपति जी काउंसिल ऑफ मिनस्टिर्स की एडवाइज़ लेते हैं, जो आर्टिकल 74, भारत के संविधान में है या आर्टिकल 356 ऑफ कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, वे सिर्फ गवर्नर के रिक्मेंडेशन पर ले सकते हैं। ये पहली बार ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग की रिक्मेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। हम पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाए जाते हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्ज़िक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और ज्यूडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दी गई है कि वे अपने सुप्रिटेंडेंट से एक नए आर्टिकल 82(a) के द्वारा अब वे विधान सभाओं को भंग कर सकते हैं। यह एक्सेसिव पॉवर चुनाव आयोग को इस बिल में भी दी गयी है और राष्ट्रपति जी को भी दी गयी है। यहां पर यह मुद्दा उठाया है कि चुनाव आयोग का जो खर्च है, वह कम करना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने खुद कबूल किया है कि वर्ष 2014 के चुनावों में कितना पैसा खर्च हुआ – लगभग 3,700 करोड़ रुपये खर्च हुए। इन 3,700 करोड़ रुपये के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं। यह पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और आर्टिकल-14 एक नागरिक को वोट देने का अधिकार देते हैं। वह जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो फाइव ईयर टर्म है, आर्टिकल 83(2) में, हाऊस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो फाइफ ईयर टर्म है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं।

(1240/MY/UB)

यह नीति आयोग की एक गलत रिपोर्ट के आधार पर कहना चाहते हैं कि फाइव ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। फाइव ईयर टर्म अनिवार्य है।... (व्यवधान) वे नीति आयोग की रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, जो इस प्रकार का परामर्श दे।... (व्यवधान)

मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रचार से पूरे भारत के चुनाव को ... (*Expunged as ordered by the Chair*) तो हम यह ... (*Expunged as ordered by the Chair*) नहीं होने देंगे।... (व्यवधान) हम इस बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैंने कहा है कि आप संक्षेप में अपनी बात रखें। चाहे कोई भी दल हो, वह संक्षेप में अपनी बात रखे। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आप सब ने नोटिस दिया है। नोटिस पर सबका अधिकार बनता है। मैंने आपको एक व्यवस्था दे दी है। पूर्व में भी यह व्यवस्था थी। मैंने आपको बता दिया है कि पूर्व में भी यह व्यवस्था व परंपरा रही है। मैंने आपको हवाला भी दे दिया है कि यह कब-कब हुआ है। आप चाहें तो इसे दोबारा निकाल सकते हैं। एक दल से एक ही व्यक्ति बोले और संक्षिप्त में अपनी बात को कह दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दादा, क्या आपकी पार्टी ने आपको मौका दिया है? आप एक मिनट के लिए चुप रहिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: चंद्रशेखर जी, आप अपनी बात कह दें।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's 'One Nation, One Election Bill'.

Sir, our Party's guiding force, Shri Nara Chandrababu Naidu ji, has always championed transformative ideas, and is well recognized and respected as a visionary leader. The Telugu Desam Party is deeply committed to nation-building initiatives, such as 'Viksit Bharat 2047', and aims to align them with 'Viksit Andhra 2047', reflecting the true spirit of cooperative federalism and a shared vision for progress and development.

There are several advantages of 'One Nation, One Election', but I would like to quote four. The first advantage is reduced expenditure and logistical efficiency.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप संक्षेप में अपना पक्ष रख दें।

… (व्यवधान)

DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI: Although the official figures for the 2019 Lok Sabha Elections vary, news reports estimate that the Election Commission of India had spent more than Rs. 6,000 crore. In 2024, the estimated expenditure was more than Rs. 10,000 crore.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: ओके, माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI: Sir, please give me two minutes.… (*Interruptions*) The Law Commission's draft report of 2018 and NITI Aayog's report of 2017 estimate that if both the elections are done simultaneously, the cost would reduce at least up to 40 per cent. If the elections are held simultaneously, the voter turn-out would be increased up to seven per cent.… (*Interruptions*) The total estimate of all the parties that spend on these elections is close to Rs. 1 lakh crore. Therefore, if the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both the Election Commission of India and for the regional parties. There would be continuity in governance.… (*Interruptions*) In the last six months, elections were held for three State Assemblies. So, how can the machinery continue to operate if the elections are held continuously?… (*Interruptions*)

The fourth advantage and probably the most important, is that, in this era, election campaigns amplified by media and technology no longer remain regional, but continuously influence the entire nation, creating large-scale ripple effects.... (*Interruptions*) This constant political messaging encourages deep polarization.... (*Interruptions*)

Sir, I support the Bill. Thank you!

(1245/RCP/CP)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Speaker, Sir, I rise to oppose this draconian, unconstitutional Bill. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको ओवैसी जी के बाद मौका देंगे।

... (व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): This Bill violates the right to democratic self-governance which is part of Articles 14 and 19. If a Legislative Assembly is dissolved and mid-term elections are conducted, the tenure of that Assembly will not be for five years. This in itself is a violation of Parliamentary democracy which envisages a tenured legislature.

The Constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next five years. This is violation of the basic structure that such a provision is being done for administrative convenience, not for Constitutional purpose. The principle of federalism means that the States are not mere appendages of the Centre. States are not dependent on the Union for their existence. This is a violation of federalism.

In conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates the Fundamental Rights or the basic structure of the Constitution. This Bill indirectly introduces a Presidential style of democracy. This Bill is based on maximising political gain and convenience. This Bill will finish off the regional parties. This Bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. I oppose this Bill.Thank you, Sir.

श्री अमरा राम (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, जो संविधान (129वां संशोधन) विधेयक लाए हैं, मैं और मेरी पार्टी इसका विरोध इसलिए करती है कि यह बिल संविधान और जनतंत्र को खत्म करके ... (*Expunged as ordered by the Chair*) की ओर बढ़ने का नाम है। इससे ज्यादा यह कुछ नहीं है। आप खर्च की बात करते हैं। जिसको चुने हुए एक साल होंगे, उसके चार साल में जनतंत्र की हत्या करने का काम यह संविधान संशोधन बिल करेगा। लोकल बॉडी, पंचायत और नगरपालिकाएं, जो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, उनको भी आप लेना चाहते हैं। आप इन्हें इसलिए लेना चाहते हैं कि हमारा ही शासन चलेगा। देश के हर राज्य की जो भिन्न-भिन्न संस्कृति है, भाषा है, उनके अनुसार हमारे देश के संविधान ने उन राज्यों को बनाया है, उनकी विधान सभाएं बनाई हैं, उनके अधिकार हैं। वे सब अधिकार आप इस बिल के माध्यम से यहां लेना

चाहते हैं। केवल और केवल इसलिए कि ... (*Expunged as ordered by the Chair*) और ताकत आप लेना चाहते हैं। ... (व्यवधान) मैं निश्चित रूप से इसका विरोध करता हूं। मान लीजिए कि डीरेल हो गया, कोई फाल्ट हो गया, अगर दो साल बाद सरकार गिर गई, तो तीन साल के लिए चुनाव होंगे, एक साल बच गया तो एक साल के लिए चुनाव होंगे।

माननीय अध्यक्ष : जब डिटेल में चर्चा करेंगे तब बात कर लेंगे।

... (व्यवधान)

श्री अमरा राम (सीकर) : ... (व्यवधान) संविधान पर आपने चर्चा कराई और आज दो दिन बाद उसी संविधान को तहस-नहस करने के लिए आप बिल लेकर आए हैं। हमारी पार्टी इसका विरोध करती है।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. On behalf of the Nationalist Congress Party (SP), I oppose the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill. Clearly, most of my colleagues have made three most important points that this is completely against federalism and the Constitution of India. The Centre and the States have their own tenures and terms. So, I think, to mix the two is not fair. Just last week, we debated Article 356. In the case of S.R. Bommai *versus* Union of India, dissolving of Assemblies was something which both sides have objected and both sides have done it. So, if we object to it, why are we giving this authority to the Election Commission to dissolve Assemblies which are elected for five years? So, I think to break these tenures is completely objectionable. India is a Union of States. Cooperative federalism is something which we are so proud of.

So, I request the Government of India either to withdraw the Bill or send it to a Joint Parliamentary Committee so that we have a detailed discussion. We will be happy to support as long as it comes before a Joint Parliament Committee.Thank you, Sir.

(1250/SK/PS)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीकांत जी, आप संक्षिप्त में बोलिए।

... (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसे जेपीसी को दे देना चाहिए। जब संविधान संशोधन कैबिनेट में चर्चा के लिए आया तब माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त की थी कि इसे जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। ... (व्यवधान) मुझे लगता है कि इस पर सदन का ज्यादा समय जाया किये बगैर अगर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसे जेपीसी को सौंपने के लिए तैयार हैं तो जेपीसी में चर्चा हो जाएगी। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार

पर कैबिनेट इसे पारित करेगी फिर इस पर चर्चा होनी ही है। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में इसे देने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर यह चीज समाप्त हो जाएगी।... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष, यहां जो चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद नियम 74 में मैं एप्रोप्रिएट मोशन लाकर जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सबको बोलने का मौका दूंगा लेकिन आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीकांत शिंदे जी।

... (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से 129वां संविधान संशोधन विधेयक और यूनियन टेरिटरीज़ लॉज़ अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। ... (व्यवधान) विपक्ष वाले छ: महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। ... (व्यवधान) यहां जब रिफार्म शब्द आता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को रिफार्म शब्द से ही एलर्जी है। ... (व्यवधान) यहां सब लोग संविधान की बात कर रहे हैं। ... (व्यवधान) यहां पर हर एक व्यक्ति रुक कर संविधान समझा रहा है। ... (व्यवधान) मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, मैं वर्ष 1975 से शुरू करता हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका विषय क्या है?

... (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलैक्शन मैलप्रक्टिस यानी चुनावी भ्रष्टाचार के लिए गिल्टी पाया और छ: साल के लिए डिस्क्वालिफाई कर दिया। ... (व्यवधान) उस जज के साथ कैसा व्यवहार हुआ, यह पूरा देश जानता है।... (व्यवधान) सिर्फ तीन दिन में 39वां संशोधन संशोधन लाकर प्रधान मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को ज्यूडिशियल रीव्यू से बाहर कर दिया। ... (व्यवधान) यह इनका संविधान है।... (व्यवधान) ये फेडरलिज्म की बात करते हैं।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I have a point of order. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं।

... (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्वाइंट्स में समझाना चाहूंगा कि यह बिल क्यों जरूरी है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सब समझ गए।

एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

... (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : कोविंद समिति गठित हुई, उन्होंने वाइड पब्लिक कन्सलटेशन किया। 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की। … (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Sir, thank you very much for affording me this opportunity to speak on the introduction of the Bill. … (*Interruptions*) Mr. Speaker, Sir, thank you very much for affording me this opportunity to oppose the introduction of the Bill. … (*Interruptions*)

Sir, on behalf of my Party … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य आप बोलिए।

… (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : कोविंद समिति की रिपोर्ट है, उन्होंने वाइड पब्लिक कन्सलटेशन किया। 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की जिसमें 32 दलों ने वन नेशन वन इलैक्शन का समर्थन किया। यह दिखाता है कि देश के अधिकांश राजनीतिक दल इस सुधार को आवश्यक मानते हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एन.के. प्रेमचन्दन जी।

… (व्यवधान)

(1255/SMN/MK)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, on behalf of my Revolutionary Socialist Party (RSP), I vehemently oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill on three grounds. I will confine to the legislative competence points. I fully associate with the observations made by Shri Manish Tewari. He has made it very crisply and in a very good sense. I fully associate with the submissions made by Shri Manish Tewari Ji. I have three grounds.

Number one, it attacks the basic root of federalism of the Constitution. Number two, the provisions of the Bill are uncertain and not clear regarding the conduct of elections to the Legislative Assemblies subsequent to the notification making the appointed date.

The third one is that the Statement of Objects and Reasons are not satisfying the contents of the Bill. One more thing is there. That is Article 368. I will elucidate it further.

I will speak fully within the scope. There are drastic structural changes made in the electoral process of the Legislative Assemblies. All the States should have been properly consulted before bringing this legislation. I fully agree with the other learned Members who already cited by virtue of this Bill, if If it is made a law, definitely, the State Legislative Assemblies and the States will become the subordinates to the House of the People and to the Union Government. That is essentially against the basic principles of the federal character.

Sir, see, Article 368. I do agree with the Government. Article 368 does not expressly mention about the Legislatures' consent that is more than half of the Legislative Assemblies' concurrence regarding this provision but I would like to quote a case that is Kihoto Hollohon vs. Zachillhu in 1993. The 52nd Amendment was challenged. The validity of the 52nd Amendment was challenged in the Supreme Court. And the Supreme Court has struck down two paragraphs of this Act passed by the Parliament 52nd Amendment only because of a very technical point. Though there is no explicit provision in Article 368 to have the consent of more than half of the Legislatures, even then the hon. Supreme Court has struck down two paragraphs of 52nd Amendment Bill which is included in the 10th Schedule – disqualification of Members due to defection by virtue of Anti-defection law. So, Sir, the States have to be properly consulted. Federal character is there.

The next ground is practicality. I would like to know this from the hon. Home Minister. You are proposing to have the appointed date on 2029. See the problem. After 2029, about 17 State Assembly elections have to take place. There is nothing in the Bill regarding the tenure of the Legislative Assemblies subsequent to the appointed date by the notification. Nothing is clear.

So, I urge upon the Government to withdraw the Bill.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सब बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : सर, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर बाद में लेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं पहले भी सारी व्यवस्था दे चुका हूं और आप सबको पुरानी परम्परा के बारे में बता चुका हूं। अब माननीय मंत्री जी ने भी यह बता दिया है कि इसके लिए जेपीसी गठित होगी। ऐसा माननीय मंत्री जी ने कह दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जेपीसी के समय व्यापक चर्चा होगी और उसमें सभी दल के सदस्य होंगे। उसमें डिटेल चर्चा होगी। उसके बाद जब बिल आएगा, उस समय आप जितना समय चाहेंगे, उतना समय व्यापक चर्चा के लिए दिया जाएगा। आपको पूरा समय दिया जाएगा। सभी दलों के सदस्यों को समय दिया जाएगा।

… (व्यवधान)

(1300/SJN/RP)

माननीय अध्यक्ष : यह मैं आपसे कह सकता हूं कि जब उस समय यह बिल आएगा, तब डिटेल में चर्चा होगी। सभी माननीय सदस्य, आप जितने दिन चर्चा चाहेंगे, आपको उतने दिनों तक चर्चा करने का समय दिया जाएगा। अब मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह अपनी बात रखें। मैं सबको बोलने का मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल के इंट्रोडक्शन पर अपनी आपत्ति उठाई है, जो विशेष रूप से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से संबंधित है। मैं मेरी बात ज्यादातर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के विषय पर ही रखना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 72 में जो वर्णित है – 'विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध होने पर प्रक्रिया के तहत' जो आपत्तियां उठाई गई हैं, मैं इस माननीय सदन में उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

महोदय, एक विषय आया कि यह अनुच्छेद 368 का उल्लंघन करता है। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 उसके बारे में बताता है और संसद को शक्ति देता है। ऐसा तो नहीं है, संविधान में ही अनुच्छेद 368 लिखा हुआ है।…(व्यवधान)

उसके बाद एक विषय आया कि जो संविधान का अनुच्छेद 327 है, यह सदन को विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संविधान का अनुच्छेद 327 है, यह संसद को विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय-समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधान मंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। It is a Constitutional provision. … (*Interruptions*)

महोदय, मैं वही बता रहा हूं। किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक यानी इसमें सभी मामले शामिल हैं। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं।…(व्यवधान) इस प्रकार अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्यों के विधान मंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, जो संसदीय संप्रभुता को बरकरार रखता है।

राज्य सरकारों की स्वायत्ता (आटोनॉमी) नामक विषय भी आया है। संविधान की 7वीं अनुसूची की यूनियन लिस्ट की इंट्री नंबर 72 में लिखा हुआ है कि election to Parliament, to the Legislature of States, and to the Offices of President and Vice-President, the Election Commission, उसके अनुसार केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। जो यूनियन लिस्ट है, उसकी एंट्री 72 में लिखा हुआ है। यह संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त

शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है। यह जो संशोधन है, हम एकदम संविधान सम्मत लेकर आए हैं।

अब बेसिक स्ट्रक्चर नामक विषय आया है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर पर दो मिनट बोलना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में सन् 1973 में इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। उसमें उन्होंने 5-7 बिंदु तय किए हैं। उसके बाद और मामलों में भी कुछ विषय जोड़े हैं, like Judicial Review, federal character of the Constitution, separation of power between Legislature, Executive, and Judiciary; secular character of the Constitution; and supremacy of the Constitution, ये इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है।…(व्यवधान)

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट के साथ-साथ वामन राव केस और एल. चंद्र कुमार केस में भी कुछ और विषय जोड़े हैं, लेकिन इससे न तो संसद की शक्ति में कोई कमी आ रही है और न ही विधान सभा को जो शक्ति दी है, उसमें कमी आ रही है।…(व्यवधान)

(1305/SPS/VR)

यहां बाबा साहेब का जिक्र आया और बाबा साहेब के क्वोट का भी जिक्र आया। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि 4 नंवबर 1948, संविधान सभा में… (व्यवधान) देखिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने मुझे यह अवसर दिया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस देश के पहले कानून मंत्री थे और जिस वर्ग से बाबा साहेब आते थे, उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। नरेन्द्र मोदी जी ने यह मुझे बहुत बड़ा अवसर दिया है। मैं यह बात सदन में रख रहा हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान … (व्यवधान) You have already raised your objections. *....(Interruptions)* Now, you have to listen to me. *....(Interruptions).* संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर, 1948 को बाबा साहेब ने कहा कहा था। … (व्यवधान) यह बाबा साहेब का क्वोट है, अनक्वोट नहीं है। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केन्द्र और राज्यों के बीच केन्द्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा ही बटी होती है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कन्करेंट लिस्ट में से किसी भी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं। हम संघवाद पर कैसे चोट कर रहे हैं? हम कोई चोट नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात बाबा साहेब ने कही थी कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यह बाबा साहेब का क्वोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है और उसका स्वरूप अविनाशी है। उसको कोई नहीं बदल सकता है। यह बाबा साहेब ने कहा था। … (व्यवधान) यह विषय इसमें नहीं है। ये राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। संसद को अनुच्छेद 327 के तहत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों को एक साथ कराने

के लिए संविधान में उचित संशोधन करने का अधिकार है, जैसा मैंने बताया है। हमने जो आर्टिकल जोड़े हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, जब बात जेपीसी की आ ही गई है तो जेपीसी में डिटेल्ड चर्चा होगी।

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ तो बोल दीजिए। इनकी बातों को कुछ तो स्पष्ट कर दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप सब उनका वक्तव्य सुनिए।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : चूंकि, आपने अवसर दिया है तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और एचएलसी में जुड़े हुए सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उसमें गृह मंत्री जी भी थे। उसमें डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि यह अचानक आ गया है।

अध्यक्ष जी, वर्ष 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। यह 41 साल से पेंडिंग है। अलग-अलग कमेटीज़ ने भी विचार किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी विचार किया, उसके बाद एचएलसी गठित हुई। ये कह रहे हैं कि दलों से बात नहीं हुई है। 19 जून, वर्ष 2019 को संसद भवन में प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी लोग थे। ... (व्यवधान) उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। उसमें 16 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और तीन राजनीतिक दलों ने विरोध किया। इसका मतलब है कि बहुमत हमारे साथ था।

अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। आपको याद होगा। प्रधान मंत्री जी ने केवड़िया, गुजरात में 26 नवंबर, 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक साथ चुनाव करने की बात रखी थी और आपने उसको डिस्कस किया। सारे स्टेट्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर उससे सहमत थे और आप भी सहमत थे। ... (व्यवधान) स्वीडन, जर्मन, बेल्जियम और कई जगह यह चल भी रहा है। मैं अब जेपीसी पर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा। यह मामला 41 साल से पेंडिंग था। मैं अपने नेता नरेन्द्र मोदी जी के बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा। जो मामला 41 साल से पेंडिंग था, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने ध्यान दिया, क्या कहा :-

जो निर्णय लेता है सदा देशहित की खातिर जग में
साहस से करता दूर सदा जो बाधा आती मग में,

यह मार्ग है। इलेक्शन का एक प्रोसेस था और 1971 में चक्र टूट गया तो बाधा आ गई।

जो निर्णय लेता है सदा देशहित की खातिर जग में,
साहस से करता दूर सदा जो बाधा आती मग में,
अपना सर्वस्व लगाकर भी अपना कर्त्तव्य निभाता है,
जो नेता दूरदर्शी होता है, वही इतिहास बनाता है।

आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं इसे जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं।

With these words, I introduce both the Bills listed at item Nos.18 and 19.

(ends)

(1310/MM/SAN)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, हमें डिविजन चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डिविजन भी होगा, समय तो आने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज!

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

… (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सर, हम डिविजन चाहते हैं।

1314 बजे

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, डिविजन।

लॉबीज़ खाली कर दी जाएं-

अब लॉबीज खाली हो गई हैं।

(1315/YSH/SNT)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए।

माननीय सदस्यगण, अगर मतदान होता है तो पहली बार इस सदन में इलेक्ट्रॉनिक मतदान होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी एक बार अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। देसाई जी, प्लीज बैठ जाइए। आप सब अपनी-अपनी सीट पर विराजिए।

आपको प्रक्रिया भी बताई जाएगी। चूँकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान हो रहा है। इसलिए माननीय महासचिव जी आपको सारी व्यवस्थाएं बताएंगे और उस व्यवस्था के तहत यह भी बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बटन गलत दब जाता है तो आप पर्ची से भी अपने मतदान को संशोधित कर सकते हैं। महासचिव जी आपको हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में बताएंगे।

आप पहले महासचिव जी की व्यवस्था को समझ लीजिए। अब आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाइए।

महासचिव जी।

ANNOUNCEMENT RE: AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM

1317 hours

SECRETARY GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

1. Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
2. When the hon. Speaker says "Now Division", the Secretary-General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously.
3. For voting, "only" after the sound of the gong; repeat only after the sound of the gong, hon. Members may simultaneously press the "vote secure" button towards the left side of multimedia device on the Headphone plate

   and

   any one of the following buttons fixed on the right side of the Headphone plate:

   Yes : Below Green Colour Sticker
   No : Below Red Colour Sticker
   Abstain : Below Yellow Colour Sticker
4. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard.
5. Hon. Members may please note that their votes will not be registered:

(i) If buttons are kept pressed before the first gong; or

(ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong.

6. Hon. Members can actually "see" the final result after a gap of a few seconds after the second gong.
7. Hon. Members can check their vote on individual result display boards installed on either side of hon. Speaker's Chair, multimedia device and also on the Yes/No/Abstain button, as the case may be.
8. In case vote is not registered or if any Member wishes to change their vote, they may call for voting through slips.

(1320/AK/RAJ)

महासचिव : माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है:-

1. प्रत्येक माननीय सदस्य को मत-विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए।
2. जब माननीय अध्यक्ष 'अब मत-विभाजन' बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ-साथ गौंग की ध्वनि सुनाई देगी।
3. मतदान के लिए "केवल गौंग की ध्वनि के बाद ही; कृपया ध्यान दें कि केवल गौंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे "वोट सेक्योर" बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ-साथ दबाएं।

हाँ	:	हरे रंग के स्टिकर के नीचे
नहीं	:	लाल रंग के स्टिकर के नीचे
मतदान में भाग नहीं लेना	:	पीले रंग के स्टिकर के नीचे

4. गौंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है।
5. माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे:
   (1) यदि बटनों को पहली गौंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है; या
   (2) दोनों बटनों को दूसरी गौंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है।
6. माननीय सदस्य दूसरी गौंग ध्वनि के कुछ सेकेंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में, "देख" सकते हैं।
7. माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ/नहीं/मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन पर भी अपने मत की जांच कर सकते हैं।
8. मत दर्ज नहीं होने की दशा में, अथवा यदि कोई सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की माँग कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, महासचिव जी ने डीटेल में आपको बताया है। मैं समझता हूं कि इस सदन में पहली बार मतदान हो रहा है और पहली बार मतदान प्रक्रिया में कुछ परेशानियां, आप सभी माननीय सदस्यों को अनुभव हो सकती है। हमारी तरफ से इसके लिए कई बार अभ्यास किया गया है, लेकिन मतदान पहली बार किया जा रहा है। अगर कोई संशोधन करना होगा, तो हम सब इसमें संशोधन भी करेंगे। अगर किसी माननीय सदस्य को बटन दबाने में परेशानी होगी, तो हम इस बार व्यक्तिगत रूप से उन्हें पर्ची के लिए भी एलाउ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

... (व्यवधान)

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ।

(1325-45/KN/UB)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्या तरीका है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये। एक बार दोबारा करवाएंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करता हूं। प्लीज एक बार आप सब बैठिये। आप एक बात सुनिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करता हूं। मैंने पूर्व में भी कहा था। हम पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलैक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो अपने मत को संशोधित करना चाहते हैं, उन्हीं को पर्ची दे रहे हैं। सब को नहीं दे रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं फिर आग्रह करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है, वही पर्ची लें। क्योंकि माननीय सदस्य आप सब विद्वान सदस्य हैं, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें।

... (व्यवधान)

(1350/GG/VR)

माननीय अध्यक्ष : ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज़।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, जब भी वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है, एबस्ट्रेन में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगे और तब ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ: 269

नहीं: 198

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित करें।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित करें।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज़ खोल दी जाएं।

सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1354 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1500/SAN/MY)

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.

(Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID

1500 hours

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

Re: Utilization of gelatin base in bio-fertilizers

श्री विजय बघेल (दुर्ग) : माननीय कृषि मंत्री जी जैव उर्वरक श्रेणियों में कैप्सूल इन जेलाटिन बेस का उपयोग किये जाने से तकनीकी रूप से किसानों और कृषि के लिये लाभदायक हो सकती हैं। हाल के संशोधनों में इसे शामिल नहीं किया गया है। 01 दिसम्बर 2018 को राजपत्रित अधिसूचना एस.ओ. संख्या 5887 (अनुलग्नक 01) में जहां भी लिक्विड बेस्ड शब्द का प्रयोग हुआ है उसे लिक्विड बेस्ड या कैप्सूल इन जेलाटिन बेस से प्रतिस्थापित किये जाने से जैव उर्वरक की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है उक्त संशोधन पूरे देश के किसानों के लिये लाभकारी सिद्ध होगा एवं जैव उर्वरको को अपनाने में वृद्धि होगी एवं रासायनिक उर्वरको का उपयोग कम होगा। अतः मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है उक्त संबंध में समुचित दिशा निर्देश जारी करे जिससे की हमारे किसान भाईयों को लाभ प्राप्त हो सके।

(इति)

Re: Need to extend services of trains upto Katra / Mata Vaishno Devi Railway Station

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि गाड़ी संख्या-15651 (लोहित एक्सप्रेस), 15097 (जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस) एवं 12491 (मौरध्वज सुपर फास्ट एक्सप्रेस) अपने-अपने प्रारंभिक स्थानों से बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेकों रेलवे स्टेशनों से होकर जम्मूतवी तक जाने वाली बहुत ही प्रमुख ट्रेनें हैं। इन प्रमुख ट्रेनों में विशेषकर माता वैष्णों देवी के दर्शनार्थ बहुतायत की संख्या में वृद्दजन भी यात्रा करते हैं। इन ट्रेनों से मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता भी बड़ी संख्या में माता वैष्णों देवी के दर्शन- पूजन हेतु छपरा जं. एवं सिवान जं. से यात्रा करते हैं। इसलिए माता वैष्णों देवी के दर्शन हेतु जानेवाले बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं सहित मेरे संसदीय क्षेत्र के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इन ट्रेनों का संचालन जम्मूतवी से विस्तारित कर कटरा/माता वैष्णों देवी रेलवे स्टेशन तक कराये जाने की अतिआवश्यक है। क्योंकि श्रद्धालुओं को काफी लम्बी दूरी से यात्रा कर जम्मूतवी पहुंचने के बाद पुन: गाड़ी बदलकर कटरा/माता वैष्णों देवी रेलवे स्टेशन पहुंचकर माता वैष्णों देवी के दर्शन के लिए जाने में श्रद्धालुओं को काफी कठिनाईओं का सामना करना पड़ता है। उपर्युक्त प्रमुख ट्रेनों का कटरा/माता वैष्णों देवी रेलवे स्टेशन तक संचालन कराने से माता वैष्णों देवी के दर्शनार्थ जाने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के वृद्दजनों का समय बचेगा, शारीरिक परेशानी कम होगी और, साथ ही साथ आर्थिक बचत भी होगी। अत: महोदय के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि जनहित में उपरोक्त ट्रेनों का संचालन जम्मूतवी से विस्तारित कर कटरा / माता वैष्णों देवी रेलवे स्टेशन तक कराया जाये। (इति)

Re: Need for comprehensive plans for development of a circuit connecting major religious places in Jharkhand alongwith completion of Food Craft Institute at Deoghar in the State

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): The previously sanctioned projects for further development such as the Ministry of tourism has included Deoghar city (Jharkhand) in the Prasad Yojana. At the time of its inclusion, I had raised an issue concerning the narrow streets of the city leading to the temple should be widened. Secondly, the Prime Minister in the year 2015 had announced a package for the development of religious sites in the region, especially the Sultanganj to Deoghar corridor for the betterment of the facilities in the Kanwar Yatra and the overall holistic development of religious sites in the area. Thirdly, the Deoghar, Santhal Pargana, and Jharkhand region is the hub of numerous religions, including Jainism and Hinduism. A comprehensive plan should be chalked out for the development of a circuit which connects the major religious hubs of the pious region. This circuit will impact India's reputation globally. Parasnath, Deoghar, Basukinath, Maluti, Tarapith, Vikramshila, Bateshwarsthan, Mandar, Champapuri, Sultanganj, Karangari in Munger are all pivotal religious hubs with hundreds of millions of devotees flocking to these temples annually to pay their respects. I would like to state further that the Food Craft Institute is an incomplete project in Deoghar. Thus, I request to complete the projects for the development of this backward region in Jharkhand.

(ends)

Re: Need to set up Integrated Manufacturing Cluster in Garhwa district, Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कॉर्पोशन (NICDC) के तहत (Amritsar Kolkata Industrial) प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) स्थापित करने का निर्णय केन्द्र सरकार के द्वारा लिया जा चुका है एवं राज्य सरकार को सूचित भी किया जा चुका है। परन्तु दुर्भाग्यवश राज्य सरकार पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिला के भवनाथपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) स्थापित न कर बोकारो में स्थापित कराना चाहती है, परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेल के द्वारा जो भवनाथपुर में जमीन ऑफर की गयी है (1180 हेक्टेयर) वह बोकारो स्थित जमीन (करीब 700 हेक्टेयर) से कहीं ज्यादा है जो भविष्य में यदि इस IMC का विस्तार आवश्यक हो तो उसके लिए जमीन की उपलब्धता हो सके। साथ ही यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि गढ़वा जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों में से एक है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विचार है कि आकांक्षी जिलों में विकास का कार्य तेज गति से चले ताकि कि वे आकांक्षी जिलों की सूची से निकलकर विकसित जिलों की श्रेणी में आ खड़े हो। केन्द्र सरकार से माँग करता हूँ कि गढ़वा जिला के भवनाथपुर में (IMC) स्थापित करने से संबंधित निदेश राज्य सरकार को देने की कृपा की जाय।

(इति)

Re: Need to connect Helipad at Rohini, Delhi with KMP Expressway

श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : मैं आज दिल्ली के एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिससे दिल्ली के लोगों को बहुत लाभ होगा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी हेलीपैड से लेकर KMP नैशनल एक्स्प्रेस वे रोड को जोड़ने से दिल्ली मे रह रहे बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ होगा और आवागमन मे बहुत आसानी होगा। KMP नैशनल एक्स्प्रेस वे जो कि कुंडली मनेसर पलवल एक्स्प्रेसवे है वह दिल्ली के बाहर बाहर से जाता हैं और कुंडली, मनेसर व पलवल को आपस मे जोड़ता हैं, परंतु KMP नैशनल एक्स्प्रेस वे से रोहिणी हेलीपैड की कनेक्टिविटी न होने से लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं और लोगों को बहुत दूर से KMP नैशनल एक्स्प्रेस वे पर चढ़ना पड़ता हैं, KMP नैशनल एक्स्प्रेस वे से रोहिणी हेलीपैड हेतु सीधा रोड या एलिवेटिड फ्लाइओवर बनाकर कनेक्ट करने से लोगों को बहुत लाभ होगा, लोग सीधा KMP नैशनल एक्स्प्रेस वे से रोहिणी दिल्ली पहुच सकेंगे तथा KMP नैशनल एक्स्प्रेस वे पर चढ़ने में भी आसानी होगी, आवागमन आसान होगा और लोगों को सुविधा होगी। मेरा सरकार से निवेदन हैं कि KMP नैशनल एक्स्प्रेस वे से रोहिणी हेलीपैड हेतु सीधा रोड या एलिवेटिड फ्लाइओवर बनाकर कनेक्ट किया जाए।

(इति)

Re: Need to introduce Vande Bharat superfast train service between Silchar in Assam and New Delhi

श्री परिमल शुक्लबैद्य (सिल्चर) : सिलचर, जो कि दक्षिण असम का एक महत्वपूर्ण शहर है, यहां की लगभग 20 लाख की जनसंख्या को देश की राजधानी जाने के लिए असुविधाजनक और समय लेने वाली यात्रा करनी पड़ती है। विशेष रूप से, छात्रों, व्यापारियों और रोगियों को यात्रा करने में गंभीर कठिनाइयाँ आती हैं।नई दिल्ली और सिलचर के बीच वंदे भारत या राजधानी जैसी सुपरफास्ट ट्रेन सेवा की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।यह सेवा न केवल यात्रा के समय को कम करेगी, बल्कि यह हमारे क्षेत्र की जनता को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अवसर भी प्रदान करेगी। सिलचर और नई दिल्ली के बीच सुपरफास्ट ट्रेन सेवा के शुरू होने से न केवल सिलचर, बल्कि मिजोरम, मणिपुर, बाराक घाटी के तीन जिलों, और मेघालय के एक बड़े हिस्से, विशेष रूप से जयंतिया हिल्स जैसे क्षेत्रों को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। वर्तमान में इन क्षेत्रों के रेल कनेक्टिविटी से वंचित रहने के कारण लोग कई कठिनाइयों का सामना करते हैं।मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूँ कि कृपया सिलचर और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत या राजधानी जैसी सुपरफास्ट ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि इस पूरे क्षेत्र की जनता को बेहतर रेल सेवा का लाभ मिल सके।

(इति)

Re: Need to establish AIIMS in Hazaribagh, Jharkhand

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : आज सदन में , मैं आपके सामने अपनी लोक सभा हजारीबाग झारखण्ड के गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक मांग करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी लोक–सभा क्षेत्र में गरीबों के इलाज हेतु समुचित व्यवस्था न होने के कारण बड़ी संख्या में लोग इलाज हेतु दिल्ली , मुंबई, चेन्नई , राँची, वेल्लोर जैसे शहरों में जाते है, जहां भीड़ के चलते उन्हें इलाज हेतु उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, जिनमें इमरजेंसी बीमारियों के इलाज समय पर न हो पाने के कारण गरीबों को निराशा का सामना करना पड़ता है, तथा बड़े शहरों में गरीबों को अत्यधिक आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता हैं, अतः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी आग्रह करना चाहूंगा कि हजारीबाग में नए एम्स हॉस्पिटल का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाय जिससे हमारी लोक सभा के साथ-साथ कोडरमा, चतरा, रामगढ़ – हजारीबाग जिलों में रह–रहे करोड़ों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा।

(इति)

Re: Need to restore the services of Rishikesh-Jammu Tawi Express train

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : हमारे विभिन्न अनुरोधों से रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने जम्मू से ऋषिकेश और वापस योग नगरी ऋषिकेश से जम्मूतवी के लिए गाड़ी संख्या 14606/14605 अतिरिक्त साप्ताहिक ट्रेन प्रदान करने की कृपा की थी, लेकिन अब इस साप्ताहिक ट्रेन की सेवाएं पिछले कुछ दिनों से निलंबित कर दी गई है इस साप्ताहिक रेलगाड़ी की सेवाएं स्थगित होने के कारण, कटरा से ऋषिकेश के लिए केवल एक रेलगाड़ी सेवा उपलब्ध है, अर्थात् हेमकुंट एक्सप्रेस- जो पहले से ही कटरा में क्षमता से अधिक भरी हुई है, जिससे जम्मूवासियों के लिए यात्रा लगभग असुविधाजनक हो गई है। आपको ज्ञात है कि अमावस्या पर्व 30 दिसंबर, 2024 को पड़ रहा है, यह एक महान हिंदू धार्मिक त्योहार है इस पवित्र त्योहार पर गंगा माँ जी में स्नान करने के लिए हरिद्वार आने वाले भक्तों की भारी भीड़ होती है। इस ट्रेन के निलंबन के कारण पर्व के दौरान गंगा के दर्शन करने के इच्छुक यात्रियों के लिए यात्रा करना बहुत असुविधाजनक हो जाएगा। अत: रेल मंत्री जी से निवेदन है कि जम्मू-कश्मीर (यू.टी.) के लोगों के हित के लिए अमावस्या की पूर्व संध्या पर यात्रियों की सुविधा के लिए योग नगरी ऋषिकेश-जम्मू तवी एक्सप्रेस-को चलाने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to set up a Textiles Park in Bhilwara, Rajasthan under PM MITRA Scheme

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा एक सुविख्यात वस्त्र व्यापार का केंद्र है एवं यह 'मैनचेस्टर ऑफ़ इंडिया' कहलाता है जिसमे प्रति माह 9 करोड़ मीटर कपडा उत्पादन, 50,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला, 30 हज़ार करोड़ रूपये सालाना टर्नओवर एवं 6,000 करोड़ रूपये का वार्षिक निर्यात होता है | 2022-23 के केंद्रीय बजट में पीएम मित्रा योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का प्रावधान किया गया, परन्तु तत्कालीन राज्य सरकार ने ऐसी जगह का प्रस्ताव भेजा जोकि तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं होने के कारण निरस्त हो गया| राज्य सरकार ने भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की इच्छा से 1293 बीघा जमीन आवंटित कर रिज़र्व भी कर दी है | मेरा केंद्र सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि आने वाले बजट में पीएम मित्रा योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क के प्रावधान की घोषणा करें, ताकि वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की बहुप्रतीक्षित टेक्सटाइल पार्क की योजना धरातल पर उतर सके। टैक्सटाइल्स पार्क के स्थापित होने से इस क्षेत्र में नए व्यापार और रोज़गार का सृजन होगा और निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

(इति)

Re: Rail connectivity for Chatra district headquarters, Jharkhand

श्री काली चरण सिंह (चतरा) :यह अत्यंत दुख का विषय है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी चतरा जिला मुख्यालय रेल लाइन से नहीं जुड़ पाया है। वर्षों से स्थानीय जनता की यह मांग रही है कि उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में गया (बिहार) से झारखंड में चतरा जिला होते हुए चंदवा तक रेल सेवा का विस्तार किया जाए। इस रेल सेवा का विस्तार होने से रेल के राजस्व में भी वृद्धि होगी। मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि चतरा जिला मुख्यालय को जल्द से जल्द रेल मार्ग से जोड़ने की दिशा में आवश्यक कदम उठाकर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर चतरा से चंदवा तक रेल मार्ग का निर्माण किया जाए |

(इति)

Re: Construction of four lane road from Radhanpur to Patan in Gujarat

श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी (पाटण) : मेरे संसदीय क्षेत्र पाटण में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एनएच 68 पर पाटण से गोजारिया तक चार लेन सड़क को मंजूरी दे दी है और चरण-1 में 75% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि राधनपुर से रोडा होते हुए पाटण तक चार लेन का निर्माण कार्य (फेज-2) आज तक शुरू नहीं हो सका है. मुझे यह भी बताया गया है कि 2017 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़क की अब तक मरम्मत नहीं करायी गयी है. यहां तक कि रिसरफेसिंग के लिए भी आवेदन सुनने को मिला है। अत: माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे राधनपुर से रोड़ा होते हुए पाटण तक एनएच 68 पर चार लेन सड़क का निर्माण शुरू करने के साथ-साथ 2017 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत और रिसरफेसिंग सहित अन्य कार्यों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के माध्यम से शीघ्र पूर्ण करवाये।

(इति)

Re: Need to develop Mutyalammapalem Sea Beach in Andhra Pradesh as a tourism destination

DR. C. M. RAMESH (ANAKAPALLE): The Anakapalle District was formed two years ago with two Revenue Divisions - Anakapalle and Narasipatnam and 24 Mandals. The district is fortunate to have great personalities in different fields alongwith beautiful backdrop of hills and thick forest and Mutyalammapalem Sea Beach. Mutyalammapalem Beach is used for shooting of films, Telugu Serials and pre-wedding ceremonies due to its beautiful backdrop. Many people come here to enjoy the Beach and its surroundings. Muthyalamma Thalli Festival takes place every year on this Beach. Looking at the scenic beauty, many people from various parts of the State visit here. If this beach is developed, we can achieve twin objectives of promoting Tourism, pushing economic activity and also providing employment to local youth. I would, therefore, request the Hon'ble Minister of Tourism, to look into it and provide funds for developing Mutyalammapalem Beach as one of a vibrant Tourism Destination.

(ends)

Re: Need to remove a toll booth on NH-18 (Ahmedabad–Indore) in Panchmahal Parliamentary Constituency

श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव (पंचमहल) : अहमदाबाद से इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर NH-47 मेरे पंचमहाल लोकसभा मतविस्तार से गुजरता है। गोधरा तालुका के वावडी गांव पर एक हाई वे टोल कलेक्शन बूथ है इसके आगे सिर्फ 36 किलोमीटर पर दूसरा है वे टोल कलेक्शन बूथ लिमखेड़ा गांव पर है। सरकार द्वारा लोकसभा में दो टोल बूथ के बीच 60 किलोमीटर का अंतर रहेगा ऐसा कहा गया है। इससे कम अंतर होने पर टोल बूथ हटा दिया जाएगा। मेरे मतविस्तार के गावों के नागरिकों द्वारा इस विषय में टोल बूथ दूर करने के लिए रूबरू विनती की है। इस टोल बूथ को दूर करने के लिए आपश्री से आग्रहभरी विनंती करता हूँ।

(इति)

Re: Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : राजस्थानी भाषा को संवैधानिक सम्मान नही दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण हैं | आजादी के पहले से राजस्थानी की संवैधानिक मान्यता की मांग शांतिपूर्ण तरीके की जा रही है लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा राजस्थानी भाषा की अनदेखी की जा रही है | 2003 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को 8वी अनुसूची में राजस्थानी भाषा को जोड़ने के लिए भेजा गया था। भाषाविद MS महापात्रा के प्रतिनिधित्व में एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसने राजस्थानी भाषा को समृद्ध बताया था फिर भी राजस्थानी को 8वी अनुसूची में नही जोड़ा गया जबकि अन्य भाषाओं को केंद्र सरकार द्वारा 8वी अनुसूची में भी जोड़ा जा रहा है और विभिन्न राज्य सरकारे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा भी दे रही है | ऐसे कौनसे मानक है जिन पर राजस्थानी खरा नहीं उतरती है | 2003 में संविधान की 8वी अनुसूची में बोडो,डोगरी,मैथिली,संथाली को जोड़ा गया लेकिन राजस्थानी को नहीं जोड़ा जा रहा है | हाल में असमिया ,बांग्ला,मराठी आदि को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में जोड़ा गया है अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा को 8वी अनुसूची में जोड़ें तथा राज्य सरकार अनुच्छेद 345 के तहत राजस्थानी भाषा को राज्य में राजभाषा बनाये।

(इति)

Re: Need to include Chutiya, Koch-Rajbongshi, Moran, Motak and Tai-Ahom tribes of Assam in the list of Scheduled Tribes

मोहम्मद रकिबुल हुसैन (धुबरी) : मैं इस सदन में चाय जनजातियाँ, चुटिया, कोच-राजबोंगशी, मटक, मोरन और ताई-अहोम समुदायों को जनजाति समुदाय के रूप में घोषित करने के मामले पर विचार हेतु उठाना चाहता हूँ। यह मुद्दा पिछले कई वर्षों से लंबित है और इन समुदायों की आकांक्षाओं और संवैधानिक अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। ये समूह कई दशकों से अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये समुदाय असम के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। हमारे देश के विकास में इनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भी इन्हें उचित सम्मान नही मिला है जिसके करण आज यह हाशिए पर हैं और इन्हें अभाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन्होंने चाय उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी वे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच सहित गंभीर सामाजिक-आर्थिक नुकसान से जूझ रहे हैं। इन समुदायों को जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए, ताकि इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा हो सके और उन्हें समान अवसर प्राप्त हो सकें। यह कदम न केवल असम बल्कि पूरे देश में सामाजिक न्याय और समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

(इति)

Re: Need to make 'Saha Jeevanam Sneha Gramam' centre for Endosulfan victims in Kasaragod, Kerala fully operational as rehabilitation Centre

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): The "Saha Jeevanam Sneha Gramam" center in Kasaragod was envisaged as a model rehabilitation village including housing facility for the Endosulfan victims. However, it has become merely a therapy center, offering basic services like speech therapy and psycho-social support. Despite being inaugurated in 2024, with initial funding of Rs. 4.15 crore, the project remains incomplete. The Hydrotherapy Block remains unfinished, and funds for the second phase have not been allocated. The State Government had planned a five-phase development. As the second phase itself has not been funded, and there is no clarity on the next steps. Currently, only 34 children from Kasaragod are receiving therapy, but they miss the essential medical services. The center is grappling with infrastructure issues, such as a lack of transportation, power backup, and adequate finance. The local community and affected families are demanding immediate intervention to make the center fully operational as a rehabilitation centre. Hence, I urge the Government of India to step in and ensure the comprehensive development of the center, as originally envisioned. If necessary, the Government of India must take over the direct control of the centre to provide a holistic support mechanism to the Endosulfan victims.

(ends)

Re: Need to introduce senior secondary classes in Kendriya Vidyalaya, Dausa, Rajasthan and also open additional sections from class I to VIII in the Vidyalaya

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : केंद्रीय विद्यालय दौसा एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के रूप में क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, वर्तमान में केवल कक्षा 10वीं तक संचालित है। सत्र 2025-26 से इस विद्यालय में कक्षा 11वीं के लिए कला संकाय और विज्ञान संकाय आरंभ करना नितांत आवश्यक है, ताकि क्षेत्र के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उनके ही क्षेत्र में प्राप्त हो सके और छात्र अन्य शहरों में जाने को मजबूर हैं। दौसा क्षेत्र में कई प्रतिभाशाली छात्र हैं जो दसवीं के बाद केंद्रीय विद्यालय की उच्च-स्तरीय शिक्षा में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। यदि ये दोनों संकाय शुरू होते हैं, तो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध होगी। इससे उनके अभिभावकों पर मानसिक और आर्थिक बोझ बढ़ता है। साथ ही, कक्षा 1 से 8 तक छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रत्येक वर्ग में एक अतिरिक्त सेक्शन खोलना भी अत्यंत आवश्यक है, अतः आपसे निवेदन है कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए सत्र 2025-26 से केंद्रीय विद्यालय दौसा में इन संकायों की शुरुआत और अतिरिक्त सेक्शन खोलने की कृपा करें, जिससे विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा प्रणाली में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

(इति)

Re: Need for comprehensive measures to address the health issues caused by pollution in Delhi and other parts of the county

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Our cities, once vibrant and healthy, are now enveloped in toxic haze. The recent pollution spike in Delhi highlights the severe threat to public health. Our children, the elderly, and those with pre-existing conditions are most vulnerable. The alarming rise in respiratory and heart diseases underscores the urgency of the situation. Year after year, smog blankets our cities, laden with harmful pollutants linked to serious health issues and increased mortality. Despite warnings and public outcry, Government response has been inadequate. We need to shift focus from reactive measures to proactive strategies. A long-term, comprehensive plan is essential, including stringent emission standards, promotion of cleaner fuels and technologies, and improved air quality monitoring systems. Prioritizing preventive measures like green spaces and public transport can significantly reduce the impact of air pollution. I urge the Government to take immediate action to address this grave public health crisis. We must prioritize the health and well-being of our citizens and work towards a cleaner, healthier future for all.

(ends)

Re: Need to address the situation arising out of repeated accidents on NH 966 at Panayampadam curve near Kalladikode in Kerala

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): In a tragic road accident on 12.12.2024 at Panayampadam curve near Kalladikode, Karimba on the National Highway 966 four young girl school students were killed. The lorry carrying cement bags lost control at the curve, and truck toppled over them who were walking through roadside. More than 50 road accidents took place and 11 people have lost their lives at Panayampadam and this area has turned into an accident hotspot. I have been raising this issue under Rule 377 and communicating to the Hon'ble Minister concerned since 23.04.2021. But the issue remained unresolved till now and accidents continue to happen there. I was informed by Hon'ble Minister of State for Road Transport and Highways that NHAI is planning to upgrade the stretch. DPR for upgradation of above stretch is in progress and alignment is approved by NHAI which bypasses the location Panayampadam, The gruesome incident triggered strong protests by local people and blocked vehicular movement for hours. I urge the government to rectify unscientific construction of national highway at this stretch immediately.

(ends)

Re: Need to connect villages in Jaunpur Parliamentary Constituency with main road under PMGSY

श्री बाबू सिंह कुशवाहा (जौनपुर) : प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा न हो और विकास के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। किन्तु वर्तमान में मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांवों को ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ने का प्रावधान है। मेरे संसदीय क्षेत्र जौनपुर में ऐसे कई गांव हैं जो मुख्य मार्ग से अभी तक जुड़े नहीं हैं जैसें, विधान सभा सदर में सिद्दीकपुर मुख्य मार्ग से मिलकोपुर वायां जमालपुर तिराहा तक, दूरी 3 किमी0, मल्हनी विधान सभा में करंजा कलां मुख्य मार्ग से ग्राम छबिलेपुर तक, दूरी 3 किमी0। ऐसे कई और गाँव है, जिनके कारण ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो रहा है। मरीजों को समय पर अस्पताल ले जाने में और किसानों को अपनी फसलें मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी हो रही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र जौनपुर में जो गॉव मुख्य मार्ग से 3 किमी0 की दूरी पर स्थित हैं उनका सर्वेक्षण कराकर उन्हें ग्रामीण सड़क योजना के तहत मुख्य मार्ग से जोड़ा जाये।

(इति)

Re: Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Ambedkarnagar district, Uttar Pradesh

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : जिला अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय, रेलवे विभाग, दूरसंचार विभाग एवं इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल न होने के कारण अत्यधिक कठिनाई हो रही है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में अंबेडकर नगर जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने की कृपा करें।

(इति)

Re: Problems being faced by people due to rise in prices of essential commodities

SHRI KHALILUR RAHAMAN (JANGIPUR): I rise today as a voice for millions of Indians struggling under the crushing weight of skyrocketing prices of essential commodities. This is not just an economic crisis but a human crisis, touching every household in our country. Picture a daily wage earner who now finds basic groceries beyond reach or a parent skipping meals to ensure their children can eat. Retail inflation hit 6.6% in October 2024, with food inflation at a worrying 7.68%. Prices of tomatoes soared by over 80% earlier this year, while cooking oil and pulses continue to strain family budgets. Global factors like the Russia-Ukraine war and supply chain disruptions play a role, but domestic challenges—climate-induced crop losses, insufficient regulation, and unchecked hoarding—worsen the crisis. These failures erode the dignity and security of our people. I urge immediate Government action to crack down on hoarders, strengthen buffer stocks, and support farmers to stabilize production. Investment in cold storage and infrastructure is essential to reduce waste and control prices. For millions waking up to uncertainty, let us show that we care and act decisively. Their welfare is not just our duty—it is the foundation of our nation's soul.

(ends)

Re: Non-availability of mobile network in hilly and rural areas of Tiruvannamalai Parliamentary Constituency

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): The work on construction of mobile towers has commenced in certain part of hilly and rural areas in my Tiruvannamalai Parliamentary Constituency, Tamil Nadu. But there is undue delay in installation of all latest equipments at the appropriate place. The result is non-availability of mobile network in those areas. The project work of the Phase-II needs to be started without further delay to facilitate the people to avail the mobile network. Therefore, I urge to the Union Government to instruct the official concerned to do the needful in this matter.

(ends)

Re: Need to promote 'Education for All' in Andhra Pradesh

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): The New India Literacy Programme (ULLAS), a national initiative aimed at achieving the vision of "Education for All", initially saw significant enrollment in Andhra Pradesh, with 30 lakh learners joining in 2022-23. However, this momentum sharply declined, with only 5,533 learners participating in 2023-24 and 26,124 in 2024-25. Regarding funding, the state was allocated ₹512.69 lakhs in 2022-23, with ₹384.51 lakhs released by the Central Government. However, in 2023-24, while the allocation increased to ₹943.09 lakhs, no funds were released. Similarly, in 2024-25, despite an allocation of ₹871.07 lakhs, no Central funds were disbursed. A critical aspect of the program is the Foundational Literacy and Numeracy Assessment Test (FLNAT), intended to evaluate and certify learners twice annually. Unfortunately, since the program's launch, FLNAT has yet to be conducted in Andhra Pradesh. To address these pressing issues, I urge the Government to undertake targeted awareness campaigns to boost enrollment and participation in the state. Additionally, I request the immediate release of central funds and appeal to the National Literacy Mission Authority (NLMA) to finalize and announce dates for conducting FLNAT in Andhra Pradesh to ensure the program's effectiveness and reach.

(ends)

Re: Need to increase number of General and Sleeper Class coaches in trains

श्री संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर-पूर्व) : आम लोगों की पंहुच में रेल किराया होना चाहिए इसलिए स्लीपर क्लास के डिब्बों की संख्या बढ़ाने की जगह रेलवे विभाग एसी डिब्बों की संख्या बढाने की योजना बना रहा है। उनका उद्देश्य केवल इतना है कि लंबी दूरी की यात्राओं में रेल यात्रियों को और अधिक आराम मिले और रेलवे की आमदनी बढ़े। लेकिन एसी क्लास का रेल किराया महंगा होने की वजह से यह आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि कम आय समूह के लोगों के लिए जनरल और स्लीपर क्लास के डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाए।

(इति)

Re: Need for comprehensive scientific and research-oriented studies to find the reasons leading to deaths of younger people in the country

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (PONNANI): I draw attention of the Government to alarming situation of increasing cases of sudden deaths of youngsters. Many such cases of young people dying all of a sudden without any prior symptom of any disease, during sitting, walking or doing any work are reported. Nowadays Atrial Fibrillation diseases also increase. It is also known that the increased risk of death is among the youth compared with the old. The grave situation of this increasing number of sudden deaths is further worsening in the post-covid period. It is yet to be known whether the pandemic or its remedial measures have any impact on this situation. According to experts, the normal medical tests are not sufficient to find out the real causes behind these cases. CT Pulmonary Angina test can be helpful to a certain extent but it is very costly. The Government should come forward to make such tests and necessary treatments available for the economically weaker people. I urge the Government to do the needful in this regard for conducting thorough scientific and research-oriented studies on this phenomenon of sudden deaths and take urgent steps to address the situation and undo the same by taking appropriate actions.

(ends)

Re: Review and modification of compensation policy under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 29(1) के तहत यह प्रावधान है कि आंशिक रूप से अधिग्रहित मकानों के केवल अधिग्रहित भाग का मुआवजा दिया जाएगा बशर्ते शेष मकान "रहने योग्य" हो। हालांकि, इस प्रावधान ने व्यावहारिक रूप से प्रभावित लोगों के लिए गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं मकान रहने योग्य है या नहीं, इसका निर्धारण जिला अधिकारियों, इंजीनियरों या स्थानीय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, जो अक्सर मनमाना और असंगत होता है। प्रभावित परिवारों को ऐसे मकान मिलते हैं जो तकनीकी रूप से "रहने योग्य" घोषित किए गए हैं, लेकिन वे सुरक्षित, स्थिर और सम्मानजनक जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होते। आंशिक क्षति के कारण घर की संरचना कमजोर हो जाती है और वह दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है। मुआवजा नीति की समीक्षा और संशोधन किया जाए, ताकि ऐसे मकानों के लिए समग्र और न्यायसंगत मूल्यांकन सुनिश्चित हो, जो प्रभावित परिवारों की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखे। "रहने योग्य" स्थिति का आकलन करने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी दिशानिर्देश बनाए जाएँ, ताकि निर्णय प्रक्रिया में एकरूपता हो। मुआवजा प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए और प्रभावित लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाए। (इति)

Re: Amendments in SDRF norms in Rajasthan

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को अवगत करवाना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार द्वारा सीवरेज सिस्टम की पुनस्थार्पन मरम्मत को एसडीआरएफ मानदण्डो में शामिल करने,SDRF नॉर्म्स में गौशालाओं को पशु शिविर के रूप में शामिल करने ताकि सूखे के दौरान गायों तथा अन्य पशुओं पर चारे,पानी का संकट नहीं आये ,हॉर्टिकल्चर क्रॉप संतरा,कीनू व क्रेश क्रॉप जैसे जीरा,इसबगोल आदि जिनकी प्रारम्भिक लागत बहुत अधिक है उनके लिए कृषि आदान-अनुदान में वृद्धि करने तथा राजस्थान के परिपेक्ष्य में कृषि आदान -अनुदान की अधिकतम सीमा 2 हैक्टेयर से बढ़ाकर 5 हैक्टेयर करने व सूखा विकास कार्यक्रम जिलों के 5 हैक्टेयर भू-धारिता वाले किसानों को लघु एवं सीमांत किसान की श्रेणी में शामिल करने,आपदा के समय पशुओं की वास्तविक क्षति के आधार पर सहायता देने का प्रावधान बनाने क्योंकि राजस्थान में पशुपालन ग्रामीण जनसँख्या की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है साथ ही प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर लघु व सीमांत किसानों को अधिकतम 2 हैक्टेयर भूमि की सीमा के स्थान पर वास्तविक कृषि जोत के आधार पर सहायता राशि देने हेतु नियमो में संसोधन के प्रस्ताव काफी समय से लंबित है इसलिए जनहित में आवश्यक संसोधन करके राहत प्रदान करावे ताकि नुकसान की वास्तविक भरपाई हो सके। (इति)

Re: Creation of 'Bheel Pradesh'

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : राजस्थान-मध्यप्रदेश-गुजरात-महाराष्ट्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के भील समुदाय की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, आजादी के बाद समान संस्कृति-पहचान वाले क्षेत्र को विभिन्न राज्यों में विभाजित कर दिया गया, जिससे यहां के आदिवासियों की विशिष्ट पहचान खत्म हुई है, उक्त भीलप्रदेश का क्षेत्र निम्नानुसार है 1. राजस्थान:- डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, पाली, राजसमंद, चित्तोड़गढ़ कोटा एवं बांरा जिले (28.06 लाख आदिवासी जनसंख्या) 2. गुजरात:- बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, वडोदरा ग्रामीण, नर्मदा, भरूच, सुरत, तापी एंव नवसारी, जिले (34.42 लाख आदिवासी जनसंख्या) 3. मध्यप्रदेश:- रतलाम, नीमच, मंदसोर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर एवं खंडवा जिले। (46.19 लाख आदिवासी जनसंख्या) 4. महाराष्ट्र:- नंदुबार, धुले, जलगांव, नासिक, पालघर एवं ठाणे जिले (18.19 लाख आदिवासी जनसंख्या) उक्त राज्यों में आदिवासियों सहित अन्य समुदाय की कुल जनसंख्या 9 करोड़ 84 लाख 76 हजार 238 है। 1913 में गोविन्द गुरू के नेतृत्व में मानगढ़ पर लाखो भील एकत्र हुए थे जिनपर अंग्रेजों-रजवाड़ो द्वारा गोलिया चलाने से 1500 से अधिक आदिवासी मारे गए थे, भीलप्रदेश के लिए विभिन्न जन-आन्दोलनों, सामाजिक-राजनैतिक संगठनों, व्यक्तियों द्वारा हमेशा मांग उठाई है जिसका क्षेत्र के अन्य समुदाय द्वारा भी पूर्ण समर्थन दिया है, इसलिए भील प्रदेश निर्माण हेतु सदन में चर्चा की अति-आवश्यकता है।

(इति)

HON. CHAIRPERSON: Item No. 21 – hon. Finance Minister.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am on a point of order. Please allow me to speak for a minute.

HON. CHAIRPERSON: No, please.

Hon. Finance Minister.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – contd.

1501 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, thank you very much for the opportunity given to respond to the discussion on the Supplementary Demands for Grants. I understand that 43 Members had spoken on the discussion.

Sir, this is the first batch of supplementary and it covers over 83 demands and three appropriations. The appropriations include those for the President, the Supreme Court of India and the Union Public Service Commission. To make a beginning, I will repeat some of the things which are already mentioned in the Supplementary Demands for Grants, a copy of which all Members have seen. Through these demands and appropriations, we are seeking the authorisation of the Parliament for gross additional expenditure of Rs. 87,762.56 crore. The net cash outgo or cash supplementary is about Rs. 44,182.87 crore. The technical token supplementaries are also mentioned. Expenditure on capital account is something which I would like to take a minute to say that it is about Rs. 19,416.35 crore and the balance of Rs. 68,346.21 crore in the Supplementary Demands for Grants is on the revenue account. So, I am not going further into the details.

Sir, I am grateful that yesterday hon. Member, Jagdambika Pal ji had gone into the details of what this Supplementary Demand for Grant is all about, where money goes and why it is justified, and that this first supplementary has covered those amounts and the total is far less than what the first supplementary had in the last year.

1504 hours (Dr. Kakoli Ghosh Dastidar *in the Chair*)

He had rightly placed the emphasis, saying look at where the money is going. It is going for farmers; it is going for the revenue expenditure of Defence; but on farmers account again, it is going for fertilisers and so on. So, without spending more time on the details of those, I would like to go back to the discussion and respond to the Members' questions and give clarifications they had sought so that we focus on the debate straightaway.

Madam, there was a lot of interest on the economy-related issues. Hon. Members have asked questions about what it is about the economy that I can answer. They had asked questions and I will try to address some of them.

(1505/SNT/CP)

Madam, the real growth rate for quarter one and quarter two of this financial year has been 6.7 per cent and 5.4 per cent respectively. At 5.4 per cent, the Q2 rate is slower than expected. Many Members observed it, many Members commented on it, and many Members raised a doubt asking, 'is growth sustainable at all at the number that we projected in the BE?' I would like to touch upon some of the concerns. The quarter two of this financial year has been challenging quarter for India and for most of the economies of the world. In the last three years, India's GDP growth rate has averaged 8.3 per cent. This is outstanding. I do not want to judge myself; I do not want to judge the Ministry. But this is a number before us and this is a number which you can see and compare with the rest of the globe. This number is an outstanding number by global standards. India has been the fastest growing major economy in the world and the credit goes to the people of India, who are struggling and meeting their aspirations, thereby contributing to the economy, and with the leadership, which puts policy up front, it responds to people and their aspirations as well. So, the two wheels have moved adequately in synchrony as a result of which you see the growth numbers.

A different perspective for the same thing is something which I would like to put before you, Madam Chairperson. Out of the 12 quarters in the previous three years, the GDP growth rate was lower than 5.4 per cent in two quarters, that is, quarter four of 2021-22 and quarter three of 2022-23. It is important to understand that this drop happened in just two quarters in the last 12 quarters that we are talking about. So, let us not pick on that one and predict the future. This has been a steady growth and a steady sustained growth. So, I would like to place that perspective before you with the numbers before me.

The regular Union Budget was passed by the newly constituted Lok Sabha post-parliamentary elections in middle of August 2024. Effectively, the implementation of new announcements of this Government commenced after the Appropriation Act was passed by the Parliament in August 2024. Effectively, it is from August that we are starting to give emphasis to many of the things

inclusive of capital expenditure. And therefore, we are now talking of 'within four months', after the full regular Budget was presented in August. The situation is no different from one seen in earlier years when Parliament elections were conducted. So, that is a very important consideration which I would like the hon. Members to take on board. When the annual Lok Sabha elections happen, those years do have a certain flow of resources and do have a certain ground-related expenditure happening. When it picks up, the growth rate also picks up. But the blip has got to be understood in the broader context.

Now, I will come to differences in alignments of festivities. This is an important consideration because even countries which annually are in a Christmas festival mood or any other festival mood, there is a rise and dip in consumption and expenditure. Between September and October in the previous and current year, particularly for India, it created a modest downward bias for the Q2 growth. I think it is because there was a 15-day period where the people do not spend and that period came very close to the Dussehra vacation also when people spend.

(1510/AK/SK)

As a result, that quarter got affected by good-spending fortnight and a not-so-good fortnight, both occurring during that quarter itself. So, the Government believes that the trend in quarter two of 2024-2025 is only a temporary blip and the economy will see heathy growth in the next quarter. Also, a generalised slowdown in manufacturing is not expected as it is restricted to a few sections only.

This is an important fact that I would like to place for the consideration of the hon. Members. Out of 23 manufacturing sectors, in the index of industrial production, about half of them remain strong even now. So, we need to put this in context. The capital expenditure of the Union Government has grown by 6.4 per cent year-on-year between July-October, 2024. So, I am very optimistic about improved performance going further and going forward.

This addresses a large section of the MPs who spoke. I name some of them, namely Shri K. C. Venugopal, Prof. Sougata Ray, Shri Anil Desai, Shri N. K. Premachandran, Shri Manish Tewari, Shri Lalji Verma, Sushri Sayani Ghosh, Shri Vishaldada Patil and Dr. Amar Singh. All of them, while mentioning different

aspects of the economy, did raise these points. So, I thought that I should upfront start with this.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): We are all worried about the growth.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: There was equally a lot of voice about inflation being very high. This was particularly raised by four Members who had also raised the previous issue. Retail inflation declined to 4.8 per cent between April to October, 2024-2025 compared to 5.4 per cent in 2023-2024. This is the lowest since the COVID-19 pandemic started. It was the lowest retail inflation.

Core inflation, which excludes volatile food and energy prices, remains at 3.6 and is at a decadal low. It is a very important data which we have to take on board. We, in the Union Government, remain committed to better managing of food inflation where volatility in specific food items is weather-driven.

Building buffers is one of the key performances, which I can place here for Members' consideration, particularly in key food items such as cereals, pulses, and distribution of food items like onions, rice, toor dal, wheat flour, gram and so on. So, these are happening through designated outlets at subsidised prices. I have spoken before on this. Bharat brand atta and Bharat brand dal are provided in essential commodities at an affordable price. The prices have been very reasonable and the uptake is also very considerable. Bharat dal is available at Rs. 60 per kg for one kg pack. Bharat atta costs Rs. 30 per kg and Bharat rice costs Rs. 34 per kg, and they are available through particular outlets.

The discussion, again, on the inflation is normally taken for the number that is revealed in the latest quarter. But I would again like to put a perspective before hon. Members. Most often, I have done this and I think that there is merit for us to look at it in this way because it is important to understand the context and also the perspective to keep it as wide as possible.

Madam, between 1999-2004, the headline inflation was controlled at 3.9 per cent. The reason why I am bringing this is something which I will explain a bit later, but I am laying the ground for that inference. The headline inflation was controlled at 3.9 per cent between 1999 and 2004, but between 2004 and 2009, the inflation surged to 5.6 per cent. Again, come over. You can compare it with 1999-2004, which I am talking about. But when you come to 2009-2014, it spiralled to 10.2 per cent representing a catastrophic failure to control rising prices. Come again to 2014-2024, the inflation was brought back to 5.1 per cent.

(1515/UB/KDS)

The pattern that is emerging, if you look at it, for the last 25 years, is that the inflation during NDA period is well under control, whereas during non-NDA, particularly during UPA period, it touched double digit inflation. So, let us not forget this pattern when we want to criticize one another about inflation and inflation control. The hon. Member can be similarly introspecting on the impact of COVID-19 and the wars which are happening now.

Madam, food inflation was a modest 2.2 per cent during 1999-2004. From 2004 to 2009, it reached 6.5 per cent; from 2009 to 2014, it reached 11 per cent; and from 2014 to 2024, it is back to 5.3 per cent. So, the pattern is consistent. You split 25 years between UPA or non-NDA and NDA, you will see that inflation is better controlled under the NDA regimes.

Madam, hon. Member, Manish Tiwari, was talking about fuel inflation. I quite appreciate his concern because this can affect poor families as well. I want to place the data before. Under UPA-II, the fuel inflation was 8.9 per cent compared to the 10 years between 2014 and 2024, which is at 4.4 per cent. But I just want to highlight the fact for hon. Member, Manish Tiwari's question. He talked about the LPG cylinder and I am sure this is something which most of the hon. Members will be interested in knowing about. Under the Congress regime, the LPG cylinders were a privilege and scarce commodity. Before April 2014, nearly 45 per cent of the Indian households did not have access to clean cooking fuel. In contrast, the LPG coverage under the NDA regime has reached near saturation. The total number of domestic active LPG customers has more than doubled from 14.52 crores in April 2014 to 32.65 crores as of June 2024. I am not giving an exact number. The approximation is that there are 33 crore households in this country. Madam, 32.65 crore households have got LPG cylinder connection. It is near saturation in making sure that gas cylinders reach every household. So, I must credit the Ministry of Petroleum and Natural Gas for having taken this distribution of LPG to households. After Ujjwala came in, we have made sure that many of those families which gave up the extra cylinder on hon. PM's nudge that he gave, urging people to give up the subsidy who do not need it, many people gave it up, but Ujjwala grew as much as also the others who do not need Ujjwala. So, the total saturation is 32.65 crore households and from among this number, 10.33 crore Ujjwala beneficiaries are also there. So,

these 32.65 crore households include Ujjwala 10.33 crore households. An Ujjwala-14.2 kg cylinder is given at an effective price of Rs. 503. I want to highlight the fact that if we are to compare India with its immediate neighbourhood, you will know that India's LPG cylinder is very reasonably priced for the Ujjwala consumers that I am talking about.

(1520/RCP/MK)

Madam, in the neighbouring countries, as on 1st November, 2024, the prices are like this. In Nepal, it is Rs.1,209.21. I am saying it in INR, Indian rupees. In Sri Lanka, it is Rs.1,211.24. In Pakistan, it is Rs.1095.41. For Ujjwala customers in India, it is Rs.503 only. The immediate question would be what about those non-Ujjwala customers because it is an essential thing for a household. The effective price of non-Ujjwala consumers – and I am talking of New Delhi – is Rs.803. So, I want a clear appreciation, not so much for appreciating but for recognition of the fact that compared to the neighbourhood, India’s LPG prices even for non-Ujjwala are far lesser than what it is like in our neighbourhood. That is essentially for Shri Manish Tewari’s question.

There were concerns expressed also about unemployment being very high. Several Members raised questions on it, and I highlight some of the facts. The all-India annual unemployment rate has been declining according to the Periodic Labour Force Survey report. Beginning 2017-18, it has been falling from 6.0 per cent in 2017-18 to 3.2 per cent in 2023-24. Unemployment rate was six per cent in 2017-18. Today, it has come down to 3.2 per cent. This is accompanied by a rise in the labour force participation ratio and worker to population ratio figures as well. A very important factor is the gender component. The female labour force participation rate has been on the rise for the past six years from 24.5 per cent in 2018-19 to 41.7 per cent in 2023-24. We will be glad to know that this is largely driven by rising participation of rural women into the labour force. So, this is a very noteworthy transformation that we are seeing. I would like to put it before you, hon. Chairperson.

According to the latest payroll data of the EPFO, the cumulative net addition of EPF subscribers – which very clearly shows the formal employment – touched 91.1 lakhs in the first half of this year, that is 2024-25, which is nearly 29 per cent higher than the cumulative net additions of 70.5 lakhs in the same period last year. So, it is important and we are clearly talking about the net

addition. It is not the numbers which have gone; we have ignored it, or anything like that. We are talking about net additions. Nearly two-thirds of the new subscribers in the EPFO payroll have been from the 18 to 28 years band. So, for all of us who rightly have concerns about the youth of India, I would like to show this figure that the net addition to the EPF subscribers' number has two-thirds of them coming from those in the age group of 18 to 28. So, the youth of India are coming on board and getting into the EPF-related registers.

There was also a concern and a lot of discussion about the procedure not being followed in sanction of Contingency Fund advance. I think, it was Member N.K. Premachandran ji who raised this point. I would like to respond to him because I think he highlighted it. I appreciate the fact that N.K. Premachandran ji gets into a lot of granular details of the budget and also of the General Financial Rules.

(1525/PS/SJN)

He said, and I quote:

> "The procedure given in para 5 of Delegation of Financial Powers Rules regarding laying Statement by Ministers who are giving Contingency Fund Advance is not followed."

That was his concern. I would like to remind the hon. Member, N. K. Premachandran ji that the procedural issue which you have raised is about the withdrawals of Contingency Fund and advance of Rs. 100 crore given to MNRE for the PM Surya Ghar. Am I right? Based on the request of the Ministry, the Contingency Fund Advances are normally given to various Ministries, and in this case, the Contingency Fund Advance of Rs. 100 crore was sanctioned on 4th October, 2024 at a time when the Parliament was not in session. This amount is being recouped -- and that you will see in the Supplementary Demands for Grants -- through the Supplementary Demand which we have placed now. So, the Ministry of Finance does not normally permit Consolidated Fund Advances when Parliament Session is underway. In the instant case that he is referring to, the Finance Ministry has not issued the sanction during the Parliament Session. I would just like to mention it very clearly for Shri N.K. Premachandran's consideration. If at all, the withdrawals of CF Advance have happened by any Ministry, the Minister concerned is required by a Rule to lay a paper in the House. And that is the extant procedure.

Madam, similarly, I think it was one of the Members, if I am right Lalji Verma ji, had mentioned that this Supplementary Demand for Grant is being presented within one month of the Budget. I am not sure whether Lalji Verma ji is here. This is the First Batch of the Supplementary Demands for Grants. And even as I opened my statement, I said that the regular Budget in this election year was presented in July, and now, we are into December. We are several months away from July, not one. So, that statement unfortunately does not seem to be correct. This has been reduced. The Supplementary Demand for Grant is the first one. I would like to definitely place on record that we have kept the Supplementary Demands for Grants. Normally, three are permitted. We have tried keeping it within two and never moving to the third except for one year when the third also had had to happen. So, the Supplementary Demands for Grants are not too many, not too frequent, and do not happen for simple and small reasons. So, I want to leave the data behind that this is the first one. In fact, I am very grateful that some of the hon. Members have mentioned about the amount that this time, the Supplementary Demand amount itself is far lesser than the last time, showing greater accuracy in the B.E. stage itself of Budget making. So, there is a greater and absolute targeting of what is the Budget Estimates ought to be, and there is not, therefore, much of a requirement to come with huge Supplementary Demands, and not too many of them as well.

Madam, there has been a concern about sustaining the growth. I have broadly spoken about the growth and the growth-related figures earlier. But what are the specific steps that the Government has taken to push and to sustain growth? That was one of the questions. As much as private sector investments slow down and more investment on infrastructure – all these have been points on which a lot of Members have raised their concerns. I would like to broadly say, and that even at the beginning we have said, that there has been a considerable emphasis on capital expenditure. Repeatedly, every year, our capital expenditure amounts are only growing, not in just actual numbers but in percentages as well.

(1530/SMN/SPS)

This year, we allocated Rs. 11.11 lakh crore for capital expenditure. If we understand that together with the amounts that we have given to the States, this year particularly, we have given Rs. 1.50 lakh crore to the States as interest free

50 years' loan for capital assistance if effective capital expenditure of the Union Government is taken on board. And what is the effective capital expenditure? It includes budgeted capital outlay and grants in aid for capital creation. If these two are put together, you get the effective capital expenditure figure and while Rs. 11.11 lakh crore is the capital expenditure announced in the BE, effective capital expenditure inclusive of capital assistance to the States interest free, it is pegged at Rs. 15.02 lakh crore, one of the highest in Government of India's history. This is the amount we are giving for capital expenditure which has given a big role also for the States to build their capital expenditure account and as a result, I think the steps that we are taking to push for growth and to sustain growth are going through this route of capital expenditure so that the multiplier effect which will spread through the economy and therefore, give a greater attraction and multiplier effect to the economy itself will be bigger because I think we have spoken about this as well which I would like to emphasize again that for every rupee spent on capital account, the multiplier effect that you get touches even 3.8 or sometimes 4.3. That is the kind of multiplier you get when you spend on capital account whereas if you spend on revenue account, for every one rupee, you would get only 0.98, less than 100 paise, which is one rupee. So, that is not going to benefit if we just spend money or put money in the hands of the people, promote immediate consumption so that people can go out in the market and buy the essentials. They are important but the multiplier that gives is far lesser than the multiplier that you would gain when people are given in situ jobs because projects are running, capital assets are being built. We have gone through that route and this time, the effective capital expenditure of the Government of India is at Rs. 15.02 lakh crore.

What are the expenditure on which this amount is getting spent? Regional connectivity, robust highways, railways, coastal shipping, digital infrastructure and multimodal logistics are areas in which we are spending this money and also addressing skill deficit through package of five schemes which we have announced in this budget itself. And these have given results. So, it is not as if I have spent the money but we do not know what is the outcome. The results are there for everyone to see - increase in Gross Fixed Capital Formation to 30.8 per cent of the GDP in 2023-24 compared to an average of 28.9 per cent between 2014-15 and 2018-19, pre-pandemic years. So, pre-pandemic years,

you had 28.9 per cent as Gross Fixed Capital Formation whereas now it has gone up to 30.8 per cent. Also, private investment by non-financial firms about 3200 firms, independent research looked into it and said 11.6 per cent is the growth in private investment by non-financial firms. That itself will explain it. I am talking not about the banks, not talking about the NBFCs but other firms which are in the private sector. And improvement in the ranking of the world bank logistic performance index from 54th place where we were in 2014 to 38th place in 2023 to 44th place in 2018 and 22nd place in 2023 particularly under international shipments category.

Madam, you probably are aware that in every session of the Budget, we have questions on tax devolution to Opposition ruled States.

(1535/RP/MM)

There are questions that they have been reduced particularly for Kerala, Karnataka, and Himachal Pradesh. Shri K.C. Venugopalji asked about it. I would like to again – like the way I do in every Session – answer this question. The tax devolution to States is based on the formulation and the recommendation given by the Finance Commission. Within first 45 months of the 15th Finance Commission, the current Finance Commission, the tax devolution to these States is more than the total tax devolved to these States in the entire period of the 14th Finance Commission, entire period of the 14th Finance Commission, five full years, and you can take 45 months of the current Finance Commission, which is just about four years and three months. I am going by State by State.

The State of Karnataka, during the 14th Finance Commission, between 2014 and 2019, had Rs. 1,35,044 crore devolved to it; and within the 45 months of the current Finance Commission they have received Rs. 1,41,937 crore, which is already much more than the entire five year period of the previous Finance Commission. The State of Himachal Pradesh received Rs. 20,830 crore during the 14th Finance Commission's entire period whereas what they have received in the first 45 months of the current Finance Commission is Rs. 32,087 crore. The State of Kerala received Rs. 71,713 crore during the earlier Finance Commission, during its entire period, whereas in the 15th Finance Commission, which is the current Finance Commission, and in first 45 months received Rs. 75,171 crore. So, there is no question about anything. Everything is on-time, and much more, that is what is being devolved to all States, and there

is no difference between which State is ruled by which party. Everybody gets what their due is. That is the principle with which Prime Minister Modi guides me, and that is what we do.

Madam, slow pace of expenditure from the budget 2024-25 is another question which N.K. Premachandranji asked. The Union Budget, the regular one, for 2024-25 was passed by the newly constituted Lok Sabha after the parliamentary election in August. I have already explained that subsequently when the money went to the States, and when States got on to the ground to do their expenditure almost two quarters were delayed. So, this situation is broadly similar to all other election years. However, the total expenditure up to October 2024 was Rs. 24.74 lakh crore. This is 51.3 per cent of BE which is broadly similar to pace of expenditure up to October 2023. So, it is not slow since the second quarter.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I fully appreciate the expenditure made by the Government during the six months, that is, 51.3 per cent of the total expenditure, more than that of the total Budget allocation.

My point was that the most labour-intensive sector is the MSME sector, and the Budget outlay was Rs. 22,137.95 crore. There is a revised outlay. I cannot understand what is the revised outlay at this juncture. Further, the expenditure till 2021-2024 is Rs. 992 crore, which is just lower than 15 per cent. When the total expenditure is more than 51.3 per cent, how can it be just less than 15 per cent in the MSME sector alone? That is my question.

(1540/VR/YSH)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I am thankful to the hon. Member for giving that clarification. I want to be sure that I do not repeat it, but I would like to emphasize on the point that this Budget gave five particular different schemes to enable the MSMEs to have greater liquidity in their hand, and greater access to credit like never before, and I say this in particular that MSMEs only had working capital given to them. Our Government has now made a provision for them to also have term loans for doing their business, which means they can take the loan from the bank and invest in plant and machinery. But they are after all small firms. They will not have huge collateral to offer; they would not have security to give. So, I am grateful to the hon. Prime Minister who very clearly said, and we gave assistance for the small traders on the street – PM SVANidhi;

we gave assistance for women and small people who are doing their business – PM MUDRA. All of them are sovereign guaranteed collateral free loans. Similarly, for the term loans that we are giving to the MSMEs, we have provided for sovereign guarantee. This is happening for the first time in this country.

So, hon. Member, Shri N.K. Premachandran be informed on this that MSMEs never had that provision in all of free India, 1947 onwards, for a term loan and a sovereign guaranteed term loan, we have given that this time. But on the specific point of why it is not spent or why it is not acquiring that much of traction within this year, the same is the case. If the Budget was passed in July and the Department had to do it all on the ground within the next four months, it will have its own difficulties. But that is not to say that this program will not continue. It will continue with the same gusto. So, I want the fact that this year has a peculiarity, Vote on Account, a regular Budget in July, and after which, when expenditure has to happen in all sectors with the same speed, some Ministries do take the time.

I am going around visiting MSME clusters, establishing SIDBI branches there, asking SIDBI to give more loans to the MSMEs under the newly designed post the regular Budget schemes. I appreciate your concern on MSMEs, but it is not being brought down.

Madam, like always in every Session, you yourself are from West Bengal, and I have heard Prof. Sougata Ray interrupting to say, 'Would you also speak on this?' So, I am speaking now. 'The Stare of West Bengal has been deprived of funds from the Central Government under MGNREGA and PM Awas Scheme', was raised by Prof. Sougata Ray and Ms. Sayani Ghosh. I am not sure if she is here. *....(Interruptions)*

Madam, through you, I would like to put the facts. Like every other year, the State PMAY Gramin Awas Yojana was being implemented in West Bengal since 2016-17. The Government had also released Rs.25,798 crore as the Central share to the State since 2016-17. However, complaints of irregularities in the implementation of PMAY Gramin, including a selection of ineligible households from the Awas Plus-2018 list, removal of eligible households and renaming of the scheme in the State as Bangla Awas Yojana, have been received. The Ministry has sought an Action Taken Report from the State Government.

Similarly, Madam, and again I have said this even earlier in very many different Sessions, under MGNREGA complaints of misappropriation of funds have been received by the Government. Upon inquiry by Central teams, the complaints were proven to be correct. Madam, I may add that the Central team was accompanied by the State team as well when they went on inspection.
(1545/SAN/VB)

The complaints were proven correct, and not following the rule was clearly established.

The Department of Rural Development had sought latest status of action taken report. Now, the State Government has submitted the ATRs which are being examined by the Ministry of Rural Development. That is the current position on the question which Prof. Sougata Ray had raised.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, what I want to suggest or submit is this. If any corruption happens in any part of the State, why is the total amount of money being stopped? Where the possibility of inquiry appears or the Central Team and the State Team jointly detected any such area, you should stop sending money over there. But for few places or for one or two places, you are blocking the total money. My request and suggestion to you is to release the amount to the State which has dues from the Centre of more than Rs. 1,00,000 crore as a whole. So, would you kindly take up these two issues – MGNREGS and Awas Yojana?

I also want to request you that wherever reports of corruption are there, you should block money over there, but do not stop the full money as a whole for the total State.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: But we have not stopped it on that ground only now.

Madam Chairperson, the hon. Member is putting forth a suggestion to stop it where the corruption has happened, but do not stop the entire money. We have not stopped it entirely for all over the country. We have stopped it where the corruption has happened. … (*Interruptions*)

उनका सुझाव है कि मुझे पूरे देश में यह नहीं रोकना चाहिए, जहाँ करप्शन हुआ है, वहाँ रोका जाए। मैं वही तो कर रही हूँ। बंगाल में करप्शन हुआ, उसको रोकूँगी।… (व्यवधान) क्या मैंने गलत समझा है? … (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): No, Madam. I am talking about my own State.

श्रीमती निर्मला सीतारमण: जी हाँ, मैं आपके ओन स्टेट के विषय में ही बोल रही हूँ।... (व्यवधान) Do you want English or my *tooti-footi* Hindi? ... (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Where it has happened, you stop sending money for those portions, but the money for the whole State is being stopped.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: You are saying that in the State of West Bengal, जहाँ करप्शन हुआ, वहाँ न दिया जाए, बाकी जगहों पर दिया जाए। लेकिन यह मैं कैसे तय करूँ? ... (व्यवधान)

Madam Chairperson, even when I do no stop, even when I do not delay or even when I give an advance payment – when I have to give payment for one month and am giving for two months – I am accused of differential treatment to different States.

करप्शन हुआ, यह साबित हो गया है। सेन्ट्रल की टीम और स्टेट की टीम साथ में गए। पेमेंट का रिक्लेम करो, ऐसा आदेश मिलने के बाद रिक्लेम न करते हुए, दोबारा ट्रेजरी से ही उसकी भरपाई कर रहे हैं, मतलब करप्शन हुआ। उसके बाद मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँ कि पूर्व मेदिनीपुर में नहीं हुआ, नॉर्थ बंगाल में हुआ, 24 साउथ परगना में हुआ। मैडम, यह मैं कैसे तय करूँ? अगर मैं तय भी करती हूँ, तो किसकी मान्यता होगी? अगर बंगाल का चुपचाप मानते हैं तो भी बाकी स्टेट्स मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे कि यह करने के लिए आप कौन होती हैं? इसलिए पूरी तरह से इसको साफ करने के लिए मैं आपके माध्यम से बंगाल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसको साफ करो। फिर आते हम। जितने भी प्रश्न उठाए गए, उनका स्पष्टीकरण दो, एक्शन में दिखाओ, उसके बाद आपके पैसे कौन रोकने वाला है? हम बिल्कुल आपके पैसे देंगे।... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, West Bengal is being targeted by the Centre. ... (*Interruptions*) आप कितने दिन तक यह करेंगी? Your purpose to make your party more influential in the State will never materialise. The result will always be 6-0.

(1550/SNT/PC)

Give money to the State. Poor people are hungry. Take care of them. I request you with folded hands, all money must not be kept detained. It cannot happen for a particular State.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Chairperson, I fully appreciate the concern. Our intention is not to put anybody to difficulty. Kindly allow me one minute of indulgence for the political observation which the hon. Member has made. आप जब तक ये करते रहेंगे, आपको बंगाल में सीट नहीं मिलेगी। … (व्यवधान) मान लीजिए, यह सच है, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? … (व्यवधान) आप खुश रहो, सब जीतो। … (व्यवधान) आराम से बैठो। नहीं, दिक्कत हो रही है। … (व्यवधान) जनता देख रही है कि गरीब का पैसा किसके हाथ में जा रहा है? … (व्यवधान) पार्टी वर्कर्स के हाथ में जा रहा है, यह अब खुलासा हो गया है, इसीलिए, उधर दिक्कत हो रही है। … (व्यवधान)

जब हम उसके लिए तैयार हैं, आपके स्टेट में आते हैं, आपकी टीम के साथ ही जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। … (व्यवधान) आपकी टीम के साथ में रहने के बाद भी दिखता है कि घपला हुआ। … (व्यवधान) उसको सही करने के लिए मौका भी देते हैं, फिर भी आप यही राजनीतिक भाषा बोलते हैं कि जब तक ये करोगे, बीजेपी नहीं आएगी? … (व्यवधान) नहीं, देश अच्छा होना चाहिए, मोदी जी का संकल्प यही है। … (व्यवधान) अच्छा, करप्शन रहित देश बने। गरीब का जो पैसा है, वह उसको मिलना चाहिए। … (व्यवधान) जहां घपला होता है, वहां हम साथ नहीं रहने वाले हैं। … (व्यवधान)

1551 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Centre and State should have an open relation.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I agree on that. Centre and State will have to work together. I agree on that.

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ दो विषयों पर स्पष्टीकरण दे देती हूं। … (व्यवधान) माननीय सदस्य, श्री धर्मेन्द्र यादव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। … (व्यवधान) वैसा ही प्रश्न श्रीमती सुप्रिया सुले जी ने भी पूछा था। … (व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): The Congress Party raised the issue of SEBI.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: All right, I am trying to answer as much as possible. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यह बोलना चाहती हूं कि प्रो. सौगत राय जी सिर्फ डिस्टर्बेंस करने की ही एक माइलपोस्ट रखते हैं। … (व्यवधान) ठीक है, हम सबको आदत हो गई है। … (व्यवधान) फिर वे एक विषय उठाते हैं, उसका मैंने पूरे विवरण के साथ जवाब दे दिया। … (व्यवधान) अब दूसरा माइलपोस्ट रख दिया? … (व्यवधान) क्या मुझे सिर्फ इनको

ही अटेन्ड करते रहना चाहिए? … (व्यवधान) किसी और माननीय सदस्य का जवाब मुझे नहीं देना है? … (व्यवधान)

ऑनरेबल स्पीकर सर, ब्लैक मनी के ऊपर श्रीमती सुप्रिया जी और श्री धर्मेन्द्र यादव जी ने प्रश्न उठाया था। … (व्यवधान) इस विषय पर सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। … (व्यवधान) Action has been taken on very many unaccounted, undisclosed foreign assets.

मैं इसको तीन कैटिगरीज़ में रख रही हूं। Investigation of HSBC, ICIJ Panama, Paradise, and Pandora leak related cases. In connection with all these, information has been received through various leaks, like Panama Papers leak, Paradise Papers leak, Pandora papers leak, HSBC, ICIJ. Intrusive actions were taken in 120 cases. Further, undisclosed income of Rs. 33,393 crore have been detected under 582 cases which have been taken up. A multi-agency group, consisting of representatives from various enforcement agencies, organisations has been set up by the Government for expeditious and coordinated investigation of various categories of foreign assets such as Panama, Paradise, and Pandora papers leak.

(1555/AK/IND)

The second thing that I want to highlight is the constitution of the SIT on black money. The Government, of course, has constituted a Special Investigation Team and that is working from 2014. Meetings of the SITs are regularly taken up and Action Taken Report is also reviewed, particularly cases involving undisclosed foreign assets and income have really been monitored.

As regards enactment of Black Money Act, 2015, the Government enacted a comprehensive and stringent new law, namely the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 that has come into force from July, 2015. The salient feature of this Black Money Act is that 30 per cent tax is imposed on any undisclosed foreign income or foreign assets and then a penalty of 90 per cent, three times the amount of the tax, is also imposed on them. Penalty for failure to furnish returns or undisclosed or inaccurate details of foreign assets are also levied

a penalty of Rs. 10 lakh and so on. Then, there is a lot through the court action.

For the effective administration of the Black Money Act, 2015, the creation of a Foreign Assets Investigation Unit has been established. 29 Foreign Assets Investigation Units are set up under the Directors General of Income Tax for investigation all across the country. Proceedings under the Black Money Act, 2015, as of June 2024, in about 697 cases raising a demand of more than Rs. 17,520 crore,163 prosecutions have been launched, and foreign asset schedule has been issued in the ITR.

This is a very interesting information. The number of taxpayers disclosing foreign assets were 60,467 in the year 2021-2022. Now, it is two lakh tax payers in 2024-2025. The Black Money Act is actually having a deterrent effect on a lot of taxpayers that today they come forward on their own to disclose their foreign assets. … (*Interruptions*)

A very important data is that 82 cases till 30 June have been referred to the ED under the PMLA Act. … (*Interruptions*) Specific numbers were asked. Total tax collected under the Black Money Act (BMA) is Rs. 2,655 crore as of June, 2024. It is the total money raised under the Black Money Act. The number of cases in which assessments have been passed are 697, demand raised is Rs. 17,520 crore, the number of cases in which penalty has been levied is 341, penalty levied in crores is Rs. 9,971.47, prosecution launched is 163, number of cases where assessment is pending is 531, number of cases were penalty initiated and pending is 532. So, these are the actual figures to show that the PMLA and the Black Money Act are actually giving their due returns for all the taxpayer money which has got to be obtained for the sake of the country.

On the PMLA, ED has successfully restored property's value, at least Rs. 22,280 crore and I am only talking about the major cases. We all question about ED. The return and also the money, which have been claimed by the ED is this much.

(1600/UB/RV)

There are restored properties worth Rs. 22,280 crore in major cases and I would like to list the number of cases. In Vijay Mallya case, the attached properties worth Rs. 14,131.6 crore have been restored to the public sector banks. So, there is no way in which I can go on listening to very many Members who without the facts go on saying, “No haircut has happened. Big people are allowed to take the money, small people are being punished”. No way! We have not left anyone. Even if they fled the country, we have gone after them. The Enforcement Directorate has collected this money and given back to the public sector banks. The amount of Rs. 14,131.6 crore has been restored from Vijay Mallya only.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, I would like to know if he has returned all the money he owed to the banks.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am talking about the attached properties. There can still be some more cases but attached properties and their monies have gone to the public sector banks and this is the money that is obtained from them.

In Nirav Modi case, Rs. 1,052.58 crore has been restored to the public and private banks. In National Spot Exchange Limited scam, Rs. 17.47 crore have been obtained and given to the banks. In SRS group case, which is the SRM groups, Pearl City and Prime Projects in Gurugram, the property worth Rs. 20.15 crore has been restored. In Rose Valley case, Rs. 19.40 crore have been restored. In Surya Pharmaceutical Limited case, Rs. 185.13 crore have been restored. In the case of Nowhera Shaik and others and in respect of the Heera Group, Rs. 226 crore have been restored. In the case of Amrutesh Reddy Naidu and others, Rs. 12.73 crore have been restored. In the case of Mehul Choksi and others, Rs. 2,565.90 crore have all been taken. Then the liquidators in the Gitanjali Group of Companies will carry out valuation and auction of the attached or seized properties worth Rs. 2,565 crore. That is also happening. In the case of Nafisa Overseas and others, Rs. 25.38 crores have been restored. In the case of Bhushan Power and Steel Limited, the Supreme Court ordered restitution of assets worth Rs. 4,025 crore to JSW vide its 11th December orders. So, it is important to recognize that we have not left anybody in economic offences. We are after them. We will be making sure that money which has got to go back to the banks will go back.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर श्री सुधाकर सिंह द्वारा आठ प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के समक्ष मतदान हेतु रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 8, 10, 11, 13 से 21, 23 से 38, 43 से 54, 56, 57, 60 से 62, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 76 से 79, 81, 83, 85 से 87, 89 से 95 और 97 से 102 के सामने दर्शाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(1605/RCP/GG)

APPROPRIATION (NO.3) BILL

1605 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2024-25.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित करें।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I introduce the Bill. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Item No.23.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Speaker, Sir, I beg to move:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2024-25, be taken into consideration."

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

1607 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the Finance Minister Madam has replied to a technical objection which I have raised yesterday, that is regarding the laying of the statement before taking advance from the Contingency Fund of India. Madam has responded to my question that it is not during the Session and on October 1, the Ministry of New and Renewable Energy has taken an advance of Rs.100 crore from the Contingency Fund of India. The rules specifically State that soon after the advance, a statement has to be laid on the Table of the House. Unfortunately, that statement has not been laid before the House. It is a technical defect and error on the part of the Ministry. That has to be clarified because the Parliament cannot be taken for granted. This is because it is a rule. You are taking advance from the Contingency Fund. We are permitting it. The Parliament is granting it. But in emergent cases, if you have taken any advance, it is a mandatory provision according to the rules which you have already made that you have to lay a statement on the Table of the House that you have taken this much of advance from the Contingency Fund of India. Unfortunately, such a statement has not been laid on the Table of the House so far.

1609 hours

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Speaker Sir, I appreciate the technical detail that hon. Member Premachandran is asking. The rule specifically says that for the amounts given as advance from the Consolidated Fund, Contingency Fund, given before the Session in place, for instance, or whenever it is given, will have to be reported in the Parliament. That is exactly what we have shown in the Supplementary Demand for Grants where the advance given from the Contingency Fund was Rs.100 crore and Rs.100 crore are shown here in the Supplementary … (*Interruptions*) You are a veteran in this Parliament. … (*Interruptions*) I fully understand this. When that amount is granted, which is not normally done, during the Session, then the statement comes separately. … (*Interruptions*) Wait a minute. Have I run away from the House?

I am standing here with your permission to answer this. If I had escaped and gone away, I can understand then. I am here to answer you. … (*Interruptions*) Shall I speak in Hindi Sir? My Hindi is even worse.

(1610/PS/MY)

Sir, just for the information of the House, I am reading from the Delegation of Financial Powers Rules, 2024, and this is Appendix-I, paragraph 5:

> "Where in an emergent case of 'New Service'/'New Instrument of Service' it is not possible to wait for prior approval of Parliament, the Contingency Fund of India can be drawn upon for meeting the expenditure pending its authorization by Parliament. Recourse to this arrangement should normally be taken only when Parliament is not in session. Such advances are required to be recouped to the Fund by obtaining a Supplementary Grant. However, when Parliament is in session, a Supplementary Grant should preferably be obtained before incurring any expenditure on a 'New Service'/ 'New Instrument of Service'. That is to say, recourse to Contingency Fund of India should be taken only in cases of extreme urgency. In such cases the following procedure recommended by the Sixth Lok Sabha Committee on Papers Laid on the Table in their 4th Report should be observed."

What is that which has been recommended? Here, I am quoting it:

> "As far as possible, before such withdrawal is made, the concerned Minister may make a statement on the floor of the Lok Sabha for information giving details of the amount and the scheme for which the money is needed. In emergent cases, however, where it is not possible to inform the Members in advance, the withdrawal may be made from the Contingency Fund and soon thereafter a statement may be laid on the Table of the Lok Sabha for the information of the Members."

That is exactly what we are doing. We have put it into the Supplementary Demand for Grant, and even if that is insufficient … (*Interruptions*) I have not finished Premachandran ji. … (*Interruptions*) I have not finished. … (*Interruptions*) Do not worry. He is safe. You do not need to protect him, Sir. … (*Interruptions*) And we have had such exchanges before. … (*Interruptions*) Maybe, you have not seen. You may not have been in the House.

So, that is what we are doing in the Supplementary Demands for Grants. I am not even looking at him. I can see him wildly shaking his head saying, 'No, not that.' This House is still in Session. And if such a thing is required, the Ministries, which have taken it, are still having the time to come back and lay the paper that you so desire. And I respect the Rule. And if that is not satisfactory, with your permission, he can still ask me more questions. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

'कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Speaker, Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

'कि विधेयक पारित किया जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 24

(1615/SMN/CP)

READJUSTMENT OF REPRESENTATION OF SCHEDULED TRIBES IN ASSEMBLY CONSTITUENCIES OF STATE OF GOA BILL

1615 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker, Sir, with your kind permission, I move:

> "That the Bill for enabling reservation of seats in accordance with article 332 of the Constitution for effective democratic participation of Members of Scheduled Tribes and to provide for the readjustment of seats in the Legislative Assembly of the State of Goa, in so far as such readjustment is necessitated by inclusion of certain communities in the list of the Scheduled Tribes in the State of Goa and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ब्रीफ में इस बिल के बारे में बताना चाहता हूं। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 के अनुसार सीटों के आरक्षण को समर्थ बनाने और गोवा राज्य की विधान सभा में सीटों के पुन: समायोजन का उपबंध करने के लिए गोवा राज्य के विधान सभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन विधेयक, 2024 नामक एक विधेयक, आज विचार और पारित करने का प्रस्ताव मैंने किया है।

इसका बहुत ही लिमिटेड परपज है। वर्ष 2002 में वहां परिसीमन हुआ। वहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 566 थी। गोवा असेंबली ने संविधान अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम, 2003 पास किया। उसके अंतर्गत गोवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में तीन नए समुदाय कुनबी, गावड़ा और वेलिप को शामिल कर लिया गया, तो एसटी की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई। तब तक डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इसलिए राज्य में अनुसूचित जनजातियों की

जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वहां एसटी पॉपुलेशन जो 566 थी, वह अब 1,49,275 यानी करीब डेढ़ लाख हो गई है। इसलिए हम यह बिल लेकर आए हैं, ताकि जो अनुसूचित जनजाति के लोग गोवा में रहते हैं, वे गोवा असेम्बली में रीप्रेंजेंट कर सकें। इस लिमिटेड परपज के लिए मैं यह बिल लेकर आपके समक्ष आया हूं।

चर्चा के बाद जो भी सुझाव आएंगे, आपकी अनुमति से मैं उनका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(ends)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार स्थानों का आरक्षण करने में समर्थ होने और गोवा राज्य की विधान सभा में स्थानों का पुन: समायोजन जहां तक ऐसा समायोजन गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने से आवश्यक हो गया है, के लिए तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस।

1617 hours

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): *(Thank you honourable speaker sir for giving me an opportunity to speak on a very important bill today.")

Thank you Speaker Sir for giving me an opportunity to speak on this very important Bill concerning the representation of the tribal community in Goa.

1618 बजे (श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

Madam, Chairperson, when we make a mere mention of Goa, it invokes a picture of natural beauty, clean environment, beautiful rivers, the lush green fields, the rich forests, the tall mountains and the ever beautiful beaches where they descend to play with the subtle ripples of the waves. But when did this beautiful land come into existence? It was 500 years back or 1000 years back. Traditional folklore in the word of mouth traces the origin to over 6000 years and that is where the first footprint of a tribal community was found.

Madam, the tribal community in Goa awaits with great anxiety as we the elected representatives have gathered to decide the future of our tribal community in Goa. Who are the tribal communities of Goa?

(Our Honourable Minister has stated that these 3 communities were added in 2001, it is not so, these communities have been there for thousands of years.)

Many of our hon. MPs have asked me with surprise about the existence of tribal communities in Goa. Well. As per a research paper submitted to the Goa university in July, 2015, the Goan tribes consisting of the Gawda, Kunbi and Velip community were the first settlers in Goa belonging to the Proto-Austroloid group popularly known in Goa as *moolgoankar* which means indigenous people.

(1620/RP/SK)

It is pertinent to note that the tribal ministerial portfolio in Goa was first declared in 2010 under the Congress Government and a separate budget was approved for tribal welfare and development.

Madam Chairperson, I also want to make it clear that the Congress Party has been trying to give justice to the tribal community for many years. In 2013, based on the promise of the then Chairperson of UPA, Shrimati Sonia Gandhi, the then UPA Government under Dr. Manmohan Singh, introduced a Bill in Rajya Sabha on 26th February, 2013. (They have delayed that bill and our community didn't not the justice they deserve.)

*() original in konkani

I would fail in my duties if I do not take the name of late Parliamentarian Shri Shantaram Naik, who on 4th August 2016 raised a demand in the Rajya Sabha for reservation of seats in the Assembly for tribal community of Goa. On 10th December 2021, our leader Shrimati Priyanka Gandhiji came to Goa. She went to Quepe. She spent an evening with the tribal community, and promised them that the Congress Party will fight the battle for reservation. It is a great historical moment for me personally to be a Member of the 18th Lok Sabha to push for the rights of a tribal community in Goa.

Madam Chairperson, on behalf of the tribal community of Goa, I extend an invitation to all my seniors, and my colleagues in this great temple of democracy to visit my State, meet our tribal community, and have a meal cooked by them. Their cuisine is unmatchable, blended in flavours of the forest produce, the real organic vegetables, fruits plucked from the forest trees, and the natural nuts and berries. If one participates or even visits the home of a Hindu brethren in Goa during the Ganesh Chaturthi festival, one can witness the rare edible fruits, herbs, creepers, root leaves from a rich forest as part of the traditional Matoli. These are the produces of the forest that have been preserved by a tribal community.

Today, as we sit in this temple of democracy and debate on deciding on the Bill that will benefit the tribal community in Goa, I would like to bring to the notice of honourable Members of Parliament that a tribal community has their own decision-making system going back to thousands of years where the village elder or the village headman known as the *budhwant* or *gaonkar* would sit and take collective decision only after listening to the views of the entire tribal community. Similarly, there was a system called as Bara-jan, meaning 12 wise men who would assemble together and discuss and finalise various critical issues affecting the respective villages and areas. If we superimpose that system, Madam, we too are following a similar system wherein all representing our particular States or areas; we take decision by debating and discussing before arriving at a suitable decision.

They did it thousands of years before us, and sadly we are today discussing to give rights to our tribal community in Goa. Today, what we see in Goa, be it the roads, the bunds along the backwaters, the planting of mangroves along the coast, the terrace farming, the cashew plantation, the wells, the houses, the compound walls, etc., are the work of the highly skilled members of the tribal community in Goa. Shifting cultivation in the forest is a skilled practice by the tribal community.

I also want to bring to the notice of the hon. Members of Parliament from Jharkhand and also from Bihar that prior creation of Jharkhand, the members of the tribal community of Goa, who were famed for their skills in building of roads and in construction of compound walls and buildings, were specifically taken to Jamshedpur where they played a critical role in the construction of roads and other infrastructure in Jamshedpur.

Madam, the Bill that has been introduced proposes a readjustment in the representation of Scheduled Tribes in Assembly constituencies of the State of Goa. (1625/VR/KDS)

The Goa State Assembly presently does not have any reserved seat for Schedule Tribes and has only one reserved seat for the Scheduled Castes. The proposed amendments are aimed to address the disparity in the representation of Scheduled Tribes in the State Assembly as it is currently disproportionate to the Scheduled Tribes population in the State. Since the delimitation exercise in 2002, the population of Scheduled Tribes has increased with the recognition of three more tribes.

In Goa, the delimitation was conducted in 2002 based on data gathered through the 2001 Census, as per which the Minister rightfully mentioned that only 566 individuals belong to Scheduled Tribes. As a result, the Scheduled Tribes in Goa were not given a Constitutional mandated reservation in the legislature. The proposed Bill empowers the Census Commissioner to notify the population of STs in Goa based on which the Election Commission will amend the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order 2008 to make way for ST reservation in the 40-Member Assembly by taking into consideration the revised population. This is where the doubt arises about the real intention of bringing in the Bill. Will our community in Goa get representation as soon as possible or will there be endless delay?

Madam Chairperson, for decades we have delayed in giving the legitimate rights to our tribal community in Goa. Let us not waste any more time in deciding on this very important matter. I hope that the Government does not play with words, jargons and legal terms to delay the passing of the Bill.

Thank you, Jai Hind, Jai Goa.

(ends)

1627 hours

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल (वलसाड) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण बिल एसटी रिजर्वेशन (गोवा) पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बिल मेरे लिए इसलिए भी विशेष है, क्योंकि मैं खुद भी आदिवासी समुदाय से आता हूं। जब से भारत को आजादी मिली है, तब से आदिवासी समुदाय को हमेशा कांग्रेस ने भटकाने का काम किया है। केवल विरोध, विरोध, विरोध और आंदोलन पर ले गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का विकास नहीं किया। वर्ष 1998 तक जब पूरे भारत में आदिवासियों की जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा थी, तब भी आदिवासियों के लिए अलग से मंत्रालय नहीं था। होम डिपार्टमेंट में होम सेक्रेट्री छोटे से ऑफिस में पूरे आदिवासी समाज के कल्याण की योजना बना रहे थे। हमारे स्व.अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 1998 में अलग से एसटी मंत्रालय का गठन किया, ताकि जिसकी वजह से एसटी के लिए खास और विशेष योजनाएं बन सकें, स्कीम्स बन सकें, पॉलिसीज बन सकें तथा उनको इम्पावर कर सकें। वैसे ही पहले एससी व एसटी कमीशन भी एक था, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि एसटी की एट्रोसिटी अलग होती है और एससी की एट्रोसिटी अलग होती है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी भी उसकी चिंता नहीं की और एक ही कमीशन रखा था।

महोदया, स्व.अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिन्होंने अलग से एसटी कमीशन का गठन करने का भी काम किया। खासकर, जो हमारा 80 प्रतिशत आदिवासी समुदाय रूरल एरिया में रहता है, गांवों में रहता है। उनको सिटी की तरफ माइग्रेशन, पलायन करना पड़ता था। उसका मुख्य कारण था कि वहां पर पढ़ने की अच्छी सुविधा नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उसके लिए काम नहीं किया। हमारे स्व.अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 1998 में एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल, विशेष रूप से हमारे आदिवासी बच्चों के लिए खोले और वर्ष 1998 से वर्ष 2004 तक 100 एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया था। वर्ष 2004 से 2014 तक, जब कांग्रेस का यूपीए रूल था, तब एक भी एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल उसने नहीं बनवाए। जो आदिवासी समाज के लिए हमेशा काम करते हैं, ऐसा बोलने वाले लोगों ने एक भी एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल नहीं बनवाया। हमारे मोदी जी, जब वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री बने, तब उन्होंने एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल के लिए विशेष फंड, बजट दिया, ध्यान दिया, फोकस दिया, जिसके कारण 100 से लेकर आज पूरे भारत में आज 1 हजार से ज्यादा एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल बनाए जा सके।

(1630/MK/SAN)

जब हमारा गुजरात राज्य महाराष्ट्र से वर्ष 1960 में अलग हुआ, तब उमरगाम से अम्बाजी जो हमारी पूरी आदिवासी पट्टी है, उसमें सिर्फ जब कांग्रेस ने 45 साल राज किया, तो कुछ सब-स्टेशन लगाए थे। उसके कारण पूरे उमरगाम से अम्बा जी तक हमारा आदिवासी समुदाय अंधकार में रहा। वे दीया तले रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी वहां पर बिजली देने का काम नहीं किया। वर्ष 2001 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने ज्योतिग्राम योजना मेरे वलसाड

लोकसभा क्षेत्र से चालू की और आज 24 घंटे और 365 दिन बिजली देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उमरगाम से अम्बाजी तक जो हमारा पूरा आदिवासी पट्टा है, वहां पर हजार से ज्यादा सब-स्टेशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वैसे ही, जो उमरगाम से अम्बा जी पट्टी थी, वहां पर कोई भी मेडिकल स्कूल या कॉलेज नहीं था और न ही साइंस के कॉलेज या स्कूल्स थे। इस कारण हमारे आदिवासी समाज के बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल स्ट्रीम में नहीं जा पाते थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री नरेंद्र मोदी, जब मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने मेडिकल स्कूल और साइंस स्कूल खोलने का काम किया।

महोदया, जब कांग्रेस ने 45 साल गुजरात पर शासन किया, तब कुछ चंद हजार करोड़ रुपये ही हमारे आदिवासी समुदाय के लिए दिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी जब वर्ष 2001 में मुख्यमंत्री बने, तब 15 हजार करोड़ का बजट दिया और 20 हजार करोड़ रुपये खर्च हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 45 हजार करोड़ का बजट दिया और संघ ने 60 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया। … (व्यवधान) वर्ष 2023 में आदिवासी समुदाय के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। … (व्यवधान) उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब वर्ष 2014 तक केवल 25 हजार करोड़ रुपये का बजट हमारे आदिवासी समुदाय के लिए था, जो आज बढ़कर वर्ष 2024 में एक लाख 25 हजार करोड़ रुपये का बजट करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है।

महोदया, सिकल सेल हमारे आदिवासी समाज में बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से कई लोगों ने जान गंवाई है। मैंने खुद भी अपने परिवार में अपने बड़े भाई को सिकल सेल के कारण खोया है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी भी सिकल सेल की रोकथाम के लिए कोई काम नहीं किया है। वर्ष 2023 में जब बजट पेश हुआ, तो सिकल सेल के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का बजट देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग चालू की है और 4 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग खत्म हो चुकी है। वैसे ही स्टैंड-अप-इंडिया स्कीम के तहत पूरे एसटी, एससी और वूमेन एंटरप्रेन्योर्स को 33 हजार करोड़ रुपये देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। हमारे आदिवासी समुदाय में अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़े-छोटे उद्योग खोलने में सक्षम थे, लेकिन उनके लिए कांग्रेस ने कोई विशेष फंड नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खास वीसी फंड भी हमारे जनजाति समुदाय के लिए दिया है।

हमारे आदिवासी समाज में जो आदिम लोग थे, सबसे पिछड़े, बैकवर्ड और विकास से वंचित रहे समुदाय के लिए भी कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिम लोगों के लिए हजारों करोड़ रुपये का बजट दिया। उनके लिए अच्छा घर, मकान, शौचालय और साथ में ब्रिज बनाने का काम भी उन्होंने किया। जब भी हम लोग आजादी का इतिहास पढ़ते हैं, तो हमेशा एक ही परिवार का नाम आता है कि उन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया। आजादी के लिए सभी समाज ने बलिदान दिया, तब जाकर हमें आजादी मिली थी। उसमें हमारा आदिवासी समाज भी एकदम मुखर था, चाहे वह भगवान बिरसा मुंडा हों, तांत्या मामा भील हों, थलाक्कल चंदू हों या

तिलका मांझी हों। मानगढ़ जहां एक साथ हजारों आदिवासियों को मारने का काम अंग्रेजों ने किया था, वह कहीं भी इतिहास में दर्ज नहीं था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के जब 75 वर्ष पूरे हुए थे, तो पूरे साल उनको आजादी के अमृत महोत्सव में एक ट्राइबल हीरो के रूप में सेलिब्रेट करने का काम किया। हमारे आदिवासी समाज के सबसे बड़े भगवान, आइकॉन और मसीहा भगवान बिरसा मुंडा, उनको भी कांग्रेस ने कभी याद करने का काम नहीं किया था। ये हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने वर्ष 2021 में 15 नवम्बर, जिस दिन हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, उस दिन को जनजातीय गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस डिक्लेयर करने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है।

(1635/SJN/SNT)

वर्ष 2025 में हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म-जयंती थी, तब पूरे वर्ष 'आदिवासी गौरव दिवस' डिक्लेयर और सेलीब्रेट करने का काम किसी ने किया है, तो हमारे नरेन्द्र मोदी जी ने ही किया है। जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तब एक ही परिवार के लोग या एक ही परिवार के अप्वाइंटेड लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं। यह हमारे नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिन्होंने हमारे आदिवासी समाज से आई हुई महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी, जो कि वेल क्वॉलिफाइड और वेल डिजर्व्ड हैं, उनको राष्ट्रपति पद का इलेक्शन लड़ाया है और जिताया है, अगर वह काम किसी ने किया है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है।

कांग्रेस पार्टी हमेशा बात करती है कि यदि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो ये आदिवासियों का आरक्षण ले लेंगे, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने का काम करती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। कश्मीर जो कि भारत का दिल है, वहां वर्ष 2019 तक अनुच्छेद 370 लागू था। वहां पर नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे कि यदि नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी 10 बार भी जन्म लेंगे, तो अनुच्छेद 370 नहीं हटा सकते हैं, लेकिन वर्ष 2019 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया और वहां पर एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

आदिवासियों के जो सपोर्टर हैं, जो अपने आपको उनका हितैषी बताते हैं, जब वर्ष 2024 का इलेक्श्नन आया था, राज्य और केन्द्र का इलेक्शन था, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि यदि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम लोग अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी, एसीसी और ओबीसी समुदाय को जो आरक्षण दिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार उसको वापस ले लेगी, कांग्रेस के लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कहा था। जब राहुल गांधी जी अमेरिका के दौरे पर थे, तब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि यदि उनकी पार्टी की सरकार आएगी, तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे।

अगर मैं खासकर गोवा की बात करूं, तो सन् 1947 में भारत को आजादी मिली थी, लेकिन गोवा को सन् 1961 में आजादी मिली थी। जो साउथ गोवा है, वह पूरा ट्राइबल डॉमिनेटेड जिला है।

वहां पर वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं, यानी वहां पर 1,40,000 आदिवासी रहते हैं, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदिवासियों को स्टेटस देने का काम नहीं किया है। यह हमारी मनोहर पर्रिकर जी की सरकार थी, जिसने वर्ष 2003 में कुनबी, गौड़ा और वेलिप को आदिवासी समुदाय का स्टेटस दिया था। वह संसद में भी पारित हुआ था।

वर्ष 2012 में मनोहर पर्रिकर जी ने ट्राइबल्स के लिए 18 स्कीम्स लागू की थीं। गोवा में बीजेपी की सरकार है, उसने वर्ष 2023 में विधान सभा में यह रिजोल्यूशन पारित किया था कि संसद को एसटी का आरक्षण देना चाहिए। जब मार्च, 2024 में गोवा के सीएम, भारतीय जनता पार्टी और पूरी एसटी समुदाय की टीम ने अमित शाह जी से मिलकर रिप्रेजेन्टेशन दिया था कि गोवा में आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए। जब आरक्षण नहीं दिया गया, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां पर हमारे चार आदिवासी विधायक हैं। उनमें से एक विधायक गोवा विधान सभा के स्पीकर हैं। उनका नाम श्री रमेश तावड़कर हैं। हमारे आदिवासी समुदाय को यह पोजीशन देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी वहां पर एक मंत्री भी हैं।

मैं पुनः नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को पूरे आदिवासी समाज की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गोवा के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लाने का काम किया है। वहां पर हमारे आदिवासी समाज ने इतने सालों से जो अन्याय सहा है, आज वह अन्याय मिटने वाला है और गोवा में आदिवासियों को आरक्षण मिलने वाला है। मैं इसके लिए नरेन्द्र मोदी जी को खूब-खूब धन्यवाद देना चाहता हूं।

जय आदिवासी, जय जोहार, जय बिरसामुंडा, जय श्रीराम, भारत माता की जय।

(इति)

(1640/SPS/AK)

1640 बजे

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मुझे गोवा राज्य, सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका मिला है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत दिनों बाद यह बिल लाया गया। दस साल से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या अब आदिवासियों की याद आई है? यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इससे यह मालूम होता है कि आदिवासियों के प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। सरकार को एक राष्ट्र, एक चुनाव की चिंता हो रही है, इससे पहले एक शिक्षा लानी चाहिए। जब एक शिक्षा रहेगी, तब यह देश कायदे से चलेगा। इसके अलावा एक चिकित्सा भी लानी चाहिए। अगर एक शिक्षा नहीं है तो समझिए क्या होगा? जातीय जनगणना भी नहीं हो रही है। इस देश में कितने गरीब हैं, यह कैसे पता चलेगा? जब जातीय जनगणना होगी, तब पता चलेगा कि इस देश में बहुत गरीब हैं। उनका उत्थान करने के लिए जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। एक देश एक राष्ट्र के तर्ज पर पहले एक शिक्षा देश में की जाए, जिससे गोवा प्रदेश व अन्य प्रदेशों का भला हो सके। गोवा प्रदेश में आदिवासियों की संख्या कितनी है, उस आधार पर जनप्रतिनिधित्व देने का विधेयक लाना चाहिए और उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए उनके स्थानीय जगहों पर विद्यालय और डिग्री कॉलेज बनाए जाएं एवं उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा के मुताबिक छात्रवृत्ति दी जाए, जिससे गरीब अनुसूचित जनजाति के लोग पढ़कर समाज में समाजवादी समानता ला सकें।

महोदया, जनजाति मामले विधेयक पर क्या इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कोई ऐसा विद्यालय या डिग्री कॉलेज सरकार ने खोला है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षा मिल सके और उनको शिक्षा के बल पर आईएएस, पीसीएस, दरोगा, बीडीओ इत्यादि नौकरी मिल सके। अगर है तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे। यदि नहीं, तो वे 75वें साल संविधान की वर्षगांठ होने के बावजूद और 77वें आजादी के साल के बाद सरकार जनजाति के लिए अब कोई विद्यालय या डिग्री कॉलेज बनाएगी, जिससे आदिवासी लोगों को लाभ मिल सके।

अभी तक देश-प्रदेश में दो प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलता है, जबकि जातीय जनगणना 2001 की हुई है। अब तक उस आधार पर आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ी है तथा जिस प्रकार से नौकरी में साढे सात प्रतिशत आरक्षण मिलता है, ठीक उसी प्रकार से जनप्रतिनिधित्व गोवा में मिलना चाहिए तथा गोवा प्रदेश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी लागू करना चाहिए। इसके एक राज्य की बात क्यों हो रही है? इसमें सभी राज्यों को ले लेना चाहिए। संविधान के 75वें वर्ष के उपरांत तथा 77 साल आजादी के बाद आज भी देश-प्रदेश के आदिवासी उसी जगह पर रह गए हैं और कोई विकास नहीं हो पाया है। सरकार सोई हुई है। फिलहाल, आदिवासियों की जातीय गणना कराकर उपरोक्त अनुसार साढे सात प्रतिशत प्रतिनिधित्व देना चाहिए। इस अधिनियम के प्रारंभ के यथाशीघ्र राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की अंतिम जनगणना यथाविद्यमान जनसंख्या जनगणना आयुक्त द्वारा अभिनिश्चित और प्राक्कलित की जाएगी। अनुसूचित जनजातियां आदेशों में किए गए संशोधनों के कारण अनुसूचित जनजातियों की अंतिम जनगणना के पश्चात् इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख तक राज्य में जनसंख्या परिवर्तन हो जाता है। वहां जनगणना आयुक्त अनुसूचित जनजातियों की इस परिवर्तित जनसंख्या को ऐसे प्रारंभ की तारीख को

अभिनिश्चित और प्राक्कलित करेगा तथा अंतिम जनगणना में राज्य की कुल जनसंख्या से, क्रमश: अनुसूचित जनजातियों की उस जनसंख्या के अनुपात को भी अभिनिश्चित या प्राक्कलित करेगा।

उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित और प्राक्कलित किए गए जनसंख्या के आंकड़ों को जनसंख्या आयुक्त द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। राज्य के लिए धारा 3 के अधीन जनसंख्या आंकड़ों को अधिसूचित किए जाने के पश्चात् आयोग राज्य की अनुसूचित जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन के संविधान के अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 332 परिसीमन अधिनियम की धारा 8 और इस अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आदेश में ऐसे संशोधन करेगा, जो आवश्यक हों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की दूसरी अनुसूची तदनुसार संशोधित हुई समझी जाएगी। (1645/MM/UB)

अनुसूचित जनजाति आरक्षण संबंधी सभी विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि हमेशा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून सुरक्षित हो जाएं। इसे कोई खत्म नहीं कर पाएगा। संविधान को पढ़ने का ढकोसला करने वाले लोग, सरकार के लोग क्या इस पर ध्यान देंगे कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। यदि सचमुच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण संबंधी कानून संरक्षित करना चाहते हैं तो 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए।

सभापति महोदया, असम राज्य के एक करोड़ लोग संथाल, उरांव, मुंडा जनजाति में शामिल नहीं हैं। इन्हें शामिल किया जाए। चाय बागान श्रमिकों को अनुसूचित जनजाति की मान्यता देने की असम सरकार की अनुशंसा है, इन आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। राजधानी दिल्ली में करीब 15 से 20 लाख भील, गोंड, संथाल, उरांव, मुंडा आदि आदिवासियों का निवास है। इन आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में कोल, मुसहर और छोटी-छोटी कई गरीब जातियों के लोग निवास करते हैं। उन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर उनका विकास करना चाहिए। आदिवासियों के लिए जंगल जमीन की महत्ता है। तेंदूपत्ता और पीआर को वे स्वतंत्रता से बेच सकें, इसका इंतजाम किया जाए। लेकिन अगर वह तेंदूपत्ता बेचने के लिए जाते हैं तो पकड़े जाते हैं और जेल भेज दिए जाते हैं। उन पर तमाम नियम-प्रक्रिया लागू होती है। उनका यह काम स्वतंत्र होना चाहिए। पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के सही अनुपालन हेतु देश के यूपी समेत 12 राज्यों में मौजूद अनुसूचित क्षेत्र के इलाकों को चिन्हित करके डिमार्केशन किया जाए और पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुपालन की जांच के लिए सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र में उच्च स्तरीय केन्द्रीय समिति का गठन किया जाए ताकि यह पता चले कि अभी देश-प्रदेश में कितने बहुत गरीब लोग रह चुके हैं। उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए।

सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि परिसीमन आदेश में कोई संशोधन करने में आयोग, जहां तक आवश्यक हो, परिसीमन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के खंड घ के उपबंधों को ध्यान में रखेगा। संशोधनों के लिए अपने प्रस्तावों को भारत के राजपत्र तथा संबंधित राज्य के राजपत्र में और ऐसी रीति में भी जो वह ठीक समझे, प्रकाशित करेगा। ऐसी किसी तारीख को विनिर्दिष्ट करेगा जिसके पश्चात ऐसे प्रस्तावों पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा। धन्यवाद। जय अखिलेश यादव, जय समाजवादी पार्टी।

(इति)

1648 hours

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, on behalf of the All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024.

मैडम, हिन्दी में एक कहावत है – 'देर आए पर दुरुस्त आए।' लेकिन इस बिल को पढ़ने के बाद एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार बोलने में माहिर है, लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह कुछ नहीं करेगी। पिछले दस साल जैसे झूठे वायदों का सौदा किया, आने वाले दिनों में भी वही झूठे वायदे करने वाली है।

The Bill relies on the Census data of 2001 to ascertain the Scheduled Tribes' population which is outdated and does not reflect the current demography. The inclusion of the Kunbi, Gawda, and Velip communities in the Scheduled Tribes List in 2003 led to a substantial increase in the Scheduled Tribes' population as per the 2011 Census which should have prompted an earlier intervention. The reliance on old data may lead to flawed representation adjustment undermining the very objective of fair representation.

(1650/RCP/YSH)

Secondly, the Bill acknowledges that the Delimitation Commission's work ended in 2008 and further delimitation has been frozen until 2026. These delays raise a question about why this Government waited until 2024 to introduce this Bill. The delay has already deprived the Scheduled Tribe communities of their rightful representation for over two decades.

Thirdly, the Bill grants extensive power to the Election Commission to amend the Delimitation Order and readjust seats. While the Election Commission's autonomy is crucial, the lack of a clear and transparent process in the Bill raises concerns about potential arbitrariness. The absence of a clear framework for public consultation and accountability in the decision-making process is worrisome. The Election Commission's amendment to the delimitation process should include a mandatory public consultation phase. This would allow citizens and community leaders to voice their concern and give suggestions ensuring that readjustment process is transparent, participatory and democratic.

Fourthly, the Central Government is empowered to issue orders to remove any difficulties in implementing the Act. This provision will allow the Government to make potentially significant changes without Parliamentary scrutiny, raising

concerns about the erosion of democratic oversight. Any significant change should require the approval of Parliament ensuring that democratic processes and checks and balances are maintained.

Fifthly, the Bill states that the readjustment of seats will not affect the existing Legislative Assembly until its dissolution. This means that even if the Bill is enacted, the Scheduled Tribe communities will have to wait until the next election cycle to benefit from the adjustment. This further delays justice and representation for these communities. The Bill should include a specific timeline for the completion of delimitation process and the implementation of seat adjustment to ensure timely justice.

Sixthly, Goa has witnessed significant demographic changes since 2001. The Bill does not adequately address how this shift will be factored into the new delimitation process. The exclusion of updated demographic data could lead to ineffective or inequitable representation. The Bill should mandate the use of the most recent census data such as the 2011 data or even the provisional 2021 figure to ensure that the readjustment of seats accurately reflects correct demographic realities.

My seventh point is this. The Bill's provision that prevents the population figure and amendments from being challenged in courts could be seen as an attempt to insulate the process from judicial review. This raises constitutional concern as it may infringe on the Judiciary's role in upholding the rule of law and protecting the citizens' rights. A mechanism for judicial oversight could be included to ensure that the process remains fair and constitutional. This would build public trust and prevent potential legal challenges. I would like to mention here that for sustainable development and for economic development, our hon. Chief Minister Mamta Bandyopadhyay every month provides Rs.1000 to the SC/ST communities under the scheme of Taposili Bandhu and Jai Johar scheme. How can we expect from this Government that this Government will do justice to the SC/ST people? This is because this Government removed Dr. Baba Saheb Ambedkar's statue holding the Constitution in his hand, raising his finger towards the Parliament Building. This is nothing but to dishonour Dr. Baba Saheb Ambedkar as well as the entire SC/ST communities.

With this, I conclude my speech and thank you for permitting time to finish my speech. Thank you, Madam. (ends)

(1655/PS/RAJ)

1655 hours

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Vanakkam, Madam Chairperson.

Madam Chairperson, on behalf of the DMK Party, I stand in this august House to speak on the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024. This Bill is drafted very slowly. The Government has not applied its knowledge. It is only entrusted on the previous census data. The DMK Government, from day one, has been insisting that the Government of India has to spend time and energy, and also, has to allocate separate funds to first take new census data.

Before taking this census data, whatever you do may not be right, or it may be wrong also. We do not know. I can give you a very practical example. I come from Vellore district. In panchayat elections, certain constituencies have been allocated to certain communities. But we find it very difficult to find even one single voter in that particular constituency belonging to the allocated reservation. All this happens because of the lack of census data. Even the previous speaker had mentioned about demographic data. Only if the census data is lying, or if the census data is collected on time, then, automatically things will happen. We are talking about election of the representatives from the region where the representation of the community has to be there. In Tamil, we used to say:

“Ellorum Innaattu Mannar”

What does it mean? Everyone is a prince of this land. Everyone has a right to rule this land. Everyone has a right to be represented or represent the community to which they belong to. So, if a new census data is there, then automatically everything becomes clear; the representation becomes true, fair and just; and, automatically, there will be nothing to complain about.

Not only that, whenever the Government wants to deploy certain support to the community where they want to bring in supportive measures to the community, if the census data is lying and if the census data is taken on time, then, automatically people can get benefits from the scheme. As a Member of Parliament, we get many schemes to be given to the SC/ST communities. But if

the census data is there, then, automatically, we can choose those hamlets easily and then, it can be given. But now, we go into the villages and we go to the people, and then, by fair means, we get to know which is the community that is available there and which is the largest community, and when the scheme is brought in, which community will get the benefit.

Therefore, from the DMK Party, through this Bill, I want to press upon this Government the importance of taking the new census data, which will reveal the demographic data and that will be clear and just.

The Lambadi community in Tamil Nadu and in other places in India, is a very important community. Even their community has to be represented. Even they need an allocation of a Constitutional space in India. They also need to be included here.

Now, I conclude here by stating that the Government should act, at least, now. The hon. Prime Minister along with the hon. Finance Minister should allocate enough funds for the collection of census data, which will definitely give a fair and clear way of doing this demography.

Thank you, Madam.

(ends)

(1700-1705/SMN/KN)

1700 hours

SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): Madam, I rise today to speak on the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024. First and foremost, I commend the Government for bringing forward this much-needed legislation. The Bill seeks to reserve seats for Scheduled Tribes in the Goa Legislative Assembly, a crucial step towards ensuring that the political representation of these communities is in line with their growing population in the State.

While this Bill addresses ST representation in Goa, I want to speak about a community that has been awaiting rightful recognition for decades.

I speak of a community where less than one per cent of the population is literate, a community that is largely landless and without any steady income, a community that has given India the great Hindu epic of Ramayana, the descendants of Maharishi Valmiki Ji himself.

I am speaking about the Valmiki Boya community – a community that has faced decades of marginalization and neglect. And as I stand here today, I say with pride, I am one of them.

*(Struggles of Boya Valmiki and ours is one and the same in both the states of Telangana and Andhra Pradesh. Therefore, to include the Boya community in the central list of Scheduled Tribes, is not just a legislative process, but a process which will ensure equality and justice to this community. The government should use

* ()Original in Telugu.

this opportunity to identify the backwardness of this community. Historically, this community was notified as a criminal tribe under Criminal tribes Act 1871, and as a result, this community was subjected to boycott for so many decades. Though this community was gradually included in the lists of SCs, STs, OBCs and denotified tribes in different regions, this community is unable to get real justice and are still trapped in poverty. For decades, they are struggling to get some recognition. Recently we had a discussion on 75 years of the glorious journey of the Constitution of India. The rights which were prescribed by Dr Ambedkar in our Constitution for backward and oppressed classes was available for the Boya Valmiki community, which was a Scheduled Tribe. But after 1956, this community was declared as a denotified tribe or even as backward classes in some regions. As a result, we remain economically backward and were deprived of employment opportunities. Taking into consideration all these circumstances, our Chief Minister Nara Chandrababu Naidu in 2017 passed a resolution in Andhra Pradesh Assembly to include the Boya Valmiki Community in the list of Scheduled Tribes and sent it to the Union government for consideration. Even after seven years, we did not get justice. I am bringing this to your kind notice to render justice to our community. Hon. Minister of Tribal Affairs, who was an MP in previous term has stated that any resolution passed by a state assembly needs to be implemented by the Union government and at the same time any resolution passed by a state government should not be reversed by the subsequent Government. As he is the minister for tribal affairs now, we expect him to implement the same and give us justice which is due for the last 60 years. As we are discussing One Nation One Election in Parliament, in this

context, I want to mention that our caste is being treated as a scheduled tribe in one state and as a backward class in another. Therefore, I want our community to have one reservation throughout Andhra Pradesh. Similarly, Vaddera community in our state is also demanding ST status And I request the government to include that community also in the list of STs).

(1705/RP/VB)

Despite the clear evidence and well-founded recommendations, the Valmiki Boya community's rightful recognition remains pending. In the past few days, I personally met with the Tribal Affairs Minister Shri Jual Oram Ji, as well as officials from the Registrar General of India, and the Ministry of Social Justice and Empowerment, to expedite the resolution of this long-pending issue.

Hon. Prime Minister Modiji has promised to grant ST recognition to the Valmiki Boya community. As part of honouring the great contributions of Maharishi Valmiki, the Prime Minister himself has not only renamed the airport in Ayodhya as Maharishi Valmiki International Airport, but also inaugurated it. Today, I stand here with confidence that the day is not far when I will rise in this very House to speak on the Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill. This Bill will include the Valmiki Boya community in the ST list, finally giving them the recognition and justice they truly deserve.

I would like to conclude by showing my full support for this important Bill which aims to ensure rightful representation and justice for the Scheduled Tribes in Goa. Thank you.

(ends)

1706 बजे

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

1706 बजे (श्री पी. सी. मोहन पीठासीन हुए)

वर्तमान विधेयक का संबंध मुख्यत: हमारे संविधान के आर्टिकल 332 से है। आर्टिकल 332 शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स को विधान सभा में रिज़र्वेशन देने की बात करता है। गोवा विधान सभा में अब तक रिप्रेजेंटेशन या रिज़र्वेशन अब तक नहीं मिल पाया है। इस विधेयक को लाने का मुख्य कारण एवं मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्तमान में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन गोवा में 1,49,275 थी, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, यह संख्या मात्र 566 थी। पॉपुलेशन की वृद्धि के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इतनी बड़ी संख्या वाली पॉपुलेशन को गोवा विधान सभा में निश्चित रूप से, जनसंख्या के आधार पर रिज़र्वेशन और रिप्रेजेंटेशन दिया जाए।

भारतीय संविधान के महान शिल्पकार और भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति, समाज के निचले तबके की प्रगति पर निर्भर करता है। डॉ. अम्बेडकर साहब ने लोकतंत्र के सामाजिक और राजनीतिक आयामों के बीच अंतर स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन का गठन वर्ष 2026 तक फ्रीज़ किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के अनुसार, अगला डीलिमिटेशन कमीशन का काम तब तक के लिए रोक दिया गया है जब तक वर्ष 2026 के पश्चात किये गये जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिये जाते हैं।

गोवा में नये समुदाय- कुनबी, गावड़ा और वेलिप को शिड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी में शामिल किया गया था, इससे भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दिया जाए कि वह the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 and readjust the seats in the Legislative Assembly of the State of Goa में अमेंडमेंट करके शिड्यूल्ड ट्राइब्स को बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर उनको रिज़र्वेशन और रिप्रेजेंटेशन दिया जाए।

इस बिल के पास होने से गोवा में अनुसूचित जनजाति का विधान सभा में इफेक्टिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होगा। शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के कल्याण के लिए

देश की वर्तमान सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे परम आदरणीय माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एससी और एसटी के कल्याण के लिए एक पहचान बन गए हैं। हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में एससी, एसटी को मुख्य धारा में लाने के लिए कई मुख्य कदम उठाए हैं, जो बिहार में दिखता है।

इस बिल में अपनी बात रखते हुए, मेरा सुझाव है कि एससी और एसटी बच्चों को आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज और देश के हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस में आत्महत्या करने से रोका जाए। इसके पीछे छिपे हुए कारणों को गम्भीरता से संज्ञान में भी लिया जाए।

वर्ष 2023-24 के आंकड़ों को अध्ययन करने से पता चलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में भारत कई देशों से आगे है।

(1710/PC/VR)

गरीबी घटी है और सरकार ने एससी, एसटी के विकास को प्रायॉरिटी पर रखा है। नीति आयोग ने वर्ष 2017 में यह प्रपोज़ किया था कि एससी, एसटी के ऊपर खर्च होने वाली बकाया धनराशि केवल एसटी पर ही खर्च की जाए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से प्रिंसिपल अप्रूवल भी लिया गया था।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में 9,818.24 करोड़ रुपए बिना खर्च हुए लैप्स हो गए। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 11,042.26 करोड़ रुपए, वर्ष 2020-21 में 19,922.35 करोड़ रुपए, वर्ष 2021-22 में 16,942 करोड़ रुपए और वर्ष 2022-23 में 13,961.54 करोड़ रुपए बिना खर्च हुए लैप्स हो गए।

सभापति महोदय, मेरा सुझाव है और साथ ही मेरा निवेदन भी है कि बिना खर्च हुए, लैप्स हो गए इन रुपयों को नीति आयोग द्वारा सुझाए गए नियमों के अनुसार एसटी के कल्याण पर ही खर्च किया जाना चाहिए और उसे खर्च किया जाए।

महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

(इति)

1711 hours

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you very much for giving me an opportunity on behalf of the NCP (SP) to speak on the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies in the State of Goa.

Sir, Goa is a very, very small State in size. But it is one of the biggest contributors to India's tourism. I think we are all very, very proud of Goa because it was one of the few States which, right in the beginning, before India was on the tourism map globally, beside Delhi as the Capital and Mumbai as the economic capital of India, were internationally known for their contribution of culture, heritage, and tourism. So, one of those first few States was Goa. Today we are giving to the Scheduled Tribes of Goa a seat, which is a welcome step. I would like to thank the Government and congratulate the people of Goa for getting this opportunity.

But while I speak about the Bill, I would like to reiterate a few points which my learned friend, Pratima Mondal has said because this is connected to a Bill which we passed in this very House a few months ago. This exercise of delimitation was initiated in 2002. It is regarding the Kunbi, the Gouda and the Velip, all these are the Scheduled Tribes which have got this reservation now, and that is why we are moving this Bill.

The Delimitation Commission had ceased to exist after completion of the task in 2008. Under Articles 82 and 170 of the Constitution, further delimitation stands frozen until the figure of the first Census taken after the 2026 has been published.

I have three-four important points to make. I am very grateful that Meghwal ji has come here. I would like to ask hon. Meghwal ji just three pointed questions regarding this Bill. I congratulate him for bringing it for the people of Goa. My questions to the hon. Minister, Shri Meghwal ji are these.

The way Goa has this, what is the position of Maratha, Dungar, Lingayat, Muslim and Vimukta Jati and Nomadic Tribes (VJNT) in Maharashtra? These are the communities which are looking for reservation in Maharashtra. What is the position of this Government in that regard? I am saying it because the hon. Member, Mr. Dhaval Patel, who was from your own

party, has also extensively talked about it. I will come back to that point as well. The BJP in Maharashtra says that the Dungar community should get the ST reservation while in Delhi, earlier they had one Member, Ms. Hina Gavit, who is also a young tribal girl, said on the Floor of the House that they do not want this category for the Dungar. So, can the Government clarify their stand on specific reservation for Dungar, Maratha, Lingayat, Muslim and VJNT, which are demanding reservations? महाराष्ट्र में ये सारे रिज़र्वेशन मांग रहे हैं। इस पर सरकार का क्या स्टैन्ड है? यह मेरा पहला सवाल है।

My second point is with regard to the delimitation which they have brought in through this. Now according to this note, which reads as “It is imperative to enact the law to provide for enabling provisions empowering the Election Commission of India to make amendments in Delimitation of Parliamentary Assembly Constituencies Order 2008 to readjust the seats of Legislative Assembly in the State of Goa for the Scheduled Tribes of the State." So, this is applicable to the entire country.

(1715/SAN/IND)

Now, I would like to ask specifically this Government that they had committed to it. We had a Special Session for passing the Women’s Reservation Bill and the entire House supported it. If the delimitation is so critical and the Election Commission has made a special case, what steps is this Government taking to give effect to it? The Census of 2026 is very important to be carried out. Has this Government started moving in that direction? According to the Demands for Grants, the amount of money required is Rs. 12,000 crore, but they have given only Rs. 1,000 crore. We passed the Demands for Grants just today while we spoke about it yesterday. What is the position? Already 2024 is ending and there are only two years – 2025 and 2026. What is the commitment of the Government to this issue? When will this women reservation be effected? We should target for 2026 so that in 2029, when we all go back for re-election, the Women’s Reservation Bill should have not only been passed, but also implemented in every State. What is this Government doing for that? मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम्स, वीजेएनटी और महिला आरक्षण बिल की भी क्या पोजिशन है और इसके आरक्षण के लिए आप क्या करेंगे? आपने जैसा गोवा में किया, बहुत अच्छी बात है लेकिन जो महाराष्ट्र की डिमांड है, उसके लिए और महिलाओं के आरक्षण के लिए आप कब तक करेंगे?

Sir, there is another question which is very alarming for all of us. You are also from Bengaluru which is a very large constituency. I also represent Baramati which has 23 lakh voters today. डीलिमिटेशन करना हर सांसद के लिए जरूरी है। हम जब पहली बार चुनकर आए, तब 10-12 लाख वोटर्स थे लेकिन आज करीब 25 से 30 लाख वोटर्स हो गए हैं। इस बारे में बहुत बार चर्चा हुई है। परसों रेड्डी सर ने भी कहा कि एमपी लैड फंड बहुत कम पड़ता है इसलिए इसे बढ़ा दीजिए। Delimitation is due in 2029, with all these reservations. Will this Government go for delimitation and reservation by 2029? That is my only concern because we do not see much activity around the census. I will be grateful if the hon. Minister could kindly reply to that.

Sir, I have two or three small points. Shri Dhaval Patel made a very good speech. Probably it was his maiden speech. I would like to put a few things on record about which he said. With your permission, I would like to make very short points. Normally, I do not speak about anything else. The Bill is about Goa and delimitation, but he told us some very nice success stories about Gujarat and gave the comparisons. I would like to put forth here some nice things which are about the leaders who were in the Congress before and now are in the BJP. I think, even the House should know the good work done in this country. Shri Dhaval Patel said that an 'Adivasi Budget' for the first time was presented there. I say this with great pride that it was the Congress Government in Maharashtra, which was the first State Government in the country to do so, which presented a separate 'Adivasi Budget'. At that time, Shri Sharad Pawar was the Chief Minister and Shri Madhukar Pichad Sahu was the Adivasi Minister. Shri Madhukar Pichad Sahu later joined BJP and unfortunately passed away just two weeks ago. His son is also in the BJP. That Budget was implemented at that time. We take a great pride in having done that. I am so glad that it was taken forward.

Secondly, he talked about Atal ji's wonderful work also. We also talk about it. He is one of the tallest leaders India has had. As much he belongs to the BJP, he belongs to everyone. He was the Prime Minister of India. We are all very proud of Atal ji's glorious career and the work he has contributed in India. He said that Atal ji started the Eklavya Colleges. He said, 'कांग्रेस ने क्या किया?' I would like to put on record that the Congress started a wonderful scheme called the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya where all the adivasi girls from five to eight years of age are brought in and educated. Since this

Government is so committed to the adivasi community, I urge this Government to extend this school all the way to college. They may include it in the Eklavya model or find another solution. This Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya for Adivasi girls is left half-way. It is neither here nor there. It was started during the Congress time and it was supposed to be taken ahead, but it has not been taken ahead.

He also said that कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ किया ही नहीं, कालेज तो बाद में बने। I would just like to put on record that there is a young lady, who was a part of this House in the previous Lok Sabha, called Dr. Heena Gavit. She was first in the NCP and then went to the BJP. Her father was in the NCP and is now in the BJP. Both are doctors. Both were in the Congress, NCP and are now in the BJP. ये कांग्रेस के पैसे से नहीं बल्कि सरकार के पैसे से जो हम टैक्स भरते हैं, उससे यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनता है। Those were the days when families like this were there. She is a very young lady, but unfortunately, she lost her Lok Sabha seat. Then, she tried to contest for a Vidhan Sabha seat. I take this opportunity to say that there are some young dynamic girls. She is an Indian first and then she is an adivasi girl. Since Mr. Dhaval Patel is so concerned about all this, he should consider this. She is in the BJP today. Maybe, she needs a good, responsible role because she is very well educated and qualified girl who has done very well.

(1720/SNT/RV)

There are many schools and colleges, like IITs and IIMs, which have started during those 45 years. वे कह रहे थे कि वह अंधेरे में था, जबकि ऐसा नहीं है। हीना गावित और विजय कुमार गावित अंधेरे में नहीं पढ़े, वे महाराष्ट्र में पले। उनका महाराष्ट्र में नन्दुरबार क्षेत्र गुजरात के बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है। वे अंधेरे में नहीं पढ़े, वहां लाइट थी। I think there is this whole illusion of selective amnesia. Parliament is a more serious forum. ऐसा कहना सही नहीं है कि 45 वर्षों तक सभी अंधेरे में रहे। There was electricity. They did become doctors. They were in the Congress, the NCP, and now with the BJP. So, let us put some things in context.

I compliment Meghwal ji for bringing in this Bill. With full humility, I would like to request, as my friend Pratima Mondal ji has requested, महिला आरक्षण बिल, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, लिंगायत आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, और वी.जे.एन.टी. की जो आरक्षण की मांग है, उस पर भी आप विचार करें और उसे पूरा करें। वर्ष 2029 में जब हम लोक सभा में आएं तो आप इन दोनों पर अमल करके इनको भी न्याय दें। इतनी विनती करते हुए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं।

(इति)

1721 hours

DR. NAMDEO KIRSAN (GADCHIROLI-CHIMUR): Thank you, Chairperson, for giving me this opportunity to speak on the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024.

The Bill proposes a readjustment in the representation of Scheduled Tribes in Assembly constituencies of the State of Goa. The Goa State Assembly presently does not have any reserved seats for Scheduled Tribes. The proposed amendments are aimed to address the disparity in the representation of Scheduled Tribes in the State Assembly, as it is currently disproportionate to the Scheduled Tribes population in the State. The Bill authorizes the Census Commissioner to determine Goa's Scheduled Tribes population, incorporating tribes recognized after the 2001 Census.

The Bill authorizes the Election Commission to amend the 2008 Delimitation Order, allowing constituency adjustments in Goa Legislative Assembly to ensure adequate representation for Scheduled Tribes in line with Article 170 of the Constitution, which deals with the readjustment of the number of seats in the House of the People and the Legislative Assemblies of the States and Union Territories. Between the 2001 and 2011 Census, the ST population in Goa has increased to approximately 10 per cent, and is expected to have further grown since. However, according to Articles 82 and 170 of the Constitution, territorial constituencies are to be readjusted after the Census. The delimitation exercise remains frozen until post-2026 Census figures are published. Thus, there is no mechanism to readjust seats to accommodate the increased ST population recorded in the 2011 Census compared to 2001.

For the first time in 150 years, India's Census has been delayed. The Modi Government is shrinking from its administrative duties for political gains. Even two years after the COVID-19 crisis, the Government continues to postpone the Census, aiming to benefit electorally from the delimitation exercise if it is conducted before the 2029 Lok Sabha

elections. The Modi Government's refusal to undertake a national level caste Census has meant unequal representation of the SCs and STs in various domains, including Parliament and State Assemblies and also local bodies, especially if their numbers have grown relative to the rest of the population. While the Modi regime has spoken much about good governance, it lacks the basic understanding that good governance involves drafting policies and programmes informed by data gathered from the Census and National Health and Family Welfare survey, etc. In the absence of such crucial information, the Modi Government's schemes do not respond to the actual ground realities.

चेयरमैन सर, जब तक पूरे इंडिया में कास्ट सेन्सस नहीं हो जाती, तब तक एस.सी., एस.टी. और बाकी वर्गों को न्याय नहीं मिलेगा।

(1725/GG/AK)

महोदय, मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र के गढ़चिरौली में आदिवासियों की जनसंख्या 35 पर्सेंट है, लेकिन उनको आरक्षण 24 पर्सेंट मिलता है। वहीं, हमारे यहां ओबीसी की जनसंख्या 50 पर्सेंट हैं, लेकिन उनको आरक्षण सिर्फ 6 पर्सेंट मिलता है। 50 प्रतिशत की मर्यादा आरक्षण के ऊपर होने से जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओपन कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है। यह पैरिटी हटाने के लिए जब तक कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगा, तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। इसी तरह से हमारे महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए लोकल बॉडीज़ में पॉलिटिकल रिज़र्वेशन था, लेकिन यह कास्ट बेस्ड डेटा नहीं होने की वजह से उनका वह आरक्षण खत्म हो गया है। जब तक कास्ट बेस्ड डेटा आएगा नहीं, तब तक ओबीसीज़ को लोकल बॉडीज़ में आरक्षण मिल नहीं पाएगा। इसीलिए हम मंत्री जी से विनती करते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस पूरे इंडिया में होना चाहिए, सिर्फ गोवा में ही नहीं। गोवा के लिए जो बिल सरकार लाई है, जो एसटी की पॉप्युलेशन बढ़ी है, उससे कम से वहां चार सीट्स बढ़ेंगी तो यह अच्छी बात है। वे सीट्स बढ़ाएं, लेकिन वहां जो सेंसस होगी, सिर्फ एसटी की सेंसस नहीं होनी चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की ही सेंसस नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों की सेंसस होनी चाहिए। यह कास्ट बेस्ड सेंसस पूरे इंडिया में कर के सभी वर्गों के लोगों को, सभी तबकों के लोगों को न्याय देने का काम सरकार करेगी। ऐसी मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

1727 बजे

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : चेयरमैन सर, मैं The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज हमारी सरकार देश भर में, जितनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कांग्रेस सरकार के समय लेफ्टआउट हुईं, उनको मोदी जी और हमारी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रिकॉग्नाइज़ किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। आज मेघवाल साहब इस बिल को ले कर आए हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। गोवा हमारे हिंदुस्तान की एक ब्लू आई है। गोवा हमारी पहचान है। अगर दिल्ली और मुंबई के बाद नेक्स्ट स्टार पहचान है तो वह गोवा है। चाहे वह टूरिज्म सैक्टर में हो, कल्चरल सैक्टर में हो, वहां के सीबीच हों, गोवा बहुत ब्यूटिफुल स्टेट है। कांग्रेस के ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैप्टन फर्नांडिस बोल रहे थे। 2011 सेंसस के बाद, ये जो तीन ट्राइब्स – कुनबी, गुंड्रा और वेलिप हैं, इन तीन ट्राइब्स को इनक्लूड किया गया है। उसकी वजह से आज एसटी पॉप्युलेशन करीब एक लाख 50 हज़ार बढ़ी है। हमारे कैप्टन फर्नांडिस साहब बोल रहे थे कि they are the original inhabitants of Goa. After liberation from the Portuguese in 1961, for 53 years. मैं पूछना चाहता हूँ कि उस समय कांग्रेस का रूल था, तब उस समय इन ट्राइब्स को क्यों शिड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में नहीं लाया गया? आज इसका जवाब हमें कांग्रेस दे। मैं गोवा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। उसकी मेहनत और पहचान बनी तो आज हमारी सरकार, मेघवाल साहब और मोदी साहब इस बिल को आज इस सदन में लाए हैं कि ट्राइबल का पॉप्युलेशन बढ़ी है तो इसमें डीलिमिटेशंस पॉवर 2008 में खत्म हुई। इस अमेंडमेंट से हम इलेक्शन कमीशन को शक्ति देंगे, डीलिमिटेशन कमीशन का गठन कर के असेंबली में ट्राइबल रिप्रेज़ेंटेशन को इनक्रीज़ करे और वहां ट्राइबल रीप्रेज़ेंटेटिव्स बढ़ाए। इसके लिए यह बिल है। मैं इसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हूँ।

(1730/MY/UB)

ऑनरेबल चेयरपर्सन, आज हम सब राजनेता शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की मदद के लिए खड़े हैं। मोदी साहब ने आदिवासी गौरव दिवस अनाउन्स किया था। यह भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर अनाउन्स हुआ और इसके बाद सारे हिन्दुस्तान में हर पोलिटिकल पार्टी इस गौरव दिवस को मना रही है। आज हमारे ट्राइबल का फैशन देश भर में बढ़ा है। अभी बहुत से प्रदेशों में ट्राइबल लिस्ट में आने की प्रक्रिया चल रही है। मैं अपनी सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी आदिवासी लेफ्ट आउट हैं, उनको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन से और सेंसस के आधार पर जल्दी से जल्दी शामिल जाए। इस रिप्रेजेंटेटिव असेम्बली में पास होने के बाद, मैं जानता हूं कि गोवा के हमारे ट्राइबल भाई-बहनों को बहुत खुशी मिलेगी। इस चीज को कांग्रेस ने 53 ईयर्स गोवा में रूल करने के बाद और पुर्तगालियों के जाने के बाद बिल नहीं ला पाई। आज मोदी जी के नेतृत्व में गोवा की असेम्बली में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। आज ट्राइबल के जितने भी प्लान्स हों, एसटी सब-प्लान हों, ट्राइबल-सब प्लान हों, इसके हमारे हमारे ऑनरेबल मेम्बर ने कहा है कि पहली बार हिन्दुस्तान में अगर किसी ने ट्राइबल के लिए सोचा है, उनके लिए काम किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार ट्राइबल मिनिस्ट्री को अलग से क्रिएट करने का काम किया। इस गवर्नमेंट ने ट्राइबल के ऊपर ध्यान दिया है।

इसके साथ ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक कमीशन हुआ करता था। इसको अलग करके शेड्यूल कास्ट का अलग कमीशन बना और शेड्यूल ट्राइब्स का अलग कमीशन बना। आज हिन्दुस्तान में आदिवासी के प्रोटेक्शन के लिए, शेड्यूल कास्ट के एलिवेशन के लिए हमारी भारतीय जनता

पार्टी की सरकार काम कर रही है। इसमें वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी की सरकार ने काम किया है। ट्राइबल एजुकेशन, स्कॉलरशिप, हेल्थ बेनिफिट के लिए मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं।

ऑनरेबल चेयरपर्सन साहब, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। गोवा में जो ट्राइबल एरिया है, उसके लिए हम हमेशा से कहते आए हैं कि ट्राइबल है तो जल, जमीन और जंगल का हमारा राइट बनता है। मैं मेघवाल साहब से कहना चाहूंगा। इस सदन से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा। ट्राइबल झंडा लेकर कहता है कि जल, जंगल और जमीन हमारा है। अगर वह जंगल का राइट क्लेम करता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ जाता है। जमीन के अंदर ऑयल एंड मिनरल मिलता है। यह एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। जब ट्राइबल जगह में नदी के ऊपर डैम बनता है, वहां कुछ प्रोजेक्ट्स का काम होता है तो उसमें ट्राइबल का हिस्सा बनना चाहिए। ट्राइबल कम्युनिटी जिस जंगल, जमीन और जल में रहता है, उसका भी अधिकार उनको मिलना चाहिए। इसके कानून को भी मेघवाल साहब को देखना होगा। जल, जंगल और जमीन का हमारा राइट बनता है। जिसमें हमारा बेनिफिट होना है, अगर उसमें कोई कमी है तो इसे भी सरकार को देखना चाहिए।

ऑनरेबल चेयरमैन साहब, इस सदन से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, चूंकि यह लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव बिल है, लेकिन ट्राइबल रिलेटेड है। अंडमान और निकोबार के सेंटिनेल आइलैंड में एक सेंटिनेल ट्राइब है। कांग्रेस के समय एक कानून जारी किया गया था कि उस सेंटिनल ट्राइब को डिस्टर्ब नहीं करना है। वहां किसी को नहीं जाना है, ऐसा कानून बना कर रखा है।

(1735/CP/RCP)

आज मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगा कि इस 21वीं सेंचुरी में सेंटिनल ट्राइबल को हम कैसे छोड़ दें? मैं वहां क्यों कम्युनिकेशन न करूं? आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है। कांग्रेस राज से लेकर आज तक उस सेंटिनल आइलैंड को कम्युनिकेट नहीं किया। ... (व्यवधान) इसको हमें कम्युनिकेट करना चाहिए और इसको भी ह्यूमन डेवलपमेंट रेस में लाना चाहिए। मेरी सरकार से यह अपील है।

मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूं। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह विजय नगर है, जो चाइना, तिब्बत और म्यांमार बार्डर पर है। After 1962, there were no inhabitants. एक आर्मी आफिसर ने एक्ट्राडिशन में जाकर वहां की लिसु, योबिन कम्युनिटी को पहचाना। उसको स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट में जोड़ना चाहिए।... (व्यवधान) स्टेट गवर्नमेंट स्टेट ट्राइबल का दर्जा देता है। It is duly recommended to the Tribal Affairs Ministry. RJI has also recommended and ST Commission has also recommended. इस चीज को भी हमारी सरकार देखे कि हमारी योबिन कम्युनिटी को कांस्टीट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब का स्टैटस मिले। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं।

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.C. MOHAN): Please conclude now.

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Sir, my only one pint is this. After 1962 aggression in Arunachal, the Army people retired. The people from Assam Regiment retired and people from Assam Rifle retired. All these people have been settled in Vijoynagar. इन लोगों के पास वहां का रेजीडेंशियल सर्टीफिकेट नहीं है। वहां उन्हें वर्ष 1962 में डम्प कर दिया गया। गोरखाज़, पंजाबीज़, असमीज़, उस कम्युनिटी के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी को बनाकर इन लोगों को सैटल करवाया है। गोरखा को वहां एक पहचान बनाकर अगर रखते हैं तो हमारे देश और समाज के लिए अच्छा होगा। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं।

(इति)

1737 बजे

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : महोदय, मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए पंत प्रधान श्री नरेन्द्र मोदी जी और सरकार को धन्यवाद देता हूं। दी री एडजेस्टमेंट ऑफ रीप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन असेम्बली कांस्टीच्युएंसीज़ ऑफ दी स्टेट ऑफ गोवा बिल, 2024 एक ऐतिहासिक कदम है। इस विधेयक को हमारी पार्टी शिव सेना और हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी की ओर से मैं समर्थन देने के लिए यहां खड़ा हूं।

यह विधेयक गोवा विधान सभा में शेड्यूल ट्राइब्स को प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है। दशकों से यह समुदाय उपेक्षित था। अब सरकार के इस कदम से उन्हें न्याय और सम्मान मिलेगा। यह विधेयक न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पथर है, बल्कि यह संविधान के उद्देश्यों को भी पूर्ण करता है। हमारा देश आदिवासी समाज की उन्नति और सशक्तीकरण के लिए सुनियोजित योजनाओं और ठोस नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है।

मैं पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी जी को विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। पंत प्रधान जी ने 2 अक्टूबर, 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस योजना की शुरुआत की। 79,150 करोड़ रुपये के इस प्रोग्राम के तहत 63 हजार से अधिक जनजातीय गांवों में से स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

(1740/SK/PS)

सरकार ने आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 40 नए ईएमआरएस स्कूल खोले और 25 स्कूलों की आधारशिला रखी। 2800 करोड़ रुपये की लागत से बने ये स्कूल नवोदय विश्वविद्यालय के समकक्ष हैं। यहां स्थानीय कला, संस्कृति और खेलों को बढ़ावा मिलता है।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा-अभियान के तहत सड़क कनैक्टिविटी, आंगनवाड़ी सैंटर्स, स्कूल्स और होस्टल्स बनाए जा रहे हैं। पीवीटीजी परिवारों के लिए 75,800 से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई जा रही है और 500 आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किए गए हैं। महाराष्ट्र में सब काम हो रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के एक नेता ने बोला कि आदिवासी लोगों के लिए हमने यह किया, वह किया, लेकिन धनगढ़, धनवर जातियों को रिजर्वेशन देना चाहिए। ... (व्यवधान) वह नेता अब इधर नहीं हैं, बीजेपी में हैं, लेकिन एसटी कम्युनिटी में झगड़ा कराने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। ... (व्यवधान) अब वह नेता किधर है, इससे मतलब नहीं, पार्टी का एजेंडा क्या होता है, इससे मतलब है? महाराष्ट्र में एससी रहेंगे, एसटी रहेंगे, सब जातियों में झगड़ा कराने का काम कांग्रेस ने किया है।... (व्यवधान)

इस सरकार ने प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप ट्राइबल देकर बच्चों को शिक्षा के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट दी है। सरकार आर्थिक सशक्तिकरण में ट्राइबल उत्पादों को ई-कॉमर्स के माध्यम से बाजार में ला रही है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना से ट्राइबल महिलाओं को दो लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन चार परसेंट ब्याज दर पर दिया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास करना और उनको मुख्यधारा में शामिल करना है। यह सरकार संविधान की भावना के अनुरूप भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपनों को साकार कर रही है। मैं दो दिन से यहां सुन रहा हूं, बहुत से कांग्रेस के लीडर बोलते समय भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, जवाहर लाल नेहरू जी को पंडित नेहरू कहते हैं, वैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बाबा साहेब कहना चाहिए। यह लोकप्रिय पदवी है। मैं सवाल पूछता हूं कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम लेते समय बाबा साहेब नाम लेने से क्यों कतराते हैं?

जब हम पिछली सरकार की बात करते हैं, विशेष रूप से कांग्रेस का शासन हमें याद आता है कि एससी और एसटी कल्याण के लिए आबंटित राशि को किस तरह से डायवर्ट किया था। कांग्रेस शासित राज्यों में ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रही, यही कारण है कि दशकों तक यह वर्ग विकास और न्याय से वंचित रहा। ठाणे जिले में सबसे ज्यादा ट्राइबल एरियाज़ हैं। पालगढ़, दहानू, जवहर, मोखाड़ा में रोड्स नहीं थीं, पानी नहीं था फिर भी कांग्रेस ने उन लोगों से वोट लिए, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। माननीय मोदी जी के सत्ता में आने के बाद वहां काम शुरू हो रहा है। यहां बहुत पैसा खर्च करके राष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह बन रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 के तहत जनजातीय समाज के लिए विशेष अधिकार और संसाधन सुनिश्चित किए हैं, लेकिन इस सरकार ने ही संविधान के मूल भाव को सच्चे अर्थों में लागू किया है। 'ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम' भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान की याद में बनाया गया है। इससे देश भर की आदिवासी संस्कृति को सम्मान मिला है।

यह विधेयक आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का प्रतीक है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आदिवासी कल्याण की इन योजनाओं को और मजबूती से लागू करे। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि वे संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर देश के जनजातीय समाज के हित में कार्य करे। धन्यवाद।

(इति)

(1745/KDS/SMN)

1745 बजे

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग) : धन्यवाद सर, मैं Readjustment of representation of schedule tribe (ST) in assembly constituency of state of goa, bill 2024 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है और अगर समय रहेगा तो विस्तार से मैं अंत में भी विषय रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सीधे अपने क्षेत्र, दार्जिलिंग, तराई डुअर्स के बारे में बात करता हूं। कल ही हमने देखा कि संविधान को 75 वर्ष पूरे हुए हैं और संविधान के कारण समस्त भारत में हर-एक समुदाय को न्याय मिला है, लेकिन गोरखाओं का इतना कांट्रीब्यूशन होते हुए भी] देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा समय हो गया, फिर भी आज गोरखाओं को वह न्याय, वह सम्मान, जो उनको मिलना चाहिए था, वह आज तक प्राप्त नहीं हुआ और यह जो देरी हो रही है, उसे मैं ऐसा मानता हूं कि न्याय के बजाय उनके साथ अन्याय हो रहा है।

सर, मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूंगा। ब्रिटिशकाल में भी जो दार्जिलिंग तराई डुअर्स का क्षेत्र होता था, वह अलग-अलग प्रशासनिक रिजीम के तहत होता था, जैसे वर्ष 1861 तक यह नॉन रेग्युलेटेड एरिया था। मैं यह इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि यह सब ट्राइबल एरिया में ही लागू होता था और वर्ष 1861 से लेकर 1870 तक यह सेमी रेग्युलेटेड एरिया था। उसके बाद वर्ष 1870 से 1874 तक नॉन रेग्युलेटेड एरिया हुआ। उसके बाद वर्ष 1874 से 1990 तक शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हुआ, फिर वर्ष 1990 से 1935 तक यह बैकवर्ड ट्राइब रहा और वर्ष 1935 से लेकर 1947 तक यह पार्शियली एक्सक्लूटेड एरिया रहा। इस तरह से अलग-अलग प्रशासनिक सेटअप के अंतर्गत दार्जिलिंग तराई डुअर्स के ये सारे स्टेट्स ट्राइबल जहां बसते थे, उन्हीं को मिलता था। उसके बाद वर्ष 1931 और 1941 के सेंसस में भी गोरखा ऐज अ हिल ट्राइब जाने जाते थे, लेकिन आजादी के बाद एबजॉर्ब एरिया के अंतर्गत वर्ष 1954 को दार्जिलिंग तराई डुअर्स को पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ा गया। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे अलग-अलग 18 सब ट्राइब्स होते थे, उसमें से 7 अलग अलग सब ट्राइब्स, जिनमें शेरपा, भूटिया, लेपचा, दुपका, योलमो, तमांग और लिंबू को एसटी का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन आज भी 11 उप जातियां गुरुंग, भुजेल, मनगर, नेवर, जोगी, खस, राय, सुनवार, थामी, यक्का और धीमल अभी भी छूटे हुए हैं।

महोदय, मैं एक बात आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हमारे यहां डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। इल्लीगल बांग्लादेशी आते हैं। रोहिंग्या आने के कारण हमारा जंगल, हमारा पहाड़ और हमारी संस्कृति यहां तक कि हमारी वेशभूषा पर भी इसका असर पड़ा है और इसके कारण अनेक कुरीतियां समाज के अंदर देखी जा रही हैं। आरएनए ने दो-तीन टिप्पणी अपने पत्राचार में की, मैं आपके माध्यम से आरजीआई और सरकार से पूछना चाहता हूं।

आरजीआई कई बार यह कहता है कि नेपाल और भारत का इंडो-नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जिसके अंतर्गत रेसिप्रोकल प्रावधान है। यहां भी आ सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। मेरा आरजीआई से सीधा सवाल है कि दो देशों का आपस में संबंध या फ्रेंडशिप है, लेकिन उसका खामियाजा हमारी जनता क्यों भुगते? उसको देखा जाना चाहिए। कई बार उनकी यह भी टिप्पणी रहती है कि यदि गोरखाओं को एसटी का दर्जा दे दिया तो इन्फ्लक्स हो जाएगा।

महोदय, मैं सरकार और आरजीआई से यह पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने 2000 एक्ट में लिंबू तमांग को अटल जी के समय में एसटी का दर्जा दिया, वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2024 तक आप जरा आंकड़ा बता दीजिए कि कितना इनफ्लक्स नेपाल से भारत की ओर हुआ है। हमारी यह मांग संवैधानिक मांग है। बॉर्डर को सुरक्षित और ठीक रखना, बीएसएफ और सरकार का काम है। मैं चाहता हूं कि इसमें और देरी न हो और इतना ही नहीं, सिक्किम स्टेट में वर्ष 2021 में असेंबली में इसका बिल पारित किया गया, वर्ष 2014 में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसको इनक्लूड करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा है। मोदी जी के नेतृत्व में 3 अलग-अलग कमेटियां इसको एसटी का दर्जा देने के लिए गठित हुई हैं। उसमें उनकी जो टिप्पणियां हैं, वे भी इस चीज को सपोर्ट करती हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें और अधिक देरी न हो और जो अधिकार गोरखाओं का है, जो हर साल हर दिन देश के लिए मरता है, जिसके कारण हमारा बॉर्डर सेफ है, जिसके कारण नॉर्थ-ईस्ट का बहुत बड़ा इलाका सेफ है, मैं चाहता हूं कि उनके साथ अन्याय न हो। उनके कॉंट्रीब्यूशन को देखते हुए, दार्जिलिंग तराई डुअर का जो क्षेत्र है, उसमें एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, 50 किलोमीटर की दूरी पर चीन है। चारों तरफ हम बॉर्डर से घिरे हुए हैं और इस क्षेत्र व वहां की लोकल आबादी को मजबूत रखना व बचाए रखना देश का भी कर्तव्य है और भारत सरकार का भी कर्तव्य है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो देरी हुई है, उसमें और देरी न हो और गुरुंग, भुजेल, मनगर, नेवार, जागी, खस, राई, सुनवार, थामी, यक्का और धीमल, इन अलग-अलग सब-ट्राइब के गोरखाओं को इनका अधिकार मिले और इसमें सिक्किम सरकार ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने तो पूरी असेंबली में इसे पारित करके भेजा है। यह अधिकार उनको मिले। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

(इति)

(1750/RP/MK)

1750 hours

DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU): Sir, at the outset, I would like to thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity to put forth our party's view on the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024.

Sir, the Constitution of India has several provisions to prevent discrimination against the people belonging to the Scheduled Tribes, and protect their rights. I strongly support this Bill.

*(Sir, Prime Minister Shri Narendra Modi often described Adivasis as the original habitat of the world and as heirs of culture and heritage. This is appreciable. But this is only confined to his words and actions of his government in this regard is zero. Our Adivasi regions are deprived of social and economical development. Even after 77 years of independence their progress is nil. While the whole world is moving towards development, our tribal areas are deprived of basic amenities like drinking water, roads and electricity. There are many such villages where these people do not even know about mobile phones. This is the result of negligence by respective governments. Tribals are provided special rights with the help of special laws. One such law is 1B70 which gives exclusive land rights to the tribals. But off late this law has lost its existence.

PESA law was introduced in 1996 for autonomy of tribal areas. It was mandatory to pass a resolution by the Gram Sabha to do any work in tribal areas. Even that law has lost its existence.

---

* Original in Telugu.

Geo 3 was a lifeline for tribals which has provided employment opportunities to tribals and laid a strong foundation for primary education of tribals. The areas where tribals live are geographically diverse and lies 3000 feet above sea level. They witness continuous rainfall and dense forests are unfit for human habitation. These places are often affected by dengue, malaria and chikungunya. In such areas, when teachers from plain areas come for teaching, they do not stay there for long duration and teach only for few days in a month. As a result, education standard was very bad and young tribal children were deprived of primary education. In such a scenario, GO 3 has emerged as a ray of hope, which ensured local jobs for local tribal youth. Eligible local youth were appointed as teachers in schools, where they used to teach the kids in their own language and paved a bright path for the tribal children. Such a useful GO 3 was cancelled by the Supreme Court. As a result. Due to lack of employment opportunities and due to their inability to compete with candidates from plain areas, our tribal youth are getting addicted to drugs. I request the government that even if they do not do anything new for us, at least do not withdraw the existing laws and deprive us our rights. GO 3 is like oxygen for the local youth as they get employment opportunities. I request the government that if they cannot restore GO 3, at least they may come out with some alternative arrangements for the tribal youth. Lacks of a tribal youth are dependent on this GO 3. Therefore, I request the Government that it should be restored or come up with some alternative GO. With this I conclude. Thank you.)

(ends)

(1755/SJN/VR)

1755 बजे

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, मैं 'गोवा राज्य, सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024' की चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। यदि अन्य राज्यों में भी जनजाति संख्या में वृद्धि हो रही है, तो क्या हम उन राज्यों के लिए भी ऐसे विधेयकों की उम्मीद कर सकते हैं? सरकार क्या कदम उठा रही है, ताकि इस न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जा सके? आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

उदाहरण के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जनजातीय क्षेत्रों जैसे जमुई, बांका, किशनगंज, कैमूर और रोहतास में जनजातीय संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्या कारण है कि अन्य राज्यों में जनजातीय समुदायों के लिए ऐसे विधेयक पेश नहीं किए जा रहे हैं? क्या हम यह मान लें कि यह निर्णय चुनिंदा तरीके से लिया गया है और यह किसी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा नहीं है?

प्रतिनिधित्व केवल विधान सभा की सीटों का नहीं है, यह उन समुदायों को सशक्त बनाने का विषय है, जिन्हें लंबे समय से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जनजातीय जनसंख्या को पूरे देश में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की जाए।

मैं बिहार की चर्चा करना चाहता हूं। कैमूर और रोहतास तथा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र और राबर्ट्सगंज का जो इलाका है, उन इलाकों में कई ऐसी जनजातीय समुदाय निवास कर रही थीं, आज भी निवास कर रही हैं, जो वहा रूरल कम्युनिटी (शासक वर्ग) थीं। उन मैदानी इलाकों में खरवार और चेरो वंश के लोगों ने राज किया है। जब खरवार और चेरो वंश के लोग मैदानी इलाकों में राज कर रहे थे, जब उनका राज समाप्त हुआ, लेकिन उनके समुदाय के लोग मैदानी इलाकों में ही बस गए थे। आज तक बिहार में उनको जनजाति का दर्जा न मिलने से वे अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। यहां तक की गोंड, लोहार और मुसहर बिरादरी जैसी जो आदिम जनजातियां हैं, आज तक उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा न मिलने से उन समुदायों में भारी रोष है।

यहां तक कि कभी-कभी हिन्दी और अंग्रेजी की शब्दावली के आधार पर उनको आदिवासी समुदाय का सर्टिफिकेट तक नहीं मिलता है। गोंड और गुंड समुदाय, लोहार एवं लोहरा नामक समुदायों में केवल शाब्दिक अर्थों पर कुछ भिन्न होने से उन लोगों को

आदिवासी का दर्जा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बिहार में ऐसे समुदायों में भारी रोष है।

अभी जब देश में सामाजिक-आर्थिक जनगणना नामक विषय देर से शुरू हुआ है, इसके अभाव के चलते हम लोग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस समुदाय की आबादी कितनी है और आबादी के अनुपात में जो आरक्षण की सीमा है, वह किस स्तर तक बढ़नी चाहिए, हमारे पास कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। इसीलिए हम लोग भारत सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जातीय सामाजिक जनगणना का कार्य पूरा करें, जिससे आने वाले समय में आरक्षण के प्रावधानों को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर सकें।

(1800/SPS/SAN)

जब देश में एक देश, एक चुनाव का संविधान संशोधन प्रस्तावित है। ... (व्यवधान) वन अधिकार अधिनियम, 2006 पास होने के बावजूद भी इस इलाके के आदिवासी समुदायों में अभी तक वन उपज को लेकर एक स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं। बिहार के कई ऐसे इलाके हैं, जहां जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। हम उन लोगों के इलाकों में सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पीने के पानी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जब उद्योग लगाने की बात होती है, खनन की बात आती है तो उन इलाकों में भारत सरकार लगातार परमिशन देने का काम करती है। यह सरकार की दोतरफा नीति है। अत: इसको बदलने की आवश्यकता है। चूंकि, मेरे पास बोलने के लिए समय बहुत कम था, तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.C. MOHAN): The House stands adjourned to meet on Wednesday, 18th December, 2024 at 11.00 a.m.

1801 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 18, 2024/Agrahayana 27, 1946 (Saka).